राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पञ्चम् सत्र, १९६४ का ४२ वां दिवस [संख्या ३३

गुरुवार दिनांक २ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बजकर ७ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खाद्य, पशु--पालन, चिकित्सा, स्वायत्त शासन, कृषि, राजस्व, गृह, अकाल सहायता, सिंचाई एवं खान--विभाग)

बीकानेर में शक्कर वितरण

८१३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर में दो माह से वहां के कुछ वार्डों के लोगों को शक्कर नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा उसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जयपुर में एक किलो प्रति व्यक्ति व बीकानेर में आधा किलो शक्कर देती है ? यदि हां, तो यह भेद क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नही। यह सही नहीं है।

(२) जी नहीं। यह भी सही नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पष्ट प्रमाण है कि यहां एक किलो खांड मिल रही है, आप कहते हैं कि यह सही नहीं है, जब कि हमारे यहां पर आधा किलो मिलती है। एक का उत्तर तो सही है। प्रश्न करने के बाद जहां नही मिली थी वहां अब मिल चुकी है। पर जहां तक दूसरे का सवाल है आपका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : स्पष्ट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसलिये है कि आपके यहां भी बड़े आदमी को एक किलो और छोटे को आधा किलो मिलती है।

श्री मुरलीधर व्यास : बच्चों को आधा किलो और बड़ों को एक किलो अब की है। बीचमें दोनों को आधा किलो थी। प्रश्न यह है कि उदयपुर, जोधपुर और जयपुर इन सब जगहों पर जितनी मिलती है उससे कम बीकानेर में क्यों मिलती है? सब जगह एक-सी पॉलिसी क्यों नही बरती जाती?

श्री नाथूराम मिर्धा : अमुक जगह की पर्टीक्यूलर पापुलेशन के आधार पर शुगर का कोटा निश्चित कर देते हैं, वहां इन्टरनल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कलेक्टर का होता है। जोधपुर में भी आधा किलो ही मिली है, कभी पौन किलो मिली है, कभी पाव किलो मिली है, जिस तरह का कोटा मिलता है उसके आधार पर कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। जैसी स्टाक के अराइवल की पोजिशन हो उस तरह देना पड़ता है। कोटा लेट आता है तो कम देकर भी सन्तोष कराना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : उदयपुर में दो किलो भी मिली है। मैं चाहता हूं कि नागरिकों को कोटा दें, उनके लिये एक किलो कर दें। हलवाइयों का कोटा है वह ज्यादा कर दिया है। उनका कम करके, सब जगह सरकार एक किलो कर सकती है। यह कर दे तो किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : शुगर की कमी को देखते हुए एक किलो कर ही देंगे, यह सम्भव नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप एक लाख की जन-संख्या वाले समस्त शहरों में एक नीति को अख्तियार नहीं कर सकते?

प्रश्न संख्या ८१४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री जुझारसिंह

तहसील डग में राजकीय पशु-अभिजनन फार्म

८१५. श्री जुझारसिंह (चेचट : Will the Minister for Animal Husbandry please state --

(1) What steps have the Government taken to improve the Malvi Breed of Cattle in Kota and Jhalawar Districts?

(2) Is it a fact that a Government Cattle Breeding Farm was proposed to be started in Tehsil Dag of District Jhalawar a few years ago? If so, what progress has been achieved in the matter so far?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : ( ) प्रतिवर्ष पशुओं की नस्ल सुधारने हेतु झालावाड़ व कोटा जिलों में उन्नत नस्ल के वंशज साड वितरित किये जाते हैं। एक ग्राम आधार केन्द्र व उसकी ४ इकाइयां झालावाड़ में प्रथम

Page No. 3

(श्री भीमसिंह)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोला गया व एक एक केन्द्र सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत बारा जिला कोटा में भी खोला गया है। कोटा व झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में उत्तम वंश के सांड, शहरी गायों की नस्ल सुधारने हेतु रखे गये हैं।

(२) जी हां, इस फार्म के भवन निर्माण हेतु ५०,००० रु० की रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है।

श्री जुझारसिंह : आपने डग के बारे में कुछ नहीं बताया ? पार्ट २ ।

मंत्री, पशु पालन विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : कह दिया ।

श्री भीमसिंह : ऐसा निवेदन है कि झालावाड़, कोटा इन सारी जगहों में १८७ बुल्स बांटे गये हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कितना सुधार हुआ है ?

श्री जुझारसिंह : यह जो कोटा एरिया है इसमें जगह जगह प्रोजेक्ट्स हो गये हैं इसलिए मालवी ब्रीड ऑफ कैटल है वह ड्राट केटल है, क्या गवर्नमेन्ट की ऐसी मंशा है कि इसको ड्यूल ब्रीड करने की आवश्यकता है। ग्रेजिंग की डिफिकल्टी हो गई है, स्टॉल फीडिंग करना पड़ेगा, इसलिए मालवी केटल ऑफ ब्रीडिंग है, वह एक्सपेन्सिव अधिक होता जा रहा है इसलिए in view of that fact, have you got any scheme to change it over to dual purpose cattle in that area ?

श्री भीमसिंह : आम तौर पर ऐसा किया जाता है कि जिस जिस एरिया में एड्जिस्टिंग ब्रीड होती है उसको डबलप किया जाता है। हरियाना ब्रीड को हरियाना वाले करते हैं। नागौर ब्रीड है उस एरिया में आज से कई वर्षों पहले से चली आ रही है, इसलिए उस एरिया में मिलने वाली ब्रीड को ही डबलप करने के लिए सांड रखे जा रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : कोटा जिला परिषद् की मार्फत ही इस चीज़ को रखा गया था कि चम्बल एक कमान्डेड एरिया है और दूसरे मीडियम प्रोजेक्ट्स वहां पर है उनमें काश्तकारों को यह डिफिकल्टी पैदा हो रही है। मालवी ब्रीड की जो कैटल है वह बछड़े पैदा करने में काम आती है और उनके नीचे दूध नहीं होता, उस पॉइन्ट ऑफ व्यू से यह ब्रीड यूजलेस हो गई है। इसलिए इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए हरियाना ब्रीड या दूसरी ब्रीड जो बछड़े पैदा करने के साथ साथ दूध भी दे सके, इसको व्यवस्था करनी होगी, इसलिए इसके लिए सरकार क्या सोचती है ?

श्री भीमसिंह : आपने सुझाव रखा है इसकी जानकारी करूंगा। वहां क्या पोसिबिलिटी हो सकती है इसकी जानकारी कर ली जायगी।

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : ड्रॉट कैटल ब्रीडिंग कब से शुरू हो जायगी ?

श्री भीमसिंह : जल्दी ही शुरू हो जायगी।

(श्री भीमसिंह)

पी. डब्ल्यू. डी. को रुपया दिया जा चुका है भवन निर्माण के लिए। काम शुरू हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित मोहन।

नल योजना कार्य-गोगुन्दा

८१६. **श्री ललितमोहन** (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में गोगुन्दा में नल योजना का कार्य सरकार ने शुरू किया है ?

(२) यदि हां, तो कार्य कब से शुरू किया गया है और अब तक कितना कार्य हो चुका है ?

(३) सरकार इसको कब तक पूरा करने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) यह कार्य २०. १. ६१ से प्रारम्भ किया गया है तथा अब तक सिविल वर्क और पाइप लाइन का कार्य पूर्णतया समाप्त हो चुका है।

(३) आगे का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा पूरा अनुदान देने पर ही शुरु किया जा सकेगा।

श्री ललितमोहन : अनुदान प्राप्त हुआ है या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सुनाई नहो दिया, फिर से पूछिये।

श्री ललित मोहन : लोगों का चन्दा प्राप्त हुआ या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पूरा नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कितना पर्सेन्ट देने का था और कितना आ चुका है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 5 per cent of the estimated cost. ५,२७५। उसमें से ३,४०० प्राप्त हुए है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अब दो हजार की ही कमी है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इतना ही है। अनुदान मिल जायगा तो काम शुरु हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

गन्दे नाले को पक्का बनाने के लिये सहायता अनुदान-बीकानेर

८१७. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वायत्त-शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या बीकानेर गजनेर रोड के पास से कच्चा गंदा नाला नायकों, हरिजनों, सेसियों की बस्ती में से होकर मोहल्ला गिन्नानी में से गुजरता हुआ म्युनिसिपल हाल, बीकानेर के पीछे के नाले में प्रवेश करता है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त नाले में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

साल में आठ महीने पानी भरा रहता है और उसकी बदबू व मच्छरों से नागरिकों का मोहल्ले में रहना अत्यन्त मुश्किल हो रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि नगरपालिका बीकानेर ने उक्त नाले को पक्का बनाने के लिये ७५,०००) रु० का प्रावधान कर ७५,०००) रु० राज्य सरकार से ग्रान्ट-इन-एड के मांगे हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिया है ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त नाले को पक्का करने की योजना बीकानेर शहर में सन् ५७-५८ में हुई मूसलाधार बारिश के समय बनाई गई थी और कुल योजना ९ लाख रुपये की थी ?

(६) उक्त योजना के क्रियान्वित होने में इतने वर्ष लगाने के क्या कारण हैं ?

(७) क्या सरकार उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त (श्री दौलतराम सारण) : (१) बीकानेर अजमेर रोड़ के पास से कच्चा नाला गुजर कर नायकों के मोहल्ले के पीछे से सांसियों की बस्ती के पास से गुजरता हुआ पुरानी गिन्नानी (कुर्क सागर) रोशनी घर के पीछे जाकर पड़ता है। म्युनिसिपल हाल के पीछे के नाले का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) जी हां। यह सही है कि नाले में गन्दगी रहती है।

(३) जी हां।

(४) स्वीकृति दे दी गई है।

(५) जी हां।

(६) नगरपालिका द्वारा अपना हिस्सा न देने से।

(७) इस समय बजट प्रावधान न होने से कार्यवाही संभव नही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट ने खुद ने ९ लाख की रकम मंजूर की जिसके पीछे ४॥ लाख यू. आई. टी ऑलरेडी खर्च कर चुका है ? दो लाख गवर्नमेन्ट को सबसीडी देनी थी उसको देने का विचार करती है ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय यह तय हुआ था कि दस लाख की स्कीम थी, ५ लाख यू. आई. टी. देगा और बाकी पांच लाख गवर्नमेन्ट और नगरपालिका दोनो बराबर हिस्से में देगें। नगरपालिका ने अपना हिस्सा उस शर्त के माफिक पूरा नहीं किया है इसलिए पैसा नहीं दिया जा सका।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्वेश्चन नं० ३ में पूछा है। नगरपालिका ने आपको लिख कर भेजा है सबसीडी देने के लिए तैयार है। आप मेचिंग ग्रान्ट ७५ हजार रुपया दीजिये। दो साल से फाइल इधर उधर चल रही है बाबजूद उसके ग्रान्ट नहीं मिलती। म्युनिसि-

Page No. 6

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पेलिटी को ग्रान्ट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक आपकी मेचिंग ग्रान्ट न मिल जाय।

श्री **दौलतराम सारण** : आप कह रहे हैं, वह सही नहीं है। नगरपालिका ने जब लिख कर भेजा तुरन्त स्वीकार कर दिया गया।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : कब दे दिया?

श्री **दौलतराम सारण** : पिछले बजट में।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

जाट का तालाब--हिन्डौन

८१८. श्री **श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन में जाट के तालाब के लिये सरकार से २०००) रु० की मंजूरी हुई है ?

(२) क्या यह सच है कि जाट के तालाब में पीपलीवाला नाले का पानी आने से रोक दिया गया ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस नाले का पानी तालाब में नहीं आने के कारण तालाब भर नहीं पाता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि तालाब से जमीन की सिंचाई भी कम होने लगी है ?

(५) यदि हां, तो सरकार इस नाले को कब तक इस तालाब में डलवाने का विचार रखती है ?

(६) २,०००) रु० इस तालाब में खर्च हो चुके हैं या नहीं ? अगर नहीं हुए तो कब खर्च होंगे और वह राशि अब तक कहां रही है ?

उप-मन्त्री, **सिंचाई** (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सिंचाई विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां, ऐसा सम्भव है।

(४) ऐसी परिस्थिति नहीं है।

(५) ऐसा करना लाभदायक हुआ तो अवश्य।

(६) सिंचाई विभाग में इस प्रकार का कोई खर्च करने का प्रावधान न था अतएव इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री **श्रवणलाल** : तालाब के लिए दिया गया तो वह पैसा कैसे पड़ा रहा ?

श्री **दिनेशराय डांगी** : ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से रुपया खर्च होता है उसका इस विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री **भीमसेन** (लूनकरणसर) : माइनर इरींगेशन हैड में पंचायत समिति को रुपया दिया और उसमें से खर्च हुआ ?

श्री **दिनेशराय डांगी** : कोई ब्लाक होता है तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर को सौंप

Page No. 7

(श्री दिनेशराय डांगी)

देते हैं। सारा खर्चा होता है उसका सारा हिसाब पंचायत समिति ही रखती है।

श्री श्रवणलाल : क्या यह नाली न बांधने से तालाब में पानी नहीं जाता है ?

प्रश्न संख्या ८१९.

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह।

कृषि विभाग के गजेटेड अधिकारियों का वेतन

८९०. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister of Agriculture please say :—

(1) How many of the Gazetted Officers of the Agriculture Department are not getting their salaries regularly !

(2) Is it not a fact that because of this many of them have not been able to do the touring they should have done, and has it not been quite detrimental to the implementation of departmental programmes !

उप-मन्त्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) ऐसे ६७ कर्मचारी हैं जिनको प्रोविजनल पेमेन्ट किया जा रहा है। यह ऐसे केस हैं जहां रेगुलर पेमेन्ट में कुछ नियमों की बाधा आ रही है। यह बाधा इसलिये उपस्थित हुई है कि देश की नीति को ध्यान में रखते हुए कृषि अधिकारियों की वेतन-शृंखला व क्रम में कई बार हेर फेर हुए जिससे उनको काफी लाभ हुआ है। परन्तु साथ ही उनका उन वेतन शृंखलाओं में फिक्सेशन करने में कई दिक्कतें आई हैं जिनको दूर किया जा रहा है और आशा है इस वर्ष में ये दिक्कतें दूर हो जायेंगी।

(२) इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यथा सम्भव समय पर ही पेमेन्ट करने का प्रयास किया जाता है।

श्री केसरीसिंह : आपने फरमाया है कि ६७ अफसरों की तनख्वाह इस प्रकार नहीं दी जाती है।

श्री भीमसिंह : प्रोविजनल पेमेन्ट होता है।

श्री केसरीसिंह : अर्ज करने का मतलब यह है कि दो तीन महीने तक जो तनख्वाह चढ़ जाती है तो उसका नतीजा यह होता है, I have talked to some of your D. A. O.s who were here for training, जिसके लिए उनको अपने पास से खर्चा करना पड़ता है जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इससे आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने फिक्स नहीं की है कि उनकी तनख्वाह ६००) या ६५०) होगी। ६००) तो आप उनको बराबर दे सकते हैं। बाकी बाद में एडजस्ट करते रहें। नियमित रूप से उनको कुछ तनख्वाह मिलती

(श्री केसरीसिंह)

जाय जिससे काम उनका चलता रहे और काम करते रहें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, दो तीन महीने का प्रश्न नहीं है। बल्कि उन कर्मचारियों को आठ आठ महीने का वेतन नही मिलता है। पर्टीक्यूलर केस यदि जानना चाहें तो मैं बता सकती हूं।

श्री भीमसिंह : जैसा आपने फर्माया कि लेट मिलती है। गवर्नमेन्ट के पास पेपर्स आते हैं। डाइरेक्ट डिपार्टमेन्ट से यह नहीं हो जाता है। महीने बीस दिन की देर तो हो जाती है। माननीय सदस्यों ने भी बताया कि वे पर्टीक्यूलर केस बता सकती है। किसी खास केस में नहीं हुआ होगा। कुछ देर लगी होगी। ८९ ऑफिसर्स के केसेज हैं। एक आदमी का होता तो बात दूसरी होती है। फिर भी जल्दी से जल्दी इसको किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेन्ट में भी फिक्सेशन वगैरह नहीं हुए हैं उनमें कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी किया जाय।

प्रश्न संख्या ८२१

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल।

अनुपस्थित

प्रश्न संख्या ८२२

श्री भानुप्रसाद कराड़िया।

अनुपस्थित

प्रश्न संख्या ८२३

श्री मोहनलाल सारस्वत।

अनुपस्थित

प्रश्न संख्या ८२४

श्री रामानन्द अग्रवाल।

अनुपस्थित

प्रश्न संख्या ८२५

श्री बृजेन्द्रपालसिंह।

अनुपस्थित

श्री बाढ़दार।

अनधिकृत निर्माण के मामले

८२६. (२१२ एम. एल. एम.) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, एम. एल. ए. (हवा महल, जयपुर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगरपालिका मे सन् १९५५ के पश्चात् के अनऑथराइज्ड कन्सट्रक्शन के कितने केस पेण्डिंग पड़े हैं और कुल कितने केस दायर हुए ?

(२) नगरपालिका ने अनऑथराइज्ड कन्सट्रक्शन के कितने केसेज में गैर कानूनी इमारतों को तुड़वाया ?

Page No. 9

(श्री दुर्गालाल बादूदार)

(३) जयपुर नगरपालिका इजाजत तामीर की दरख्वास्तों पर इजाजत कितने अर्से में दे देती है ? ६ माह के बाद इजाजत दिए जाने के सन् ६० के बाद के कितने मामले हैं ?

(४) क्या जयपुर नगर में व इसके आसपास लोगों ने सरकारी भूमि पर अनुचित कब्जा कर तामीर कच्ची व पक्की करा ली हैं ? और यदि हां, तो कहां कहां और कितनी तादाद में ?

(५) राज्य सरकार इस प्रकार कब्जा की गई भूमि का कितना किराया या कीमत वसूल करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत-राम सारण) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, अतः इसे अगली टर्न के लिये रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह ।

श्री दौलतराम सारण : प्रयास किया जायेगा ।

श्री दुर्गालाल बादूदार : इस सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर को सर्वनाश में मिला दिया है....

श्री अध्यक्ष : नई म्युनिसिपैलिटी आ गई है, व्यवस्था ठीक हो जायगी ।

बटाई प्रथा

८२७. **श्री उदयलाल वर्दिया (लसा-ड़िया)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में जयसमुद्र की पेटा काश्त भूमि (ऋण) में खेती करने वाले गरीब किसानों से आज भी लगान नहीं लेकर बटाई का अनाज लिया जाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष पैदावार की कूंत करने, अधिक या कम लेन-देन के प्रश्न पर हजारों रुपयों का भ्रष्टाचार चलता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि पिछले दो वर्षों से जयसमुद्र के किसानों की वर्तमान तहसीलदार सलूम्बर की ओर से इस बटाई के कार्य में भ्रष्टाचार की कई शिकायतें उप-जिलाधीश कार्यालय, सलूम्बर में रही हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

(४) क्या अब राज्य सरकार इस प्रकार से अनाज बटाई को छोड़ कर उचित लगान फसल से लेने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां । परन्तु अब राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ (११) २३४ राज (ख) ६३, दिनांक ४-१०-६३ के द्वारा बन्द कर दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

Page No. 10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(४) जी हां, उचित लगान वसूल करने कार्यवाही की जा रही है।

श्री उदयलाल वर्दिया : क्या तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत उदयपुर कलेक्टरी में पेश हुई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे दफ्तर में है ही नहीं ।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आपके यहां हमने एप्लीकेशन दी है, अगर हम प्रूव कर दें तो आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप प्रूव करें और हम कार्यवाही न करें, ऐसा कभी हो सकता है ?

श्री जोधसिंह चौहान : उन पर लगान क्या देर से लगायी गयी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लगान का तरीका है उस तरीके से इवोल्व करके उसके मुताबिक लगान लेते हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह इवोल्व करने का आपने क्या तरीका निकाला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरे हिस्सों में जहां इस प्रकार की जमीन है उसी को देखकर यहां भी लगान लगेगा ।

श्री दलपतसिंह (आबू) : एक एकड़ पर क्या फिक्स किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डिटेल वर्क आउट नहीं किया है । राखड़ जमीन का किस जगह का कितना लें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : डिमान्ड किस हिसाब से बनेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राखड़ जमीन का लगान उस जमीन के हिसाब से लिया जायगा, उसको हम उस हिसाब से फिक्स करेंगे तब डिमान्ड स्लिप देंगे ।

श्री जोधसिंह चौहान : सिंचाई की रेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : इसकी रेट कहीं ४०) है कहीं ६० है जो फोरेस्ट और रेवेन्यू विभाग में बांटी जाती है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : राखड़ जमीन के लिये ऐसा नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कलेक्टर उदयपुर के यहां आपने दर्याफ्त किया है तहसीलदार के खिलाफ इस प्रकार की शिकायत नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दर्याफ्त करके ही निवेदन किया है, वहां के कलैक्टर ने साफ लिखा है कि भ्रष्टाचार की तहसीलदार के खिलाफ शिकायत नहीं है ।

श्री उदयलाल वर्दिया : ए० डी०

(श्री उदयलाल वर्दिया)

एम० मौके पर आये थे और हमने बयान करवाये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो सूचना दे रहे हैं उसकी नकल आप हमें भिजवा दें तो फिर उत्तर मंगा लेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या माननीय मंत्री माननीय सदस्य के कहने पर दुबारा दर्याफ्त नहीं करेंगे कि इस प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायत आई है ? इसको दबाने से कलैक्टर को क्या मिलेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर माननीय सदस्य डेफीनिटली भ्रष्टाचार की शिकायत बता दें तो डेफीनिटली कलैक्टर या एन्टी--करप्शन डिपार्टमेन्ट से जांच करायेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : जैसा कि प्रश्न कर्ता सदस्य ने कहा कि शिकायत की गई और उसकी जांच भी की गई उन्होने ए० डी० एम० के समक्ष बयान दिलवाये हैं और कलैक्टर कहते हैं शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई । यह गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है जब कि सदस्य कहते हैं ए० डी० एम० वहां आये और उनके समक्ष बयान दिलवाये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस वक्त जो सूचना दी गई है वह कि लगान लेने के संबंध में भ्रष्टाचार की शिकायत कलैक्टर के यहां आयी है क्या ? इस पर कलैक्टर को पूछा गया उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बयान लिये गये उससे शिकायत नहीं मिली हो शिकायत साबित नही हो सकी है । इसलिये कह दिया हो शिकायत प्राप्त नहीं हुई । कलेक्टर के यहां शिकायत तो की गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : शिकायत आई होगी, जांच हुई होगी मुमकिन है इस समय वहां पर कोई शिकायत ही पेन्डिंग न हो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि वहां शिकायत ही नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, स्पेसिफिक मैटर से संबन्धित शिकायत की गई है, कलेक्टर के यहां की गई है इस बारे में दुबारा जानकारी प्राप्त करना परम् आवश्यक है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसमें कोई एतराज नहीं है । कलेक्टर के यहां से और जानकारी प्राप्त करने की बात है तो की जा सकती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

धोखे से परीक्षा में बैठने की शिकायत

८२८. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No. 12

(श्री चन्द्रसिंह वर्मा)

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १७ अगस्त, १९६२ को श्री मानसिंह राठौड़ कृषि कालेज उदयपुर ने श्री पूसासिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह ग्राम चिन्डालिया तहसील परबतसर के खिलाफ राजस्थान विश्व विद्यालय को धोखा देकर मैट्रिक तथा बी० ए० की परीक्षाओं में में बैठकर उत्तीर्ण होने की शिकायत की थी ?

(२) क्या यह सही है कि इसकी जांच राज्य सरकार ने पुलिस के गुप्तचर विभाग द्वारा कराई तथा ऐसी शिकायत सही पाई गई ?

(३) क्या यह सही है कि गृह विभाग ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस नागौर को दिनांक १७-१-६४ को केस रजिस्टर कर तफतीश करने का आदेश दिया था ?

(४) यदि हां तो उस पर आज दिन तक एस० पी० नागौर ने क्या कार्यवाही की ?

उप मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। किन्तु शिकायती पत्र दिनांक १८ अगस्त, १९६३ का था न कि १७ अगस्त, १९६२ का।

(२) जी हां।

(३) गृह विभाग ने तो केवल डी. आई. जी, क्राइम राजस्थान को आदेश दिया था कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तफतीश कराई जाय।

(४) सी० आई० डी० ने एस० पी० नागौर को मुकदमा दर्ज कराकर तफतीश करने के लिये दिनांक २४-१-६४ के पत्र द्वारा आदेश दिये थे किन्तु तत्पश्चात् यह ज्ञात होने पर कि घटना नागौर की न होने से वहां मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। अतः अब अलग अलग मुकदमें एक जयपुर व एक जोधपुर में रजिस्टर करा दिये गए हैं।

अकाल सहायता कार्य—आमेट

८२९ श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) उदयपुर डिवीजन में कौन-कौन से अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य चल रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि आमेट में सहायता कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं यद्यपि उसे अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया गया है और उसके आसपास देवगढ़, भीम व कुम्भलगढ़ में अकाल सहायता कार्य शुरू किये जा चुके हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार आमेट में भी अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री दौलतराम सारण) : (१) उदयपुर जिले में तहसील कुम्भलगढ़ के २२, देवगढ़ के ३३ तथा भीम तहसील के २९ गांवों में सहायता कार्य चल रहे हैं।

(२ व ३) आमेट के गांवों में खरीफ की फसल को नुकसान एक रुपये में आठ आने से कम हुआ है। इसलिये वहां किसी भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया अतः

(श्री दौलतराम सारण)

राहत कार्य आरम्भ करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री जौधसिंह चौहान (गिरवा) : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि वहां आठ आने से कम नुकसान हुआ है ? हम कहते हैं कि वहां अकाल है, अतः उसको भी अकाल ग्रसित एरिया घोषित किया जाय और सहायता कार्य चालू किये जायं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना ऐसी नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या नाथद्वारा तहसील की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह लिखा गया है कि यहां ¼ ही अनाज हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : यह नाथद्वारा का सवाल नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : उदयपुर जिले के लिये पूछा है, उसमें यह भी आजाता है। इसमें पूछा है कि उदयपुर डिवीजन में अकाल ग्रसित एरिया में कहां सहायता कार्य चल रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसा नहीं है अकाल ग्रसित क्षेत्र में जहां जहां कार्य चल रहे हैं वह बता दिया कुम्भलगढ़, देवगढ़, भीम तहसील हैं जिनको अकाल ग्रसित क्षेत्र घोषित किया है। और उन्हीं में कार्य चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बरसाती पानी के भराव से नुकसान-बारां

८३०. श्री दयाचन्द सोन (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगर में बरसात में बरसाती पानी से बाजार व मुहल्ले में काफी पानी भर जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस बरसाती पानी से बारां के नागरिकों का हर साल हजारों रुपयों का नुकसान हो जाता है ?

(३) क्या यह सच है कि इस पानी से लोगों को हर साल अपने मकान गिरने व सामान बह जाने का अन्देशा रहता है ?

(४) यदि हां, तो सरकार इस संकट को मिटाने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है तथा कब तक ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही है कि लगातार अधिक बरसात होने से जब नदी व नाले जो नगर के सहारे हैं, में बाढ़ आ जाती है तो नगर के कुछ हिस्से में तथा भीमगंज बाजार में पानी भर जाता है जो कुछ घण्टों के बाद रुक कर निकल जाता है।

(२) किसी किसी साल लगातार अधिक बारिश होने से, सैलाब आने पर दूकानों व मकानों में पानी भर जाता है जिससे नुकसान होता है।

(श्री दौलतराम सारण)

(३) लगातार अधिक वर्षा होने से पानी भरने पर नीचे मकानों में भी पानी भर जाता है, हर साल कोई अन्देशा इस तरह का नहीं रहता है।

(४) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री दयानन्द सोन: मैं स्वयं वहां रहता हूं और हर साल देखता हूं कि गरीबों की झोंपड़ियां गिरती हैं। सरकार इस प्रश्न को इस तरह से टाले, यह उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बरसात में नाले का पानी शहर और कस्बे में नहीं आवे, इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न कई रूपों में पूछा गया है। वहां कच्ची दीवारें हैं, उसको गिरने से रोकने के लिये भी हमने कहा था कि अगर वहां की नगरपालिका की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तो सरकार उस पर अपनी सुविधानुसार कार्यवाही करेगी।

श्री दयानन्द सोन : ऐसे गरीबों के मकान गिरते हैं जो भंगी हैं या चमार हैं और जो बरसात में मकानों के गिरने के बाद जानवरों की तरह अपनी जिन्दगी गुजारते हैं, इनके लिये आप क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : प्रश्न के भाग (१) (२) और (३) को आप स्वयं मानते हैं। फिर भाग चार में आप यह कैसे कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता। अपने आप प्रश्न उठ जाता है कि ऐसी स्थिति में आप वहां कुछ करिये।

श्री दौलतराम सारण : तथ्य जो थे वे मैं प्रस्तुत कर चुका।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : इन्हीं तथ्यों से तो यह स्पष्ट है कि परिस्थिति वहां की खराब है, और सरकार को इसके लिये कुछ करना चाहिये। यह मैं निवेदन कर दूं।

श्री दौलतराम सारण : हो सकता है, पर नगरपालिका द्वारा कोई प्रस्ताव इस बारे में आना चाहिये, वह आवेगा तो सरकार अपनी सुविधानुसार विचार करेगी।

श्री दयाचंद सोन : प्रस्ताव तो नगरपालिका का आपके पास आया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नगरपालिका बारां ने प्रस्ताव आपके पास भेजा है और आपने उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री दौलतराम सारण : इस समय इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि प्रस्ताव उसकी ओर से आना चाहिये ? वह तो आ गया, इसकी जानकारी आपको करके आना चाहिये था।

श्री दौलतराम सारण : यह आने की बात तो आप कह रहे है, मैं नहीं कह रहा

Page No. 15

(श्री दौलतराम सारण)

हूं। मैं तो जो सूचना मेरे पास है और जो सूचना मुझे दी गई है सरकारी अधिकारियों द्वारा उसके आधार पर कह सकता हूं, इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं आई।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह दो-तीन बार प्रश्न आ चुका है तो माननीय मंत्री महोदय को इसकी जानकारी करनी चाहिये थी।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न यहां उठता है कि यह हमेशा कह दिया जाता है कि हमारे पास जानकारी जो आई है अधिकारियों के द्वारा उसके आधार पर सूचना देता हूं और उधर विधायक जो बात सदन में रखते हैं वह आंखों देखी उनकी होती है। सरकार के पास लिखित सूचना सरकारी अधिकारियों और ऑफिसरों के द्वारा आती है और उसके आधार पर सदन में सूचना दी जाती है। और उसके आधार पर आंखों देखी सदस्यों की बात को चेलेन्ज किया जाता है। तो इस पर तो कार्यवाही कुछ होनी चाहिये। इस तरह से चलने देना तो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कभी चैलेन्ज नहीं करते। यह तो माननीय सदस्य चैलेन्ज करते हैं और मंत्री महोदय हमेशा स्वीकार करते हैं कि हमारी जानकारी सरकारी अधिकारियों की सूचना पर आधारित है।

श्री विजयसिंह झाला : पर विधायक भी, अध्यक्ष महोदय, इसी उद्देश्य से यहां प्रश्न करता है और जानकारी देता है कि जो वास्तव में जनता को कठिनाई है उसका निराकरण हो। वैसे हमें कोई शौक नहीं है कि प्रश्न करने से हमारा कोई नाम अखबारों में आ जावेगा। पर यहां प्रश्न उठाने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो मेरी समझ में तो यह आखिरी स्टेज है इसके लिये।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न पूछने का मतलब तथ्य मालूम करना होता है केवल, जो निवेदन कर दिये जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जानकारी तो आपके घर पर आकर, दफ्तर में आकर भी ले सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पूरी और सही सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यहां प्रश्न का उत्तर दिया जावे तो इस प्रकार का विवेचन नहीं होगा।

श्री विजयसिंह झाला : हम तो माननीय मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहेंगे कि यहां सही जानकारी दी जावेगी और अगर आपके सरकारी अधिकारी गलत जानकारी देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। तो आपने फिर क्या जानकारी की?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल इतना है कि नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव बना कर सरकार के पास भेजा या नहीं? माननीय सदस्य कहते हैं कि भेज दिया और मंत्री महोदय कहते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार नहीं आया है। तो अब यह तो वे और अधिक जानकारी करके ही बता सकते है कि आया या नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इस संकट को मिटाने के लिये क्या कदम सरकार उठाना चाहती है और कब तक उठा लेगी ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नगरपालिका प्रस्ताव बना करके भेजेगी तो सरकार अपनी सुविधा और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही करेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न तो इसी का है ।

श्री विजयसिंह झाला : व्यवस्था का प्रश्न है यह, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट बात है कि....

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट बात तो यह है कि एक सदस्य ने जो बात कही वह सही है या दूसरी बात सही है जो मंत्री महोदय ने कही ।

श्री विजयसिंह झाला : इसी के बारे में तो आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में व्यवस्था कैसे हो ?

श्री विजयसिंह झाला : यह व्यवस्था हो कि अगर सरकारी अधिकारी ने गलत सूचना दी है तो उसको सजा दी जाय । उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह तो है कि कोई गलत सूचना देगा तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक : फिर भी मन्त्री महोदय की जानकारी में नहीं है तो जानकारी करनी चाहिए और गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यह अधिकारियों की गलती है; अगर जानकारी गलत देते हैं, इसमें दो राय नहीं हैं । It shows incompetence, to say the least.

श्री दयाचन्द सोनी : अध्यक्ष महोदय, सारी बातें देखी और आपने भी आश्वासन दिया था । यहां हर साल दिक्कत रहती है, दो-दो, तीन-तीन दिन तक भूखे पड़े रहते हैं । बाहर नहीं निकल सकते और हर साल दस-बीस मकान इससे गिरते हैं बरसात में ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

कपड़ा मार्केट की दूकानों पर अनधिकृत कब्जा, गांधी बाजार, अजमेर

८३१. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर ने अजमेर में, मदार गेट में, गांधी बाजार में कपड़ा मार्केट के लिये ३९ दूकानों के का निर्माण करवाया है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) क्या यह सही है कि अजमेर सिटी वेस्ट के मुंसिफ की अदालत से इन दूकानों के एलॉटमेन्ट के लिये निषेधाज्ञा जारी की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक १९-२-५४ को कपड़े के २० दूकानदारों ने इस मार्केट की बीस दुकानों पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है और नगर परिषद् द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) २१ दूकानों के निर्माण का ठेका दिया हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप ?

श्री दौलतराम सारण : नोटिस दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूकानों पर कब्जा कैसे कर लिया, ताले नहीं पड़े हुए थे क्या ?

श्री दौलतराम सारण : ये दूकानें ठेकेदार बना रहा था, पर म्यूनिसिपैलिटी को बना कर सुपुर्द नहीं किया है अभी तक ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या उन्होंने कब्जा बिना म्यूनिसिपैलिटी को पूछे किया है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने फिर नगरपालिका से नोटिस दिलवाया है या कोर्ट में केस दिया है ?

श्री दौलतराम सारण : म्युनिसिपैलटी से दिया गया है ?

राजस्व भूमि में रिहायश आदि के लिये पट्टा

८३२. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा यह जरूरी बताया है कि काश्तकारों को राजस्व भूमि में रहवास के लिये, पशु बांधने के लिये व चारा व अनाज रखने के लिये निर्धारित भूमि का पट्टा लेना पड़ेगा ? अगर हां, तो यह क्या सक्यूंलर है और वह किस कानून के नीचे निकाला गया है ?

(२) क्या यह सच है कि एक काश्तकार के रहवास, पशु बांधने व चारा अनाज रखने के लिये बहुत कम जमीन इस सक्यूंलर में रखी गई है और इस सक्यूंलर के तहत हर एक काश्तकार को कब्जा शुदा जमीन से बेदखल होना पड़ेगा और काश्तकारों को खेतों में रहना मुश्किल हो जावेगा ? अगर हां, तो

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

वास्तविक अनुभव के आधार पर क्या सरकार काश्तकार को ज्यादा भूमि मुफ्त में देने का विचार करेगी या उपरोक्त सर्क्यूलर को, जो गैर कानूनी है वापिस लेने का निर्णय करेगी ?

(३) क्या यह सच है कि टीनेन्सी एक्ट के अनुसार एक काश्तकार अपने खेतों के इम्प्रूवमेंट के लिये अपने खेतों में रहवास कर सकते हैं और अपनी मवेशी के लिए कैटल शेड्स बना सकते हैं और चारा व अनाज के लिये अपने खेतों में लाटे बना सकते है ? अगर हां, तो फिर इस प्रकार का नया सर्क्यूलर क्यों निकाला गया है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) व (२) यह अनुमान है कि प्रश्न के प्रसंग परिपत्र संख्या एफ० ३ (१६) राज० (ख) ग्रुप २--६३ दिनांक २४-४-६३ की ओर है । सरकार द्वारा यह परिपत्र अनधिकृत (Unoecupied) सरकार कृषि योग्य भूमियों पर अनधिकृत रूप से रिहायशी मकान आदि के निर्माण को नियमन (regularise) करने हेतु जारी किया गया है । परिपत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) उक्त सरक्यूलर टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों पर जिनके अनुसार काश्तकार अपने खेतों पर इम्प्रूवमेन्ट कर सकता है उस पर लागू नहीं होता है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह टिनेन्सी एक्ट की कौनसी धारा के नीचे जारी किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह धारा है, आपको याद हो तो, मकान गांव की आबादी के पास न बनावें इस सिलसिले में जिसमें एक शेड किसान को मुफ्त दिया जावेगा, एक मुफ्त में प्लाट दिया जावेगा । अब मुफ्त में कैसे दिया जावेगा, कितना दिया जावेगा और आबादी के पास में ट्रैसपास कर लिया है, बाड़े बना लिये हैं और प्लाट के नियम के नीचे जो नियम बनाये हैं उससे ज्यादा हैं तो उसे कैसे रेगुलेराइज़ किया जावे, उस धारा के नीचे यह किया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसी कोई धारा नहीं है । जब जिसका राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के बनने से भी बहुत सालों पहले का कब्जा चला आ रहा है, सैकड़ों वर्षों से जिनके मकान बाड़े आदि बने हुए हैं तो क्या उनको भी आप अनआॅथोराइज्ड मानेंगे ? इस एक्ट के लागू होने से पहले जहां मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट लागू था उससे भी पहले का अगर लोगों का कब्जा है तो आप इसकी जांच करवाइये और अगर साबित होता है तो आप फिर उसको किस कानून के तहत अनआॅथोराइज्ड मानेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको मानेंगे । जिस जमीन का टाइटल नहीं है और जो जमीन का टाइटल नहीं है और जो जमीन सरकारी रेकॉर्ड में सरकारी दर्ज है उस पर अगर उसने कुछ बना लिया है तो उसको अनधिकृत मानेंगे और उसको रेगुलेराइज़ एक सीमा तक

(श्री नाथूराम मिर्धा)

किये जाने के लिये रूल्स में प्रावधान किया गया है। अब अगर सरकारी रेकॉर्ड में सरकारी जमीन है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिकॉर्ड के अन्दर सैटलमेन्ट हुआ है तो दर्ज है। बाड़ा है तो बाड़ा दर्ज है, ढाणी की जमीन है तो वह दर्ज है। तो यह सरकारी भूमि में फ्री हाउस साइट विलेज में देने का क्या सरकार आश्वासन दे सकती है ? और जिनको जिस भूमि से किसी कानून और नियम के तहत बेदखल घोषित किया है उसको फ्री हाउस साइट देने को सरकार तैयार है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून में जिसका जितना हक है, अगर उसके इन्द्राज रेकॉर्ड में हैं तो उनको रेगुलेराइज करने के लिये ये नियम बनाये हैं और सर्क्यूलर इश्यू किया गया है। अगर वह ऑथोराइज्ड है तो बहुत अच्छा है। हमने ऑथोराइज्ड को अनऑथोराइज्ड कानून से नहीं किया है, बल्कि अनऑथोराइज्ड को रेगुलराइज करने का प्रावधान किया है।

श्री अध्यक्ष : अनऑथोराइज्ड की परिभाषा क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो ट्रेसपास करके जबर्दस्ती से गांव में जो सरकारी जमीन है उसको अपने कब्जे में कर ली हो।

श्री अध्यक्ष : यह समस्या नहीं है गांवों में, वहां तो किसी ने खेतों में बना लिया है तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनके लिये अलग प्रावधान है। अपने खेतों में तो वे मकान भी बना सकते हैं, बाडे भी बना सकते हैं, लाटा भी निकालने के लिये जमीन ठीक कर सकते हैं। उस पर यह लागू नहीं होता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तहसीलदार साहब एप्लीकेशन मांग कर उन जमीनों के लिये जो पहले उन पर थे उनके लिये बेदखली के ऑर्डर जारी किये हैं, जुर्माना भी वसूल किया है। अब आपके अनुसार तो कोई कार्यवाही उनके साथ नहीं होनी चाहिये। मानते हैं क्या आप इसको ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल मानता हूं। खेत के बारे में यह प्रावधान बिल्कुल लागू नहीं होता। उस खेतों में बनी हुई ढाणियां इस सर्क्यूलर को लेकर किया है तो गलती की है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह सर्क्यूलर जो कलैक्टर के नाम का है उसमें खेतों के बारे में सारी केटेगरीज हैं। लास्ट केटेगरी में लिखा है कि एग्रीकल्चर लैण्ड के अन्दर भी, जो कि १५० स्क्वायर यार्ड्स ५ रुपये की फ्री सनद और उसके बाद में हजार तक २५ न० पै०....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय स्पष्ट कह चुके हैं कि इस सर्क्यूलर की मन्शा केवल उन बाड़ों से है जो कि पट्टेशुदा खेत में नहीं हैं, बल्कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से बना दिया गया है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो दुबारा प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसका क्लेरीफिकेशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गवर्नमेन्ट की ओर से जारी हो जाना चाहिए कि खुद की जमीन पर अगर बनाया है तो वह एप्लाई नहीं करेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं सर्क्यूलर का हवाला देता हूं कि ३(९०) रेवेन्यू-'बी' इसमें भी कलैक्टर ने खेतों के अन्दर पट्टों के बारे में ५ रुपये हर खेत वाले से भी लेना पड़ेगा और बाड़े का भी और कूंडे का भी लेना पड़ेगा। तहसीलदार कार्यवाही कर रहा है इसके तहत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कर दे।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जैसा कहा गया, अगर इस संबंध में कोई कार्यवाही हो रही है तो उसकी जानकारी करके स्पष्ट कर दिया जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : मेरा निवेदन यह है कि एक तरफ टिनेन्सी लॉ है, इसका पूर्णतया अध्ययन करके कार्यवाही करें क्योंकि राज्य सरकार और काश्तकार दोनों को इससे तकलीफ है। आपने कह दिया कि हम अनआॅथोराइज्ड उसको मानते हैं जिसको सरकारी रेकॉर्ड में दर्ज न किया गया हो। तो या तो किसी की खातेदारी की जमीन दर्ज होगी। अब किसी ने बाड़ा बनाया तो उसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि यह मालूम नहीं पड़ सकता कि वह कब बनाया गया, कब नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उसको यह तो बताना पड़ेगा कि किससे पूछ कर बनाया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जितने बाड़े बनते हैं न तो तहसीलदार से पर्मीशन लेने की आवश्यकता थी न कोई ऐसा सवाल था।

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं है। जमीन राज्य की है या पड़त की जमीन है। ऐसी बात नहीं है कि कोई भी किसी भी जमीन पर बाड़ा बना ले।

नैक्स्ट, श्री जयलाल।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मेरा एक प्रश्न था........

श्री अध्यक्ष : श्री जयलाल।

तालाबों के निर्माण के कारण डूब में आई भूमि का मुआवजा

८३३. श्री जयलाल (डग) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) मांगरोल तहसील एवं अटरू तहसील क्षेत्र के किस किस गांव की कृषि भूमि राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए पीवत के तालाबों के कारण डूब में आ गयी है तथा ऐसे किसानों की संख्या क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में डूब में आई हुई भूमि का किसानों को अभी तक सरकार ने न तो मुआवजा ही दिया है और न ही कोई दूसरी भूमि ही दी है ?

(३) क्या सरकार ने अब उन किसानों

(श्री जयलाल)

को मुआवजा देने का निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो कब तक दे दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कोशिश करने के बाद भी नहीं आ सका है इसलिए एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिनकी जमीन डूब में जाती है उनको मुआवजा देने के बारे में आपने भी कई बार आश्वासन दिया है और इसके बाद भी बार बार यह सवाल उठता है और इसके बारे में शासन से भी निर्देश दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि इसके लिए उचित कार्यवाही करें।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसी सेशन में कहा था और इसके लिए हमने स्पेशल इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू किये हैं। स्टाफ को बढ़ा रहे हैं और रेस्पोन्सीबिलिटी भी उनके ऊपर डाल रहे हैं।

श्री जयलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो बिल्कुल गफलत में बैठी है। इसमें ऐसे लोगों की जमीन डूब में आई है जो कि बहुत गरीब हैं और जिनके बच्चों को खाने के लिए कुछ नही है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने एक सप्ताह के पोस्टपोनमेन्ट के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

बीज व खाद का हिसाब-पंचायत अरनेठा

८३४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की अरनेठा पंचायत के सरपंच, श्री रामकिशन को बीज व खाद किसानों को वितरित करने हेतु दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो उनके द्वारा कुल कितने रुपये का बीज व खाद कौन से वर्ष में वितरित किया गया था और वह वापस कब हो जाना चाहिए था ?

(३) अब उक्त पंचायत में उनसे कितना बीज लेना बाकी है और उनके द्वारा जमा नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या उक्त बीज का हिसाब पंचायत रेकॉर्ड में उपलब्ध है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) इसकी जानकारी इस विभाग को नही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैंने पहले प्रश्न में पूछा है कि क्या यह सही है कि बूंदी जिले की अरनेठा पंचायत के सरपंच श्री रामकिशन को बीज व खाद किसानों को वितरित करने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हेतु दिया गया था और इसके उत्तर में आपने कहा है कि नहीं दिया गया है। तो आप यह निश्चित रूप से जवाब दे रहे हैं या रेकॉर्ड देखकर बता रहे हैं ? उनको ७५० मन गल्ला दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री भोमसिंह : वह इस विभाग से नहीं दिया गया है। हो सकता है कि पंचायत समिति या कलैक्टर से लिया हो। एग्रीकल्चर विभाग से उसने नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : बीज और खाद का जो हिसाब रखा जाता है उसकी जिम्मेदारी कृषि विभाग पर है या पंचायत समिति पर ?

श्री भोमसिंह : ऐसा निवेदन है कि २ अक्टूबर के बाद जब से डीसेन्ट्रलाइजेशन हुआ है पंचायत समिति ही बीज और खाद बांटती है। एग्रीकल्चर विभाग डाइरेक्ट नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : अकाउन्ट्स सब समितियों में बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं और लाखों क्या करोड़ों रुपयों के जो खाद और बीज के लोन्स दिये गये हैं उसकी रिकवरी मे दिक्कत यह हो रही है कि उनके अकाउन्ट्स नहीं हैं। तो या तो आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर या कलैक्टर किसी स्टेज पर कोई जिम्मेदारी तो लें कि अकाउन्ट्स मेन्टेन हैं या नही ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : २ अक्टूबर, १९५९ के बाद से जब से पंचायत समितियां बनी हैं तब से बीज और खाद का हिसाब पंचायत समितियों के पास है लेकिन इन महाशय को तो १९५९ से पहले दिया था उसकी पूछ रहे हैं।

कृषि-मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पहले बीज बांटने का काम डिपार्टमेन्ट करता था और उस समय के कई अकाउन्ट्स कई जिलों के कम्पाइल नहीं हो सके हैं। इसलिए एक्स्ट्रा स्टाफ फाइनेन्स ने दिया है और एक स्पेशल अकाउन्टेन्ट इन सारे मामलों में कार्यवाही कर रहा है। थोड़ा बहुत बचा है वह भी ४-६ महीने में पूरा हो जायेगा और उसके बाद का जो हिसाब है वह पंचायत समितियों में गया है। उस समय से रेगुलर अकाउन्ट्स हैं और रिकवरी के अन्दर एक दो वर्ष में लाइतलाली रही है कि जो इस्टालमेन्ट्स ड्यू हैं उनकी वसूली टाइम के अन्दर करने की कोशिश करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि इस आदमी को दिया गया बीज और खाद और १९५७-५८ में दिया गया। उन्होंने इस बारे में नहीं कहा कि कैसे दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उप-मन्त्री जी से पूछ रहा हूं। इस व्यक्ति को आपने ७५० मन गल्ला दिया और वह भी १९५७-५८ में दिया गया और २ अक्टूबर, १९५९ से जो पंचायत समिति और जिला परिषदों का निर्माण हुआ उसके बाद इसका हिसाब पंचायत समितियां रखती हैं और उसके पहले कृषि विभाग रखता था। फिर इस

Page No. 23

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सवाल का जवाब न में कैसे कहा ?

श्री अध्यक्ष : अब सारी व्यवस्था तो पंचायत समितियों के पास है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन यह तो १९५६ से पहले का मामला है। इसका हिसाब तो एग्रीकल्चर विभाग में होना चाहिए वे कहते हैं कि इसका कम्पाइलेशन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जैसा आपने कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ; On a point of order, Sir. मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि मैंने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। पहले आप उसका जवाब दिलवायें। उसका जवाब आ जाये, फिर दूसरे सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने कहा कि इस मामले में कोई हिसाब नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप दूसरों की सुनते ही नहीं हैं, अपना ही अपना पूछते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो पूछ राह हूं....

श्री अध्यक्ष : उप-मंत्री जी क्या इस बारे मे आप जानकारी करेंगे ?

श्री भोमसिं : अध्यक्ष महोदय, जो सतीशचन्द्र जी ने कहा उसके लिए निवेदन है कि उनका कहना है कि उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है और मेरा कहना है कि स्पेसिफिक नहीं है। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्यों यह सही है कि बूंदी जिले की अरनेठा पंचायत के सरपंच, श्री रामकिशन को बीज वर्खाद किसानों को वितरण करने हेतु दिया गया था ? तो इसमें अगर कोई स्पेसिफिक ईयर का मेन्शन करते तो आता। हमने, पिछले ३-४ सालों के फिगर्स मंगवाये उनमें नहीं दिया हुआ था, इसलिए निवेदन 'जी नहीं' किया गया। अगर स्पेसिफिकली पूछते कि १९६४ से पहले दिया गया था या अमुक ईयर में दिया गया तो स्पेसिफिक रिप्लाई उसका आता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि अगर स्पेसिफिक ईयर का नहीं भी पूछा है तो आपको सारी स्थिति को देखकर बताना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट से दिया गया या नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि नहीं दिया गया, आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। आपने तो कह दिया 'जी नहीं'; इसका मतलब दिया ही नहीं गया यानी आपने टोटली डिनाई कर दिया।

श्री भोमसिंह : आप ऐसे ईयर का कह रहे हैं तो उसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। उसकी और जानकारी कर लेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सन् १९५७ के बाद का लिखा हुआ है। जो प्रश्न किया गया है वह कृषि विभाग से है और पंचायत समिति को कृषि विभाग नही देता। ७५० मन गल्ला

Page No. 24

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उसी समय का बाकी है, और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और आपका १४ लाख रुपया कृषि विभाग का लोगों में बाकी है और वहां पर गोलमाल हुआ है और आप कहते है कि उसने एक मन बीज भी नहीं लिया, उसको ७५० मन गल्ला दिया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Will the Finance Minister take note of it ?

श्री अध्यक्ष : He takes note of everything.

Shri Raghubir Singh.

श्री नाथूराम मिर्धा : रिकवरी बाकी है तो कर लेंगे वसूल ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको पता नहीं कि किस किस पर है, तो कैसे वसूल करेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पता है । यह बात ठीक है, कि एक्सीडेंट हुआ है और आग से रेकॉर्ड जल गया है । लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारा रेकॉर्ड जल गया हो । उसका हिसाब है और उसको कम्पाइल कर चुके हैं और बराबर वसूली की जायेगी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपको पता नही कि कितने लेने हैं तो किस तरह से वसूल कर लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका यह कहना कि हिसाब नहीं है, यह बात ठीक नही है । आग लगने की घटना हुई है, लेकिन कागजों पर कई जगह इन्द्राज होता है । कागज तैयार कर लिये गये हैं और जो वसूल करने के लायक होंगे उनसे वसूल करेंगे ।

प्रश्न संख्या ८३५

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह ।

सूतल्या घोरी माइनर पर पुलिया

८३६. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम ढाबा, तहसील दीगोद, जिला कोटा के पास जो ढाबर ब्रान्च निकली है और जिसमें से एक सूतल्या घोरी माइनर निकली है, उस पर एक पुलिया बननी चाहिए ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त माइनर पर जहां पुलिया बननी चाहिए उसके लिए ढाबा के ग्रामवासियों या अन्य लोगों ने प्रार्थना-पत्र पारल्या इन्जीनियर के पास पेश कर रखे हैं, परन्तु उन पर अभी कोई अमल नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस जगह पर पुलिया या रास्ता न होने के कारण यहां के खेतों की फसल आने में काफी तकलीफ होती है ? यदि हां, तो फिर यहां पर पुलिया क्यों नहीं बनाई जाती ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं । यहां एक पुलिया

(श्री दौलतराम सारण)

आर० डी० ६,३०० पर पहले ही है।

(२) जी हां। ग्रामवासियों ने आर० डी० ८,००० पर एक पुलिया की मांग की थी परन्तु पास ही में आर० डी० ६,३०० पर एक पुलिया पहले से ही होने से इस पुलिया को अनावश्यक समझा गया। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(३) जी नहीं।

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह : यह जो आपने पुलिया बताई है वह कितनी दूर है ?

श्री दौलतराम सारण : यह पुलिया करीब ३ फर्लांग दूर है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

कलेक्शन चार्ज की वसूली--जिला चूरू

८३७. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत दिये गये ऋणों की वसूली पी० डी० आर० एक्ट के तहत किये जाने पर दस प्रतिशत कलेक्शन चार्ज भी वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? तत्सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) अप्रेल, १९६० से ३१ मार्च, १९६३ तक चूरू जिले में किन किन आसाभियान से पी० डी० आर० एक्ट के तहत उक्त किस्म के ऋणों की वसूलियां की गई और उनसे कितना कितना कलेक्शन चार्ज वसूल किया गया ? पूरे विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां, कलेक्शन चार्जेज ५ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक वित्त विभाग के आदेश संख्या डी० ७३६६। एफ (ऐ०ऐ)। ५६ दिनांक ३-८-५६ के अनुसार वसूल किये जाते हैं। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री रावतराम : ये कलेक्शन चार्जेज किन नियमों के तहत लिये जाते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने आपको आदेश बताया है, रेफरेन्स दिया है, नम्बर दिया है जो कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट का सर्क्यूलर है। उस आदेश के हिसाब से ५ से १० पर्सेन्ट तक लेते हैं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह सर्क्यूलर कानून के तहत नहीं निकला है, यह आपके अधिकार में नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सर्क्यूलर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के तहत निकला है, रूल्स के तहत निकला है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह सर्क्यूलर फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने कौन से एक्ट के तहत निकाला है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से जानकारी कीजियेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब आप कह रहे हैं कि किसी नियम के अनुसार है तो उसकी आपको इन्फोर्मेशन देनी चाहिए कि उस नोटिफिकेशन, जिसका कि रेफरेन्स दे रहे हैं, उसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं ? तो बहरहाल किसी लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत पॉवर होनी चाहिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट को । उस नोटिफिकेशन में उसका जिक्र होगा कि कौनसी पॉवर के तहत इश्यू किया है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : उसको देख लेंगे ।

श्री रावतराम : आप अन्दाजा लगाइये कि ५०००) रु० का लेना है और उसको रिकवर करेंगे तो ५०० रु० उससे कलेक्शन चार्जेज के वसूल करेंगे तो मिनिमम और मेक्जीमम क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस तरह से राजस्व की वसूली हो तो क्या उन नियमों के आधार पर उस पर भी कलैक्शन चार्जेज वसूल करेंगे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कोई नोटिफिकेशन....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जवाब तो आने दें उसका ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें यह सर्क्यूलर किस कानून के अन्दर है और कौन से प्रावधान के नीचे है, वह मेरे पास नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि जब नियमों के अन्तर्गत है और सूचना सदन की मेज पर रखी गई है तो बता दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सर्क्यूलर निकला है उसको बता दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्क्यूलर नियम नहीं होते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उसके पहले पैराग्राफ में it is written, "In pursuance of the powers given to the Government under such and such provision or rule" उसके बाद में कोई भी सर्क्यूलर गवर्नमेंट निकालती है । जिस नोटिफिकेशन में इस बात का रेफरेन्स नहीं है कि किस एक्ट के तहत निकाला गया है या किस रूल के तहत निकाला गया है तो वह अल्ट्रावायर्स है इसलिए गवर्नमेंट उसके तहत कोई भी वसूली करती है तो वह गैर कानूनी होगी ।

Page No. 27

श्री नाथूराम मिर्धा : गैर-कानूनी होगा तो अदालत करेगी कार्यवाही।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं; अदालत कैसे करेगी ? आखिर पंचायत समिति....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): विधान सभा के साथ....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान विधान सभा अदालत है। कानून नहीं है तो आप वसूल नहीं कर सकते। अदालत में जाकर किसान चाराजोई करे, यह आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आप मजबूर करते हैं तब "अदालत" बताता हूं। अगर आप मजबूर नहीं करते तो "अदालत" बताने की बात नहीं कहता। आपने कहा कि बताना पड़ेगा तो बता दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम ज्यादा मजबूर नहीं करते हैं, नहीं तो आप बता देंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) ; अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है तो कल भी बता दें। हमारी जानकारी यह है कि इसमें लीगल फोर्स नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अगले टर्न पर ले लेंगे या वित्त मंत्रीजी अगर बता सकते हैं तो बतायें। उनके विभाग से निकला है। वित्त मंत्रीजी नेक्स्ट टर्न पर जवाब देंगे।

(श्री रावतराम के बोलने पर)
Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : जवाब देने से पहले एग्जामिन करके वह जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एग्जामिन नहीं कराया है लॉ डिपार्टमेंट से। क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : Order please ! इसको अभी पोस्टपोन करते हैं, we are postponing this question. फाइनेन्स और लॉ वाले सारे देख कर इसका जवाब देंगे।

बात यह है कि पंचायत समिति स्टेच्यूटरी बॉडी है और केवल इसमें ही नहीं कई दूसरे मामलों में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जारी कर देते हैं। पंचायत राज कायम कर दिया, लेकिन वे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स....

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि के कारण अश्रव्य)

इसलिए बहुत सोच-समझ कर इन बातों को करना चाहिए।

(श्री अध्यक्ष)

(श्री रावतराम के बोलने पर) Order please ! यह प्रश्न बाद में लिया जायगा ।

(विराम)

श्री विजयसिंह ।

भूमि पर कब्जे सम्बन्धी नियम

८३८. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने ऐसे कोई नियम बनाये हैं जिनके अनुसार नाजायज़ भूमि पर जो कब्जा किसानों ने कर रखा है उस पर उनको अधिकार मिल जायगा ?

(२) यदि हां, तो भूमि पर कब्जे के लिए क्या आधार माना गया है ?

(३) इस नियम के अन्तर्गत उदयपुर जिले में कितनी भूमि पर किसानों का अधिकार हुआ तथा कितनी भूमि पर से किसान हटाये गये ?

(४) अब कितने केस बाकी हैं तथा उनका निर्णय कब तक होगा ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां । राजस्व (ख) विभाग के आदेश संख्या एफ० ३ (६६) राज (ख) ६२ दिनांक १-९-६२ के द्वारा इस प्रकार के मामले का नियमन हो सकता है ।

(२) जिन्स गिरदावरी में इन्द्राज तथा काश्तकार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण को आधार माना जाता है ।

(३) १००७६।१ भूमि पर किसानों का अधिकार हुआ एवं ३४७८।४ भूमि पर से किसान हटाये गये ।

(४) अब ६५२५ कस शेष हैं जो जुलाई १९६४ तक सम्भवतः फाइनल हो जावेंगे ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि उदयपुर जिला एक पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से एक बीघे पर मान लो कि उसका कब्जा है और उसने ५ जगह खेती की है अलग अलग टुकड़ों मे तो उसको उन टुकड़ों पर कब्जा देने के लिए सारी जमीन से हटा दिया जाता है, क्योंकि वह जमीन एग्रीकल्चर के काबिल नहीं होती है तो इसके बारे में कोई आप इसका सुझाव रखेंगे, और यह समस्या माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने भी, जब कई बार उदयपुर पधारे थे, रिप्रेजेन्टेशन के रूप मे रखी थी ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : आपका मतलब जो है वह पहाड़ी जमीन गैर-मुमकिन जमीन है उससे है ?

श्री विजयसिंह झाला : नहीं, उससे नहीं है । १० बीघा मान लें कि उसके कब्जे में है और तीन जगह है क्योंकि प्लेन नहीं होने की वजह से १० बीघे में तीन जगह खेती की है और वह दूर दूर पर हैं । तो तीन जगह पर कब्जा कायम रखने के लिए अलग अलग टुकड़ों पर कब्जा करे या १०

(श्री विजयसिंह झाला)

बीघा जमीन इसलिए वह नहीं दे सकता है क्योंकि वह खेती नहीं करता है । टुकड़ों टुकड़ों पर कब्जा देते हैं तो तीन जगह पर टुकड़ों पर कब्ज़ा करना पड़ता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रकार से कोई स्पेसिफिक बात नहीं है । आम तौर से गैर-मुमकिन जमीन पर कुछ जगह किसानों ने तैयार की है और उसके बारे में जितना भी कवर होता है तो कवर किया जाता है । उसके बारे में गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है । यह जो आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की भूमि पर टुकड़ों टुकड़ों पर अलग अलग कब्जा कर लिया है, यह बात इस वक्त गवर्नमेंट के सामने विचाराधीन नहीं है ।

(९.०० म० पू०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह केवल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये है या सम्पूर्ण राजस्थान के लिये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभी जगह लागू किया जायगा, एक जगह तो होगा नहीं लेकिन समूहिकरण को यह प्रॉब्लम दूसरी जगह जहां पहाड़ी इलाका नहीं है वहां होगी नहीं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह प्रश्न फ्रेग्मेन्टेशन ऑफ होल्डिंग का अधिकांश रूप में आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है । मेरे ख्याल से सरकार को इस बारे में कोई निश्चित पॉलिसी निर्धारित करनी चाहिये, नहीं तो बहुत पुराने कब्जे हैं जो आधा बीघा कहीं है, आधा बीघा कहीं और है--इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में फ्रेग्मेन्टेड होल्डिंग है । इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है, इस बारे में कोई न कोई पॉलिसी निर्धारित होना परम आवश्यक है ताकि लोगों के मन में शान्ति हो, स्थिरता हो; वे जानें जो कब्जा उनका है उसका परिणाम क्या होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फ्रेग्मेन्टेशन से इसका सम्बन्ध है नहीं, कंसोलिडेशन से हो सकता है; लेकिन जमीन की किस्मों में काफी फर्क है इसलिये लोग कंसोलिडेशन पसन्द नहीं करते । फ्रेग्मेन्टेशन की बात तो तब खड़ी होती है जब किसी का जमीन पर कब्ज़ा हो और उसमें से कुछ हिस्सा बेचता है, रेगुलराइज कराने की बात है जिसने कब्जा किया है ।

श्री विजयसिंह झाला : फ्रेग्मेन्टेशन का प्रश्न इसलिये है कि आधा बीघा एक जगह है तो आधा बीघा दूसरी जगह किसी पहाड़ी के पीछे है, दूर जाकर किसान को काश्त करनी होगी इसलिये कनेक्टेड एरिया में फिक्स करके किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : विचार कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फर्दर एसैसमेन्ट के बाद और क्या किया जाय, ३ जगह अनऑथोराइज्ड कब्जा कर रखा है इसलिये और जोड़ दिया जाय या किस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तरह किया जाय, यह सब विचार करने की बात है ।

श्री विजयसिंह झाला : आपके रेकॉर्ड में पुराना कब्जा १० बीघा दर्ज है लेकिन यह दस अलग अलग जगह है इसलिये....

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी ।

ऊंटों की चोरियां

८३९. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) फतहपुर तथा रामगढ़ के पुलिस थानों में ऊंट की चोरी के अप्रेल, १९६१ से दिसम्बर, १९६२ तक कितने मामले दर्ज हुए ?

(२) उक्त मामलों में से कितने मामलों में पुलिस ने ऊंट बरामद किये ?

(३) क्या देवास ग्राम के थाना फतहपुर (सीकर) के किसान मोतीराम की ऊंटनी की चोरी की रिपोर्ट भी थाना फतहपुर में दर्ज की गई ? यदि हां, तो कब ? इस सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) थाना फतहपुर में एक तथा रामगढ़ सेठों में चार ।

(२) दो में ऊंट बरामद हो चुके हैं। एक में पुलिस द्वारा तथा दूसरे में मुस्तगीस ने ऊंट बरामद करके ही थाने में मुकदमा दर्ज करवाया ।

(३) जी हां । दिनांक १९-५-६१ को मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान की गई । किन्तु सभी संभव प्रयासों के पश्चात् भी सफलता नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष : सभी संभव प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली ।

श्री बालूराम चौधरी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सभी संभव प्रयत्न क्या किये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुस्तगीस ने बार बार शिकायत की कि हनुमान मीणा पर चोरी करने का शक है, इसलिये हनुमान मीणा को इन्टरोगेट किया गया लेकिन भगवान ने उसको बीच में ही उठा लिया ।

श्री बालूराम चौधरी : चोरों का पता है लेकिन पुलिस चोरों से मिली हुई है, इसलिये वह चोरों का पता नहीं लगाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पांच चोरियां हुई—जिनमें से एक में कांजी हाउस में ऊंट मिल गया, दूसरे में स्वयं मुस्तगीस ने पेश कर दिया, तीसरे में शक हनुमान मीणा पर था उसको इन्टरोगेट किया गया लेकिन भगवान ने उसे उठा लिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पांच केसेज में से एक में भी पुलिस रिकवर नहीं कर सकी । एक में मुस्तगीस ने ही पेश कर दिया इसमें पुलिस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ने क्या मेहनत की, दूसरा कांजी हाउस में मिल गया इसमें भी पुलिस ने कोई मेहनत नहीं की, तीसरे में जिस पर शक था वह मर गया और बचे हुए दो, पुलिस बरामद नहीं कर सकी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस ऊंट के लिये जो खोज मिले उनके आधार पर मुस्तगीस ने बार बार पुलिस को कहा कि हनुमान मीणा पर उसका शक है तो पुलिस ने उसको इन्टेरोगेट किया लेकिन भगवान ने उसे उठा लिया ।

श्री अध्यक्ष : इन दोनों का संबंध तो नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुस्तगीस ने लाकर पेश किया उसमें भी पुलिस ने मेहनत की है । आपके यहां चोरी हो जाय और आप ही लाकर दें तो वह भी पुलिस की मेहनत के फलस्वरूप है । उसने हनुमान मीणा पर शक किया तो उसको बराबर इन्टरोगेट किया गया लेकिन वह बीच में ही मर गया ।

श्री बालूराम चौधरी : फतहगढ़, रतनगढ़ और चूरू ये तीन तहसीलें ऐसी हैं जहां सैकड़ों ऊंट चोरी जाते हैं । पुलिस में रिपोर्ट करने पर वह उन्हें बरामद कर नहीं पाती इसलिये पुलिस पर से लोगों का विश्वास उठ गया है । रिपोर्ट इसलिये की जाती है कि विशेष प्रभावशाली आदमी चाहते हैं कि चोरियां न हों और पुलिस सक्रिय रहे । लेकिन रिपोर्ट की जाती है तो नतीजा यह होता है चोरी बरामद नहीं की जाती है, इसलिये पुलिस पर से विश्वास उठता है और दूसरे लोगों की सहायता ली जाती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जनरेलाइजेशन करके कहते हैं कि विश्वास उठ गया लेकिन मैं नहीं मान सकता । विश्वास कहां उठ गया ? मैंने इन केसेज में रिजल्ट दिया है ऊंटों की चोरियों के बारे में । आप दूसरे जानवरों के बारे में या और प्रकार की चोरियों के बारे में कह रहे हैं तो तथ्य की बुनियाद पर कहें । वैसे ही आप कहें कि विश्वास उठ गया तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं । विश्वास जमा हुआ है ।

श्री बालूराम चौधरी : क्या मंत्रीजी विश्वास दिला सकते हैं कि हम उनको सुबूत दें, सहयोग दें तो क्या चोरियां बरामद की जायेंगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस संबंध में कहा है अनुसंधान होने पर भी नहीं मिला फिर भी ऊंट कहीं मिल गया हो, आपके दिमाग में हो तो बता दें, फिर अनुसंधान कर लेंगे । आपने आदमी बताया हनुमान उसको हमने इन्टरोगेट किया, वह मर गया । दूसरा कोई हनुमान बतावें तो उसको भी इन्टरोगेट करने को तैयार हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : चोरी का पता हम लगा कर बतावें तो फिर पुलिस क्या करती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के बारे में आप और हम सभी

Page No. 32

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जानते हैं कि लोग पहले खोज ढूंढते हैं और दस रोज उसमें लगा देते हैं और फिर आ कर रिपोर्ट करते हैं। आपने भी जनरलाइजेशन किया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ५० परसेन्ट उनको देकर, खुरा देकर वापिस लाना पड़ता है, आप इसकी जांच करा लीजिये, यही स्थिति है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप तथ्य भेज दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पुलिस के अपने खोजी होते हैं तो उनको खुरा देना चाहिये, फिर प्रश्न कहां पैदा होता है गांव वालों के देने का ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लोग पुलिस की सहायता पहले नहीं लेते। पहले अपने खोजो से चोर की तलहम करते हैं और जब उसमें असफल हो जाते हैं तब पुलिस के पास आते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब आप जानते हैं कि फलां ऊंट चोरी हो गया, तो क्या पुलिस का कर्त्तव्य नहीं हो जाता कि चोरी का पता लगावे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वे पुलिस को पहले इत्तला नहीं देते हैं, अपने ही खोजों से चलते हैं, जब थक जाते हैं तब पुलिस के पास आते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई ? क्या इसलिये हुई कि पुलिस आम तौर से चोरियां बरामद नहीं करती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी स्थिति यों पैदा होती है कि थाने में इत्तला देने से पहले लोग उसकी इधर उधर तलाश करते हैं, ऐसा इसलिये करना चाहते हैं कि वह अपने आप मिल जाय। उनको यह ख्याल रहता है कि शायद इधर उधर हो गया हो या कांजी हाउस में मिल जाय, इसलिये जब तक उनको पक्का विश्वास नहीं होता कि चोरी गया है तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह वजह नहीं है कि पहले चोरी का पर्चा चॉक आउट पुलिस में कराना होता है और यह चॉक आउट कराना कठिन है ? अव्वल तो पुलिस थाने वाले आसानी से पर्चा लेते नहीं और यदि ले लें तो वे यह पसन्द करते हैं कि गांव के खोजी इसका पता लगावें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इत्तला देने का प्रोसीजर दो मिनट का है, थाने में गये, माल चोरी हुआ उसको दर्ज कराया और तफतीश शुरू हो जाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर साइड और प्रेक्टिकल साइड में लंबा-चौड़ा अंतर नहीं है; दो-चार मिनट का ही मामला है The first information was lodged, registered and investigation started.

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : ५ ऊंटों की चोरियों के बारे में आपने बताया

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कि एक में तो मुस्तगीस ने बरामद होने की इत्तला दी, एक कांजी हाउस में मिल गया और बाकी की खोज की गई। मेरी सूचना है कि इस संबंधित पुलिस स्टेशन पर कोई खोजी नही है और न कोई व्यवस्था है। मुस्तगीस स्वयं खोज करें तो करें, इसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्री निरंजननाथ आचार्य : खोजी से अ॰ यह है, उनको पुलिस में कॉन्स्टेबल के बराबर रखते हैं। वैसे यह खोजी का आर्ट है; वह अजीब आर्ट है....

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही जानकारी है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अगर हम ट्रेन्ड करना चाहें तो मुश्किल है। यह ट्रेडीशनल आर्ट है। इसलिए गांव के लोगों से मदद लेते हैं और कॉन्स्टेबल में होते हैं तो उनकी मदद लेते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : सम्बन्धित प्रश्न केवल पांच ऊंटों के बारे में है, उसमें पुलिस की तरफ से खोजियो का सहयोग लिया है और लिया है तो क्या लिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : खोज का काम जल्दी से जल्दी होता है, तो खोज मिल जाते हैं। इन ऊंटों के खोज नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम।

एक माननीय सदस्य : यह बात टाली जा रही है....

श्री चौसरसिंह (वेंग्र) : यह जो खोजी वाली बात कहते हैं....

श्री बालूराम चौधरी : कई कई थानों में खोजी नहीं है। जब चोरी हो जाती है तो थाने में जाकर इत्तला देते हैं, और खोजी न मिलने से वे लोग आठ-दस-बीस मील निकल जाते हैं। जब इतने लम्बे चले जाते हैं और आठ-दस घंटे हो जाते हैं तो खोज मिट जाते हैं। इसलिए हर थाने में खोजी होने चाहिए। रामगढ़ के थाने में खोजी नही है। हमारा कई दफा काम पड़ा है। वहां खोजी न होने से आठ-दस मील वे निकल जाते हैं और कई घंटे निकल जाने के कारण खोज गायब हो जाते हैं। इसलिए पुलिस की तरफ से थानों में खोजी होना जरूरी है।

श्री चौसरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि खोजी अगर पुलिस की राय के अनुसार रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, इसलिए लोग खोजी का काम करने के लिए नही आते हैं। और इसलिए जो खोजी जाते हैं वे खोज की सही रिपोर्ट नही देते हैं, वे गलत रिपोर्ट देते हैं। ज्यादातर खोजी थाने में नहीं आते है। इसलिए इसकी व्यवस्था करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जैसा मैंने अर्ज किया, यह वंश परम्परागत राइट है। जैसे—हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, वह हमारी समझ में आ जाता है....

श्री अध्यक्ष : वह सब ठीक है। मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग खोज

(श्री अध्यक्ष)

जरूर कर सकते हैं, वे खोज पहचानते हैं। अब माननीय सदस्यों का सुझाव है, क्या ऐसे लोगों को सरकार एम्प्लॉय करेगी पुलिस थानों में जहां जहां चोरियां होती हैं वहां रोकने की व्यवस्था करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा यह ख्याल है कि यह इन्स्टिक्ट है। जहां तक खोज का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : इन्स्टिक्ट कह देने से बात खत्म नहीं हो जायेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा सवाल खोजी रखने का है, यह बहुत बड़ एक्सपेंडीचर का प्रश्न है। इसलिए खोजी रखना हर थाने पर ज्यादा सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कॉन्स्टेबल की जो स्ट्रेन्थ है उसी में खोजी रख सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रयास करते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रयास करते हैं तो कहिये कि प्रयास करते हैं और ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सीधी बात कहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कॉन्स्टेबल्स में से जो कॉन्स्टेबल इस प्रश्न को समझते हैं उनका हमने सहयोग लिया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल में आप माननीय सदस्यों की मन्शा को समझ गये हैं। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एक बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री मोतीलाल चौधरी।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

लगान की वापसी

२५६. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मावली से बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन बनने से कितने गांवों के कितने किसानों की खेती की कितनी जमीनें गई ? क्या उक्त जमीनों का लगान अब तक वसूल हो रहा है ?

(२) यह रेलवे लाइन कितने वर्षों पहले निकली और अब तक जमीन वालों से जो लगान वसूल होता रहा क्या उसे वापस लौटाने का फैसला सरकार ने किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और यदि हां, तो कब तक मिल जावेगा ?

उत्तर

(१) मावली-बड़ी सादड़ी रेलवे लाइन

Page No. 35

(श्री राजस्व मंत्री)

तहसील मावली व बल्लभनगर में होकर निकाली गई। जिसका रेकॉर्ड तहसीलों में नहीं है, सिर्फ तहसील बल्लभनगर के करीब ५ गांवों मे ६४ किसानों की भूमि ४२।।)३ बीघा का लगान वसूल हो रहा है।

(२) यह रेलवे लाइन २५ वर्ष पहले निकली है। केवल तहसील बल्लभनगर के करीब ५ गांवों के ६४ किसानों की भूमि ४२।।)३ बीघा का लगान ७९.२१ न. पै. वसूल हो रहा है व रबी की वसूली मे नहीं लेने का प्रबन्ध कर दिया गया है। पिछले वर्षों का रिफन्ड करने की कार्यवाही इसी वर्ष से पूरी करा दी जावेगी।

मौसर--नावां तहसील

२५७. श्री हनुमानसिह चौधरी (नावां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नावा तहसील मे सन् १९६२ में कुल कितने मौसर हुए और उनमें से कितनों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की गई ?

(२) अदालती कार्यवाही वाले मुकदमात् का क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(१) नावां तहसील में सन् १९६२ मे केवल दो मौसर हुए और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अदालती कार्यवाही की गई।

(२) अदालती कार्यवाही वाले मुकदमों में अभियुक्तों को बरी किया गया।

लगान पर सरचार्ज

२५८. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९६३--६४ में लगान पर सरचार्ज से जिलेवार क्या २ आमदनी होने का अनुमान है ? इस सरचार्ज से प्रत्येक जिले में कितने २ किसान प्रभावित होंगे ? जिलेवार आंकड़े देने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

यह सूचना सरचार्ज की पुरानी रेट के अनुसार तैयार की गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

मृतक लावारिस के मकान की जमीन

२५९. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ग्राम नोनेरा, तहसील पीपलदा, जिला कोटा में मृतक लावारिस श्री नन्दकिशोर महाजन के मकान की जमीन को ग्राम पंचायत नोनेरा को, उसकी दरख्वास्त के अनुसार, वहां मिडिल स्कूल की इमारत बनवाने के लिये, इस जमीन के सम्बन्ध में सैशन जज कोटा की अदालत से फैसला होने के बाद देने का विचार रखती है ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

इस जमीन के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट जज, कोटा की अदालत से कोई फैसला अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर, कोटा ने पंचायत नोनेरा की दरख्वास्त पर उप-जिलाधीश, कोटा तथा तहसीलदार, पीपलदा से रिपोर्ट मांगी है जिसकी प्राप्ति पर निर्णय लिया जावेगा। लावारिस जमं न करार पाने व सरकारी होने के निर्णय लेने के पश्चात् नवीन एलॉटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत स्कूल के लिये दिये जाने की कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकेगा।

सिंचाई विभाग के बांध--तहसील निवाई

२६०. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने क कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई में सिंचाई विभाग के कितने बांध हैं और प्रत्येक से कितने कितने एकड़ की सिंचाई होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) तहसील निवाई में सिंचाई के ऐसे कितने बांध हैं जो पंचायत को दे दिये गये हैं ? उनकी पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) निवाई तहसील में सिंचाई विभाग के ११ बांध हैं। उनसे सन् ६१-६२ व ६२-६३ में हुई सिंचाई संलग्न सूची में अंकित है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(२) वैसे १३ बांध हैं जिनकी सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीज बहुगुणन प्रक्षेत्र

२६१. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Agriculture please say—

(1) How many Seed Multiplication Farms do we have in our Stats ? How many of them are managed by the Department and how many by the Panchayat Samitis ? How much expenditure (recurring as well as non-recurring) has been incurred on them since they were started and what have the returns amounted to ? Kindly supply this information separately for those managed by the Department and those by the Samitis ?

(2) Have all these farms been properly fenced ? How many of them have not ? Does this not result in considerable losses in outputs ?

(3) On what criteria are funds allotted to these farms ? Is it not a fact that the non-availability of timely and adequate funds has been the chief reason why these farms have not been able to give

(श्री केसरीसिंह)

the return that were expected of them? If not, what really has been?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

डिस्पेन्सरीज़ खोलने के आधार

२९२. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डिस्पेन्सरी किन आधारों पर खोली जाती हैं? क्या इसके लिये जनता का योगदान आवश्यक है? यदि हां, तो क्या?

(२) जयपुर जिले में कितनी डिस्पेन्सरियां हैं और कहां कहां? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) तहसील सांगानेर, तहसील आमेर और तहसील जमवा-रामगढ़ के किन किन गांवों में डिस्पेन्सरी खोले जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इन गांवों में डिस्पेन्सरियां कब तक खोल दी जावेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) अगर सरकार के पास प्लान में नई डिस्पेन्सरी या प्रसूति गृह होने का लक्ष्य होता है तो उनको खोलने की स्वीकृति देने के पहिले निम्न बातों का ध्यान रखते हुए स्वीकृति दी जाती है :

(क) जिस जगह डिस्पेन्सरी अथवा मातृ प्रसूति गृह खोलने की मांग की जावे, उस जगह की आबादी ३,००० या ३,००० से अधिक होनी चाहिये। उस स्थान पर या उस स्थान के ५ या ६ मील के घेरे में कोई डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह या आयुर्वेदिक औषधालय अथवा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र या उसका कोई उप-केन्द्र नहीं होना चाहिए।

(ख) डिस्पेन्सरी या प्रसूति गृह के होने के लिये भवन का दान उपलब्ध होना आवश्यक है।

(२) जयपुर जिले में २९ डिस्पेन्सरीज़ हैं। इसके अलावा २३ होस्पिटल, १४ पी० एच० सीज़ तथा ६ मातृ सेवा सदन हैं। इस तरह ९२ छोटे बड़े चिकित्सालय हैं। सूची संलग्न है।

(३) तहसील सांगानेर, तहसील आमेर और तहसील जमवा के निम्न ग्रामों से डिस्पेन्सरी खोलने हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

तहसील आमेर :—

(क) अचराले की जनता की ओर से फरवरी सन् १९६२ में एक डिस्पेन्सरी खोलने का प्रस्ताव आया था परन्तु वहां पर एक आयुर्वेदिक औषधालय पहिले से ही होने के कारण डिस्पेन्सरी खोलने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी।

(ख) जोहाटा ग्राम की जनता की ओर से मई सन् १९६३ में एक डिस्पेन्सरी खोलने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी लेकिन १९६३-६४ के प्लान बजट में नई डिस्पेन्सरी, खोलने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस

(श्री चिकित्सा मंत्री)

प्रार्थना-पत्र पर कोई गौर नहीं किया जा सका।

(ग) तहसील जमवा—रामगढ़ और तहसील सांगानेर में किसी स्थान पर डिस्पेन्सरी खोलने की प्रार्थना इस समय इस कार्यालय के समक्ष नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(९.१२ म० पू०)

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (सभापति, प्राक्कलन समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ के ४ प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(१) प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ का सिंचाई योजनाओं (सिंचाई विभाग तथा राजस्थान नहर परियोजना विभाग) से सम्बन्धित सोलहवां प्रतिवेदन।

(२) प्राक्कलन समिति १९६१-६२ के २४वें प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ९वां प्रतिवेदन (जन-सम्पर्क विभाग)।

(३) प्राक्कलन समिति १९६०-६१ के २०वें प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में १०वां प्रतिवेदन (योजना एवं विकास विभाग)।

(४) प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के दूसरे प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ११वां प्रतिवेदन (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग)।

(९.१५ म० पू०)

राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर लाइसेंसिग ऑर्डर, १९६४ से उत्पन्न स्थिति पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ पर चर्चा। श्री वाई० एन० हांडा।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने वाद-विवाद करने का अवसर नही लिया) श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर के सम्बन्ध में....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक एडजोर्नमेंट मोशन था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एडजोर्नमेंट मोशन पर भी इस चर्चा में हिस्सा ले लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर के सम्बन्ध में चर्चा में हिस्सा लेते हुए सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : श्री मानिकचन्द सुराणा के बाद मैं अपना समय ले लूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर का जो भी विरोध हुआ है उसका मुख्य कारण, इसमें जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, वह है । उसके अन्दर है--पांच सौ, साढ़े सात सौ और एक हजार की सिक्योरिटी अनाज के व्यापारियों से लेना चाहते हैं । उसमें इस बात की तवज्जोह बहुत कम रखी गई है कि वास्तव में रिटेलर्स की प्रोब्लम क्यों है ? जो खुदरा व्यापारी हैं अनाज के, उनसे कम से कम पांच सौ की सिक्योरिटी की मांग आपने की है । कोई आदमी पचास क्विन्टल से सौ क्विन्टल तक यानि डेढ़ सौ बोरी अनाज बेचता है तो उससे सरकार पांच सौ रुपये की सिक्योरिटी चाहती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक होल सैल डीलर्स का प्रश्न है, वहां तक आपके द्वारा १ हजार की सिक्योरिटी लेना उचित कहा जा सकता है । लेकिन जहां तक खुदरा व्यापारियों का प्रश्न है और उनमें भी विशेष तौर से जो गांवों के अन्दर छोटे छोटे व्यापारी बैठे हैं, जो खुदरा व्यापार करते हैं और अनाज बेचते हैं, उनके लिए भी पांच सौ और साढ़े सात सौ और हजार रुपये की सिक्योरिटी का प्रावधान है-- यह प्रावधान बहुत स्ट्रिन्जेन्ट है । गांव के लोग एक हजार से सारा व्यापार चलाते हैं अनाज का, गेहूं का, जौ का, और चीजों का, उसके पास इतनी पूंजी नहीं हो सकती कि पांच सौ, सात सौ या एक हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करायें । ऐसी हालत में एक ही निष्कर्ष हो सकता है कि या तो वह व्यापारी व्यापार बन्द कर दे या व्यापार को चलाने के लिए, ऐसे लोगों से जो सामर्थ्यवान हैं, पांच सौ, सात सौ या एक हजार रुपये उधार ले, उसको अपनी दूकान में पार्टनरशिप दे और वह स्लिपिंग पार्टनर छोटे व्यापारी के मुनाफे का फायदा उठाये । मैं समझता हूं, अगर सरकार कठिनाई महसूस करती है कि यदि लाइसेंस की कन्डीशन्स का ब्रीच हो तो क्या करे, तो वह ब्रीच के एवजाने में फोरन रुपया व्यापारी से वसूल कर सकती है और जो मार्जिन ऑफ प्रोफिट होगा, जिसका सरकार ने अपने लाइसेंसिंग ऑर्डर में संकेत किया है, उसका उल्लंघन व्यापारी करे तो उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है और एवजाना वसूल कर सकती है । यह सरकार की इन्टेन्शन है, मैं इसका विरोध नहीं करता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम केशियर रखते हैं, अकाउन्टेन्ट रखते हैं तो उनसे पांच हजार, दस हजार की सिक्योरिटी मांगते हैं । लेकिन जिनके पास केश सिक्योरिटी नहीं है, उनसे फीडेलिटी बोन्ड, इन्डेमिनिटी बोन्ड लेते हैं । वे इन्श्योरेन्स कम्पनी से इस तरीके से इन्श्योरेन्स कराते हैं कि अगर उनसे एक हजार की सिक्योरिटी मांगते हैं तो इन्श्योरेन्स कम्पनी उनसे पांच रुपये एक साल के लेकर एक हजार की सिक्योरिटी की गारन्टी स्टेन्ड करती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों से, जो केश को हैंडल करते हैं, रोकड़ रखते हैं, जो लाखों रुपये का ट्रान्जेक्शन करते हैं, और जिनके लिए पांच हजार, दस हजार की सिक्योरिटी का प्रश्न आता है--वहां इन्श्योरेन्स कम्पनी

Page No. 40

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के फिडेलिटी बोन्ड स्वीकार करती है। तो फिर कोई कारण नहीं है कि व्यापारी के मामले में गवर्नमेंट फिडेलिटी बोन्ड, जिसके लिए इन्श्योरेन्स कम्पनी गारन्टी स्टेन्ड करे, स्वीकार न करे और ऐसा कोई प्रश्न आता हो तो सरकार उससे अपनी रकम तुरन्त वसूल कर ले। लेकिन इस बात की सरकार को चिन्ता नहीं है।

जैसा खाद्य मंत्री ने कहा--हम तो इसके जरिये करोड़ों रुपये इकट्ठा करेंगे। लगता ऐसा है कि राजस्थान सरकार सिर्फ व्यापारी पर पैनल्टी इम्पोज़ करे और लाइसेन्स की कन्डीशन्स को मान्य करा ले--इस बात की सरकार को चिन्ता नहीं है, बल्कि इस बात से ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि इस लाइसेंसिंग ऑर्डर के जरिये इस सरकार के पास कम से कम तीन करोड़ रुपये आयें और उस साढ़े चार परसैन्ट के हिसाब से इन्ट्रेस्ट मिले। इस तरह यह कोई १२, १३ लाख की रेवेन्यू मुफ्त में लेना चाहती है। खाद्य मंत्री ने साफ कह दिया कि जैसे बैंक सारे डिपोजिट्स पर, सारे रुपये पर इन्ट्रेस्ट देती है उस प्रकार इन सिक्योरिटी पर इन्ट्रेस्ट के रूप में रुपया नहीं देना चाहते। मैं इस सिद्धान्त को कोई नैतिक आचरण नहीं मानता। बैंकों में रुपया जमा करायें तो इन्ट्रेस्ट की मांग करें और जो रुपया आपके पास जमा कराते हैं उस पर इन्ट्रेस्ट नहीं देते हैं, यह कहां का न्याय है। इन्श्योरेन्स कम्पनी के फिडेलिटी बोन्ड और केश सिक्योरिटी में कानूनी अन्तर नहीं है, अगर आप पैनल्टी इम्पोज़ करते हैं तो जो इन्श्योरेन्स कम्पनी गारन्टी देती है वह गारन्टी पूरी करेगी--इसमें शक की बात नहीं है।

इसके बाद भी मैं कहूंगा कि आपकी इन सारी सिक्योरिटी के प्रावधानों को रखने के बावजूद भी जो गांवों और शहरों के खुदरा व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप बोन्ड्स की व्यवस्था करें और खुदरा व्यापारियों के लिये, जिनकी ज्यादा तादाद है, सिक्योरिटी की रकम कम हो, ऐसी व्यवस्था करें। यदि आप खुदरा व्यापारियों के लिये ५००) रु० सिक्योरिटी करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि खुदरा व्यापारियों के लिये आप १०० और २००) के बीच में सिक्योरिटी की व्यवस्था करें। इसके लिये आपको विचार करना चाहिये। राजस्थान में राइज़िंग प्राइसेज़ की समस्या सिक्योरिटी से हल नहीं होगी और न इससे, जैसा आपने यह प्रावधान रखा है कि ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन जो मुनाफा तय करेगी इससे ज्यादा मुनाफा कोई भी व्यापारी नहीं लेगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन व्यापारियों का मुनाफा तय करे इतना ही काफी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को यह करना चाहिये कि ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन के सारे थोक और खुदरा व्यापारी एक सेर अनाज पर ५ नये पैसों से ज्यादा मुनाफा कुल मिला कर नही ले सकें। इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये। जिससे एक क्विन्टल पर ज्यादा से ज्यादा ५) रु० का मुनाफा मिल सके। एक क्विन्टल में १०० किलो होते हैं। पांच रुपये क्विन्टल लाभ का मतलब यह होगा कि २।।) रु० या पोने तीन रुपये मन पर मुनाफा और एक मन पर दो रुपये से ज्यादा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

थोक और खुदरा व्यापारी न लें सकें—इस बात के ऑर्डर होने चाहिये। सिर्फ हमें इसको ग्रेन डीलर्स एसोसियेशन की मर्जी पर नहीं छोड़ देना चाहिये। उनकी मर्जी पर इसको छोड़ना काफी नहीं होगा। इसके लिये मुनाफे की दर सरकार को नियुक्त कर देनी चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस ऑर्डर का पालन स्ट्रिक्टली कराया जाना चाहिये और अगर कोई ऑर्डर की पाबन्दी नहीं करता है इसकी पेनल्टी यह नहीं हो कि आप उसका लाइसेन्स जब्त कर दें। इसका इलाज यह होना चाहिये कि अगर कोई व्यापारी ऊंचे भाव से बेचता है और लाभ उठाता है तो वह लाभ हमारी संगठित निधि का पार्ट होगा और वह उससे वसूल किया जावेगा। तब जाकर देश में जो मुनाफाखोरी की जा रही है उस पर चैक आप लगा सकते हैं कि यदि कोई व्यापारी ज्यादा मुनाफा लेता है तो उसके लाइसेन्स को जब्त कर लेंगे। अगर आपका डिप्टी सप्लाई ऑफिसर उनसे मिल जाय तो वह इसमें लखपति हो जावेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर सेल्स टैक्स ऑफिसर को यह पॉवर्स दिये जावें कि व्यापारी मुकर्रर किये हुए मुनाफे से ज्यादा मुनाफा करता है तो अतिरिक्त मुनाफे को कन्सोलिडेटेड फन्ड का पार्ट बनाया जावे और उस व्यापारी से वसूल किया जावे।

इसके अतिरिक्त और भी कुछ कठिनाइयां इसमें मेरे सामने आई हैं जिनको मैं यहां पर रखना चाहता हूं। अपील करने के अधिकारों को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। अगर ऑफिसर उन व्यापारियों पर किसी प्रकार की पेनल्टी इम्पोज़ करता है तो हजारों गांवों में खुदरा व्यापारी रहते हैं उनको अपील करने के लिये जयपुर आने के लिये बाध्य किया जावेगा। इसलिये, उनकी अपील, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होनी चाहिये—इसके लिये उसको अधिकार दिये जावें और अगर आप हमारा सुझाव मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट जज को यह पॉवर्स दिये जाने चाहिये ताकि लोगों को अच्छा इन्साफ मिले और सहूलियत भी मिले।

इसके साथ ही जहां आपने रिटर्न मांगा है वहां आपने तीन दिन की अवधि दी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज व्यापारी प्राइवेट ट्रेडर्स ही नहीं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और अन्य संस्थाएं भी हैं। तीन दिन की अवधि जो आपने दी है वह बहुत कम है। कम से कम एक सप्ताह होनी चाहिये। जिससे वे अच्छी तरह से देख कर आपको सूचना दें कि १५ दिनों में कितना माल खरीदा और कितना बेचा। इसलिये इसके लिये एक सप्ताह का समय होना ही चाहिये।

इसके अलावा सबसे ऑब्जेक्शनेबल चीज है वह यह कि आपने माल की जो औसत क्रय की रकम है उसको इन्टीमेट करने के लिये रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि औसत रकम खरीद से आप क्या निर्णय करना चाहते हैं। कितना माल खरीदा गया, कितना किस भाव से खरीदा गया और १५ दिन में कितना औसत हुआ—इससे व्यापारी को अननेसेसरी हरैसमेंट ही होगा और सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप पर्टीक्यूलरली यह देखें कि कितने में खरीदा और

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कितने में किस भाव से बेचा। इसमें औसत क्या है, इससे कुछ भी सरकार को फायदा नहीं होगा, उल्टा लाल फीताशाही को प्रोत्साहन मिलेगा। व्यापारियों को इसके लिये क्लर्क रखने पड़ेंगे और यदि कोई क्लर्क रखने की पोजीशन में नहीं होगा तो उन व्यापारियों को आप व्यापार करने में असमर्थ करेंगे।

इसमे यह भी व्यवस्था की गई है कि व्यापारी आपको नाज की सूचना दें वह क्विन्टल्स में दें। मैं कहूंगा कि आपके खुद के सरकारी गोदाम भी हैं वहां के नाज के बारे में भी आपको क्विन्टल्स में सूचना देना संभव नहीं है। क्योंकि बोरियों में ही धान रखा रहता है और हर एक व्यक्ति जानता है कि एक बोरी में ९४ या ९५ किलो तक नाज वेराई करता है। यदि १५ दिन के बाद उसको तोल कर बतावें कि उनके पास कितना क्विन्टल स्टॉक है तो उनको एसैस करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसका नतीजा यह होगा कि व्यापारी आपके डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से हर समय डरते रहेंगे और व्यापारी उनको घूस देते रहेंगे और कानून के डिस्क्रीशन को यूज करके वे अधिकारी लखपति बन जावेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह नीति का सवाल नहीं है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ने का मौका मिलेगा। लाल फीताशाही बढ़ेगी। इसलिये ऐसे प्रोवीज़न को आप रिमूव करें, जिससे लाल फीताशाही को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिले।

अन्त में मैं कहूंगा कि मार्जिनल प्रोफिट को फूड ग्रेन डीलर्स पर छोड़ना ठीक नहीं है, हमारे देश में ५ नये पैसे प्रति किलो से ज्यादा खुदरा और दूसरे व्यापारी मुनाफा न लें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। इन बातों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और आपसे यही निवेदन है कि आज जगह जगह हड़तालें हो रही हैं यदि आपका इस प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा गया तो यह समस्या हल हो सकती है। और यह नहीं रखा तो आप इन छोटे और खुदरा व्यापारियों को स्वतन्त्र पार्टी में फेंक देंगे और जिस समाजवाद की ओर बढ़ने का आपका नारा है उस ओर नहीं बढ़ेंगे। और १९६७ में आने वाले चुनावों के लिये आप स्वतन्त्र पार्टी के हाथ मजबूत कर देंगे ऐसी संभावना है। आपके ३० हजार सक्रिय सदस्य हों या नहीं मगर ये ३० हजार आपके ये सक्रिय विरोधी व्यापारी अवश्य आपके खिलाफ हो जावेंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मसले पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करें, अन्यथा आप जानें। मगर मार्जिनल प्रोफिट का निश्चित तौर से प्रावधान कराया जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५८ के फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर्स को रिपील करके आज राजस्थान सरकार ने राजस्थान फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ को ३१ मार्च से लागू किया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की अनाज के व्यापार की स्थिति चल रही है, जिसमें सरकार ने अपने संतुलन के माफिक ११ अनाजों को शामिल किया है वह स्थिति आज ही पैदा हुई हो, ऐसी बात नहीं है। २ अक्टूबर, १९६२ से यह एप्रिहेन्शन सारे देश का था कि अनाज और

Page No. 43

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कन्ज्यूमर्स गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी। और सरकार वचनबद्ध थी कि बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये पूरे प्रिकॉशन्स लेगी और गम्भीरता से इस स्थिति पर काबू किये रहेगी। मध्यम वर्ग के लोगों को, किसानों को और मजदूरों को सरकार ने निश्चित आश्वासन दिया था कि हर प्रकार की रोक बढ़ती हुई कीमतों पर लगाई जायगी। पर सरकार इसमें असफल रही। पिछले महीनों से इन कीमतों में एब्नोर्मल इन्क्रीज हुई है। गेहूं की कीमतें २० से ३० तक हो गईं, चने की कीमतें २० से २५ तक हो गईं, मक्का की भी कीमतें बढ़ गईं और सारे राजस्थान में, सारे देश में इस प्रकार की पुकार उठी कि इन बढ़ती हुई कीमतों को हर प्रकार से रोका जाय। सरकार के पास ऐसे कानून थे, जिनको सरकार ने अब रिपील किया है, उनके अन्तर्गत सरकार को इस प्रकार के कदम उठा लेने चाहिये थे जिनसे बढ़ती हुई कीमतें रोकी जा सकतीं। पर सरकार ने समय पर इस प्रकार के कोई कदम नहीं उठाये। आज जो मार्जिन्स ऑफ प्रोफिट्स हैं उनसे कानून की अवहेलना तो हुई है पर किसानों के साथ हर साल यही होता जा रहा है कि जब वे अनाज निकालते हैं, जब वे अपना अनाज बाजार में लाते हैं तब कीमतें कम की हुई होती हैं और जिस समय उनको बीज खरीदना होता है, जिस समय उनका खाने का अनाज खत्म हो जाता है, उस वक्त कीमतें एकदम बढ़ी हुई होती हैं। माननीय अध्यक्ष, अगर पिछले पांच साल के आंकड़ों को उठा कर देखा जाय तो यही स्थिति मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : जनरल बहस न करें, जो खास मुद्दा है वही रखें, ५-१० मिनिट में ही हर एक को बोलना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तथ्य को एस्टेब्लिश करके इसी पर आ रहा हूं। व्यापारी भाव बढ़ा देते हैं, उस पर सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं। वापिस लौटते हैं तो वे भाव नहीं होते। सरकार व्यापारियों की इस कॉन्स्पिरेसी को हर साल प्रोत्साहन देती आ रही है। ५०० क्विन्टल्स, १००० क्विन्टल्स तक इस ऑर्डर से सिक्योरिटी मांगी है, सरकार ने एक ऑथोरिटी एस्टेब्लिश की है, स्टॉक्स मांगे हैं पर इस सारे ऑर्डर की डेफिनेशन्स को देखा जाय तो डीलर की डेफिनेशन है इसमें होल सेलर और रिटेलर का कहीं वर्णन नहीं है। इसके अतिरिक्त सारे प्रावधानों में मार्जिन ऑफ प्रोफिट को ऑब्जर्व करने और कन्ट्रोल करने के प्रावधान को कहीं स्पेसिफिकली इस ऑर्डर में शामिल नहीं किया है, जबकि मार्जिन ऑफ प्रोफिट हर साल बढ़ता जा रहा है।

इसके अलावा अनाज के व्यापारियों की क्रेडिटिंग पॉवर है। स्टॉक्स के ऊपर वे बैंक्स से क्रेडिट लेते हैं, वह क्रेडिटिंग पॉवर अनाज की कीमतों के उतार चढ़ाव में बड़ा, भारी रोल अदा करती है। बैंक्स स्टॉक्स के अगेन्स्ट में लोन्स देते हैं, जिनका अनाज-मंडियों में बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल है। जिसका सबूत हमें सवाई-माधोपुर में मिला, सवाई-माधोपुर में बैंकों ने स्टॉक पर व्यापारियों को पैसा देना बन्द कर दिया तो अनाज की कीमतें नीचे उतर आईं। पर इसको कन्ट्रोल करने और रेगुलेट करने के सम्बन्ध में सरकार

Page No. 44

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ने कोई निश्चित कदम नहीं उठाया। छोटे छोटे धंधे करने वालों से, एक हजार क्विन्टल अनाज का धंधा करने वाले लोगों से, दो मन २७ सेर की भी बोरी मानी जाय तो हजार बोरियों का धंधा करने वाले, ७० बोरियों का धंधा करने वाले और ६ बोरी रोज का धंधा करने वाले लोगों से आप सिक्योरिटी ले रहे हैं, ७५० रुपया, १००० रुपया वे लोग जमा करायें। ६ बोरी रोज का यदि कोई धंधा करता है उसको देखें तो यह कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं है, आज उन्हें सरकार स्पेशली पिन-डाउन करना चाहती है। वह डेली सेल्स का रजिस्टर मेन्टेन करे, सात दिन में अकाउन्ट्स दे, तीन दिन के अन्दर अन्दर अकाउन्ट्स सरकार को सब्मिट कर दे-इससे आप ऐसी क्लास को विक्टिमाइज करना चाहते हैं जो गांवों में बैठे हैं। इस प्रकार के स्टेप्स लेने से काम नहीं चलेगा। इस क्लास, जो बैंक्स से लोन लेती है, स्टॉक्स पर पैसा लेती है, मार्जिन ऑफ प्रोफिट को इन्क्रीज करती है, समाज में ब्लैक मनी को एग्जिस्ट करती है, को स्पेसिफिकली टार्गेट करना पड़ेगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। इनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देकर जो छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग गांवों में बैठे हैं, जो ६ बोरी रोज का धंधा करते हैं या जो लोग १०-१५ बोरी महीने का धंधा करने वाले लोग हैं उनके लिये ऐसी ऑथोरिटी क्रियेट करे कि वे लोग १००० रुपया सरकार के पास जमा करा दें और उसी ऑथोरिटी में सरकार जिसे चाहे एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, किसी का लाइसेंस कैन्सिल कर दिया जाता है उस ऑथोरिटी के द्वारा तो उसकी अपील भी सरकार में निर्धारित है। दो बोरी रोज का धंधा करने वाला एक छोटा व्यापारी, जो गंगापुर, डूंगरपुर, कोटा या अलवर का रहने वाला है, अगर सरकार द्वारा अपॉइन्ट की गई इस ऑथोरिटी के द्वारा विक्टिमाइज हो जाता है तो वह वहां से चल कर जयपुर आये और सरकार के पास अपील करे कि सरकार उसको राहत दे, तो इसमें उसको कितना खर्चा पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि दो बोरी रोज का धंधा करने वाला इस खर्च को बर्दाश्त कर के यहां आ सकता है?

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में दो राय नहीं कि इन प्राइसेज को कन्ट्रोल किया जाना चाहिये था। आज गेहूं की कटाई हो गई है, बहुत जल्दी गेहूं बाजार में आने वाला है, पहले ही बहुत बड़ा अनाज का जखीरा व्यापारियों ने राजस्थान के बाहर निकाल दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, जिला गंगानगर जो कि राजस्थान की ग्रेनरी है वहां के सारे स्टॉक्स डिस्पोज ऑफ हो गये हैं। अकाल के कारण और नहरी पानी की कमी के कारण अगला आने वाला जो अनाज का स्टॉक है वह बहुत कम होगा, लेकिन इस बीच सरकार सोती रही, जागी नहीं। आज बाजार मे किसान अपनी फसल लाने वाला है, तो सरकार अपनी नींद से एकदम जगी। मैं समझता हूं आज भी जग गई तो ठीक है पर वह ठीक तरह से नहीं जगी है जिससे कि वह होर्डर्स और स्टॉकिस्ट्स के खिलाफ सख्त कदम उठा सके।

अगर नागपुर रिजोल्यूशन के बाद सरकार ने निश्चित रूप से आश्वासन दे दिया था कि वह फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग करेगी, फूड

Page No. 45

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ग्रेन्स के ट्रेड को वह अपने हाथ में ले लेगी लेकिन इस प्रकार के स्टेप्स से, इस प्रकार के ऑर्डर्स से काम नहीं चलने वाला है। इस प्रकार के ऑर्डर्स पास करके तो सरकार मुर्दे के बाल काट कर मुर्दे के भार को कम करना चाहती है। मुर्दे के बाल काटने से मुर्दे का भार हल्का नहीं होगा। हमें मुर्दे को फूंकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा और मुर्दे को फूंकने के लिये स्टेट ट्रेडिंग के काम को हाथ में लेना पड़ेगा। इन छोटे मोटे कदमों से अनाज पर, अनाज की प्राइसेज पर कन्ट्रोल होने वाला नहीं है। गांवों में एक एक बोरी, बीस बीस सेर अनाज बेचने वाले, गांवों के टटपूंजिये व्यापारियों को अपनी परिधि का शिकार बना कर आप राजस्थान की २ करोड़ जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इस तरह से आप राजस्थान की २ करोड़ जनता को राहत नहीं दे सकते। अगर आप निश्चित रूप से राहत देना चाहते हैं तो जो लोग मार्जिन ऑफ प्रोफिट्स को दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं उनकी क्रेडिट पॉवर को रोकना होगा, मैन कन्ट्रोलिंग फोर्सेज हैं उन फोर्सेज को सरकार को अपने हाथ में लेना होगा। पर सरकार क्रेडिट पॉवर को नहीं रोकती, इनके मार्जिन ऑफ प्रोफिट को नहीं रोकती, इनको मनमाने प्रोफिट्स कमाने से नहीं रोकती, सोती रहती है और फिर जागती उस वक्त है जब कि किसान अपना अनाज बाजार में जाने वाला हो।

अध्यक्ष महोदय, यह जो सारा फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर है, इसमें मैं अन्तिम बात अर्ज यह कर दूं कि अगर आज सरकार निश्चित रूप से गम्भीरतापूर्वक इस बात को सोचती, अनाज की कीमतों पर कन्ट्रोल करती, और जब कि सारे के सारे फूड मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेन्स दिल्ली में हुई, जिसका हवाला कृषि मंत्री ने, खाद्य मंत्री ने, सदन में दिया, हमें बड़ी खुशी महसूस होती, और हम गौरवान्वित होते, अगर उस समय हमारे कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री अपनी यह ओपीनियन उस कॉन्फ्रेन्स में रिकार्ड करवा देते कि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं कि गवर्नमेंट खाद्यान्नों के व्यापार को अपने हाथ में ले और फूड ग्रेन्स का स्टेट ट्रेडिंग करे। जब कि आज हमारे देश में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, ऐसी अन्तर-राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उस समय इस प्रकार का निश्चित फैसला लेकर आते, तो बहुत खुशी होती। लेकिन आज जो फैसला लेकर वे आये हैं वह फैसला जनता में असंतोष पैदा करने वाला है और वे उस असंतोष से स्वतन्त्र पार्टी और साम्प्रदायिकता को उभारने वाली पार्टी को संतोष देने वाला नारा लेकर आये हैं। इससे जनता में असंतोष फैलेगा, उस असंतोष का स्वतन्त्र पार्टी फायदा उठायेगी। तो वे प्रतिक्रियावादी ताकतों को शक्ति देने वाली बात तय कर के आये हैं।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, फूड ग्रेन डीलर्स का जो कानून है उससे मालूम होता है कि आज हमारे राज्य में जो छोटे व्यापारी हैं वे ज्यादा हैं और बड़े व्यापारी हैं वे कम हैं। अब इस कानून को देखते हुए जो बड़े व्यापारी होंगे वे ही इस व्यापार को कर सकेंगे और छोटे व्यापारी सब मर जायेंगे। सरकार ने, इस कानून के तहत अगर दस क्विन्टल से ज्यादा कोई भी व्यापार करेगा तो उसके लिए ५००) रु०

(श्री विट्ठल)

सिक्योरिटी रखी है, उससे ज्यादा ७५०) और उससे ज्यादा हजार रुपये की सीक्योरिटी इस कानून में रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कहूंगा कि यह एक छोटी बात नहीं है। यह एक बड़ी चीज़ है। क्योंकि ऐसे जिले ज्यादा हैं जिनमें छोटे व्यापारी रहते हैं। जयपुर जैसे शहरों की तो बात नहीं करूंगा, जयपुर में बड़े बड़े व्यापारी होंगे, वे हजार, ७५०) रुपये जमा करा के धन्धा करते रहेंगे लेकिन दूसरे जिले हैं जहां पर छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं और बड़े व्यापारी नहीं हैं, वे ७५०) रु० या हजार रुपये जमा करा कर धन्धा नहीं कर सकते हैं और उनके लिए इस कानून से बड़ी परेशानी होगी। उनको बड़ा दुःख होगा। एक आध बड़ा व्यापारी होगा तो वह क्या करेगा कि हजार, ७५०) रुपये जमा करा कर, छोटे व्यापारियों का व्यापार छीन कर अपना व्यापार करेगा और अपने अपने आदमी उसमें मुकर्रर कर लेगा और इस प्रकार छोटे व्यापारी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह जो सिक्योरिटी रखी है वह कतई नहीं रखनी चाहिये। इसको रखने से क्या होगा कि छोटा व्यापारी है, जो किसी गांव में व्यापार करता है और जिसे दस क्विन्टल तक की छूट दी है, दस-बीस मील मे वह उसकी तलाश करेगा, उसको दो दिन तो वैसे ही लगेंगे, गाड़ी भरा कर लावेगा, एक गाड़ी में दस क्विन्टल से अधिक नहीं आता है, उसको दस रुपया तो मुनाफा भी नहीं रहेगा उल्टा खर्चा दस रुपये से अधिक लग जावेंगे। इससे बड़ा नुकसान होगा। वह लायेगा और फिर बेचेगा। उसके लिए तो यह कम से कम बहुत बड़ी चीज है। उसको मुनाफा नहीं रहेगा और वह गरीब अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकेगा। छोटे छोटे व्यापारियों के लिये यह बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर सरकार भ्रष्टाचार नहीं बढ़ाना चाहती है, बड़े बड़े व्यापारियों को ही नहीं पनपाना चाहती है, सरकार समाजवाद लाना चाहती है, तो छोटे--छोटे व्यापारियों की तरफ भी सरकार को देखना चाहिये, यह नहीं कि बड़े बड़े व्यापारियों को पनपाना चाहिये। इसमें बड़े व्यापारी पनपेंगे और छोटे छोटे व्यापारी दस दस क्विन्टल वाले काम नहीं कर सकेंगे। वे बेचारे उस धन्धे में चल नहीं सकेंगे न ही वे अपना गुजारा कर सकेंगे।

मैं आपको बांसवाड़ा जिले के विषय में कहता हूं। आपने यह रखा कि २५०) रु० जो शक्कर का डीलर जमा करायेंगे वे ही शक्कर ले जा कर बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेच सकेंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोग २५०) रु० जमा नहीं करा सके। वहां के लोगों ने पाव भर शक्कर भी नहीं देखी। शक्कर का दो साल से कन्ट्रोल बना हुआ है लेकिन ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों ने शक्कर के दर्शन तक नहीं किये हैं क्योंकि २५०) रु० जमा नहीं करा सके और लोग नहीं ला सके।

एक माननीय सदस्य : कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री विट्ठल : सोसाइटी इतनी गरीब है कि नहीं ला सकती।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : हमें मालूम है आपके इलाके की।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मिनिस्टर साहब इशारा कर रहे हैं कि डांटो।

श्री विट्ठल : आप तो बांसवाड़ा जिले में गये ही नहीं होंगे, आप क्या जानते हो ? इसीलिए आप कहते हो कि व्यापारी हैं। आपको मालूम नहीं है। वहां इस प्रकार के व्यापारी नहीं है।

शक्कर की जो हालत बतायी उसी माफिक ऐसे पिछड़े हुए इलाकों में अनाज के सम्बन्ध में भी यही हालत होने वाली है। इसलिए यह सिक्योरिटी कतई नहीं होनी चाहिये। मैं तो वही कहूंगा कि अनाज के भाव बांधने चाहिये, मुनाफाखोरी कम करनी चाहिये और कानून बनाना चाहिये—इससे मैं सहमत हूं। लेकिन डीलर से सिक्योरिटी लेने की बात को खत्म करना चाहिये और इस विषय में सबको राहत मिलनी चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय अभी हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि यह कई बार उठता है। जब तक इसका परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक हर साल यह समस्या खड़ी होती रहेगी। मेरी समझ में आप कोई टेम्परेरी कदम उठायें उससे अच्छा यह होगा कि कोई इसका परमानेन्ट सोल्यूशन निकालें। इस विषय में सोचते हुए चार मुद्दे हमारे सामने आते हैं—(१) क्या आप किसान को कोई गारन्टी दे सकते हैं कि इससे अधिक भाव नहीं गिरेंगे ? (२) क्या जो अनाज खरीदने वाली जनता है उसको ऐसी आप कोई गारन्टी दे सकते हैं कि इससे ज्यादा भाव नहीं बढ़ेंगे ? (३) क्या व्यापारियों के सामने इस प्रकार का कानून बना कर कोई उलझन तो पैदा नहीं कर रहे हैं जिससे कि उनको मजबूर होकर अपना व्यापार बन्द करना पड़े ? (४) आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा भी सकती है या नहीं ? इन चार मुद्दों का आप परमानेन्टली कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो यहां सदन में वातावरण उठेगा और कोई उसका सोल्यूशन नही होने वाला है।

आपने एक पॉइन्ट टच किया है कोई परमानेन्ट सोल्यूशन नहीं निकाला है। जो एक पॉइन्ट आपने टच किया है उससे तो व्यापारियों को उल्टा मजबूर होकर अपना धन्धा बन्द करना पड़े ऐसी स्थिति आपने लाकर व्यापारियों के सामने खड़ी कर दी है। सर्वत्र राजस्थान में इस धन्धे के व्यापारी हड़ताल पर हैं। आपके इस कदम से न ही अनाज के भाव गिरने वाले हैं। यह मैं कह सकता हूं कि व्यापारियों के सामने जितनी कठिनाइयां पैदा करेंगे, जितना ज्यादा उनको आप मजबूर करेंगे कि डिपोज़िट जमा करावें तो कोई व्यापारी लोस भुगत कर तो व्यापार करेगा नहीं। जो मुनाफा होगा वह जनता से ही, जो कि खरीदती है, निकालेगा, उससे ही वह वसूल करेगा। इसलिए सही रूप में वे किस प्रकार कार्य कर सकें इसके लिए सोल्यूशन निकालना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनको निकाल देना चाहिये।

लाइसैन्स जहां तक लेने का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता क्यों हुई ? व्यापारियों की जिम्मेदारी है। पैसा लगा कर धन्धा करते हैं। माल कहां रखते हैं इसकी आपको वे सूचना

(श्री विजयसिंह झाला)

दे देते हैं। उसके बाद जो सिक्योरिटी की रकम आप लेते हैं उससे तो जो उनको उस व्यापार में मुनाफा मिलता है वह सिक्योरिटी के इन्ट्रेस्ट में ही चला जाता है। इसलिए वह एक नेचुरल बात है कि सिक्योरिटी जमा कराने के लिए जो बाजार से उसको उधार लेना पड़ेगा उसके इन्ट्रेस्ट में ही उसका मुनाफा चला जायेगा, तो उस बिजनेस से उसको अधिक मुनाफा नहीं होगा और कन्ज्यूमर्स से नहीं वसूल करेगा तो क्या वह अपना दिवाला निकालेगा? कौन ऐसा व्यापारी होगा जो दिवाला निकाल कर बिजनेस करेगा? इसलिए आपका जो सिक्योरिटी का प्रिन्सिपल है वह भावों को गिराने में मदद नहीं देगा बल्कि उनको बढ़ाने में ही मदद देगा।

यदि आपने यह निर्णय ले लिया कि सिक्योरिटी लागू हो, आपका यही सिद्धान्त है तो आप उसको मत छोड़िये। मैं आपको दूसरा रास्ता सुझाता हूं। आप उनसे बोंड ले लें, लिखित में जमानत ले लें, कोर्ट में जमानत भी होती है अपराध करने वाले की, मर्डर करने वाले की भी तो कोर्ट में बोन्ड के आधार पर जमानत होती है। व्यापारियों से ज्यादा से ज्यादा बोन्ड ले लें, उनकी जमानत ले लें, यह चीज तो आपको भाव के बढ़ाने में नहीं उनको घटाने में मदद देगी।

अध्यक्ष महोदय, यह जो सिक्योरिटी का प्रावधान रखा है इससे मोनोपोली फैलेगी। क्योंकि हरएक व्यक्ति का दस क्विन्टल से थोड़ा सा अधिक भी आउट-पुट होगा तो ५००) रु० जमा करायेगा। इससे गांवों में निश्चित रूप से मोनोपोली होने वाली है जैसे शुगर की हुई है।

बहुत सी जगह छोटे-छोटे व्यापारी हैं। किसान एक सेर भर अनाज लेकर कोई दूसरी चीज़ ले जाता है और उसके बदले में वह व्यापारी जब कोई सेर भर अनाज लेने वाला आता है तो उसको बेच देता है। इस प्रकार की छोटी छोटी दुकानों से ग्रामीण क्षेत्रों में धन्धा चल रहा है वह ठप्प हो जायगा, और किसानों के सामने बड़ी भारी दिक्कतें पैदा होंगी। क्योंकि वे अनाज देकर रोजमर्रा की चाजें लेते हैं, बीड़ी लेते हैं या नमक लेते हैं, तो उसको उन चीजों के लिए बाजार में जाना पड़ेगा।

जिस किसान के पास में पैसे नहीं वह अनाज देकर के व्यापारी से अपनी आवश्यकता की चीज लेते हैं उस व्यापारी को भी ५०० रुपया जमा कराना पड़ेगा। इस तरह से एक तरफ आप अनाज के व्यापारी को पाबन्द कर देते हैं तो जिस किसान के पास में पैसा है नहीं उसे थोड़ी थोड़ी चीज के लिये शहर में जाना पड़ता है। इससे एक तो किसान के सामने यह दिक्कत पेश होगी उसकी जो आवश्यकता की वस्तुयें है वह मिलना बन्द हो जायंगी। इसके साथ-साथ बड़े बड़े व्यापारियों की मोनोपोली स्थापित हो जायगी। आपकी इस सिक्योरिटी का मैं घोर विरोध करता हूं और आप से आशा करता हूं कि आप इस प्रावधान को इस ऑर्डर से निकाल दें।

इसके सिवाय इसमें यह भी है कि एक

Page No. 49

(श्री विजयसिंह भाला)

थोक व्यापारी जो होगा वह दूसरे थोक व्यापारी को माल नही बेच सकेगा । इससे एक जिले से दूसरे जिले में ग्रनाज के ग्राने पर पाबन्दी लग जायगी । जैसे हमारे उदयपुर में मक्का ज्यादा होती है ग्रौर जयपुर में बाजरा, ग्रधिक होता है तो उदयपुर का थोक व्यापारी यहां के व्यापारी को मक्का भेजना चाहेगा तो नही भेज सकेगा । डूंगरपुर में बाजरा पैदा नहीं होता तो डूंगरपुर का थोक व्यापारी ग्रपने यहां पैदा की हुई मक्की को यहां पर भेज कर बाजरा नहीं मंगा सकेगा । इस तरह से एक चीज को दूसरी जगह भेजने की इजाजत नहीं देते हैं तो बड़ी भारी दिक्कत पैदा हो जायगी क्योंकि जहां जो चीज पैदा नही होती है वह वहां ग्रा नहीं पायगी । उसके दाम बढ़ जायेंगे ग्रौर जहां जो चीज ज्यादा पैदा होती है वहां उसके भाव गिर जायेंगे । तो इससे एक जिले में जहां भावों के बढ़ने में मदद मिलेगी वहां दूसरे जिले में भाव कम होंगे । इससे किसानों का स्टेन्डर्ड भी लो (low) लायेंगे-किसान के सामने यह भी समस्या है । इसलिये मेरा निवेदन है कि थोक व्यापारी को दूसरे थोक व्यापारी को देने का प्रावधान होना चाहिये ग्रौर इसके साथ साथ एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने का प्रावधान भी होना चाहिये, ताकि थोक व्यापारी सबको दे सके-इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये ।

इसके साथ साथ मैं यह मांग करूंगा कि ग्रापकिसान को उसके ग्रनाज की कम से कम कितनी कीमत मिलनी चाहिये, इस प्रकार का ग्राश्वासन जब तक नहीं देंगे किसान का धंधा सही रूप से नहीं चल सकेगा जो ज्यादा से ज्यादा रेट होगी उसकी सिलिंग मुकर्रर कर दें, यदि यह नहीं करते हैं, तो बाजार से माल लेने वाले को लाभ नहीं होगा ग्रौर न बेचने वालों की समस्या हल हो सकेगी । ज्यादा से ज्यादा क्या रेट होगी ग्रौर कम से कम क्या होंगी उस रेट पर यदि व्यापारी नहीं लेता है तो सरकार किसान का ग्रनाज लेगी । इस प्रकार का ग्राश्वासन सरकार की ग्रोर दिया जाना चाहिये ।

दूसरा प्रावधान है इसमें ग्रपील का, तहसीलदार लाइसेन्सिंग ग्रॉथोरिटी है । ग्रगर वह गलत ग्रॉर्डर देता है तो उसकी ग्रपील सीधी जयपुर में सरकार के पास होगी । मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसकी ग्रपील कलेक्टर, ए० डी०, एम० के पास नहीं हो सकती ? जितने भी कानून बने हैं उनमें छोटी से छोटी जो ग्रॉथोरिटी है उसकी ग्रपील बड़ी से बड़ी ग्रॉथोरिटी के पास कहीं भी नहीं रखी गई है फिर इसमें ऐसा क्यों किया गया है, यह मेरी समझ में नही ग्राता । ग्राखिर में जो ग्रपील का प्रावधान रखा है, किसी व्यापारी पर तहसील-दार ग्रत्याचार करता है तो वैसी हालत में उसके ऊपर के ग्रधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ग्रधिकारी हो, के पास ग्रपील का प्रावधान होना चाहिये ।

ग्रापने व्यापारी से पाक्षिक प्रोफिट की रिपोर्ट भी मांगी है । जो जो भी ग्रनाज उसके पास में है उसका व्यौरा वह पक्ष खत्म होने पर देने को पाबन्द इसमें किया गया है । ख्वाहमख्वाह इस तरह से ग्राप उसको तंग करना चाहते हैं । इसके बजाय छः महिने में ही उसका हिसाब मांग लेते

(श्री विजयसिंह झाला)

तो क्या बिगड़ता। क्योंकि आखिर वह इन्कम टैक्स और सैल्स टैक्स देता ही उससे आप फाइन्ड आउट कर सकते हैं। एक प्रकार से पाक्षिक रिपोर्ट उससे मांग कर आपने मुसीबत कर दी है। बेचारा अपना व्यापार करेगा या इस प्रकार की उलझन में फंसा रहेगा? इससे उसका व्यापार सही रूप से नहीं चल सकेगा। यह नीति आगे जाकर उलझन पैदा करेगी, व्यापारियों का धन्धा ठप्प हो जायगा और अनाज के भाव बढ़ेंगे। आज तीन दिन के अन्दर जो व्यापारियों की हड़ताल हुई है उससे आज बाजार के अन्दर अनाज मिलना दूभर हो गया है। कल मैं स्वयं अनाज लेने गया। मुझे ही नहीं, किस्मत से सरकारी अनाज की दूकानें भी बन्द थी, इसलिए इस प्रकार की कठिनाई और भी पैदा हो सकती है। कल सारी अनाज मंडी जयपुर की बन्द थीं इसलिए एक दुकान से आटा लेकर रोटियां बनानी पड़ी। तीन दिन की हड़ताल ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी जिससे साधारण व्यक्ति को अपना जीवन चलाने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, इस पर विचार करना आवश्यक है।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, लाइसेन्सिंग ऑथो-रिटी को आपने इतनी ताकत दी है वह स्पष्ट नहीं है। इसलिये इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फूड ग्रेन ऑर्डर के संबंध में इस सदन में चर्चा हो रही है। इस बजट से पहले भी सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार से मांग की थी राज्य में खाद्यान्नों की मंहगाई बढ़ती जा रही है और उसके भावों को कन्ट्रोल करने में सरकार असफल हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस असफलता का कारण फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर ही नहीं था बल्कि सरकार की निष्क्रियता ही और उदासीनता ही उसका खास कारण थी। सन् १९५८ के फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर को सही रूप से क्रियान्वित किया जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। उचित समय पर उचित कदम न उठा सकने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। अफसोस इस बात का है कि जब किसानों का अनाज बाजार में आने वाला है और उसको इसके उचित दाम मिल सकते थे इस समय में इस प्रकार का लाइसेंसिंग ऑर्डर जारी कर दिया गया। यह बात सही है कि इससे व्यापारियों में बड़ा भारी असन्तोष है। इसके प्रावधान बहुत कॉम्पलीकेटेड हैं अतः इन प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ इस प्रश्न को भी गौण नहीं माना जा सकता कि आने वाली फसल पर किसान को अपनी उपज का सही दाम मिल सके। इस बारे में भी इस ऑर्डर में व्यवस्था नहीं की गई है। इस सदन में भी यह मांग की थी कि प्राइसेज भी ज्यादा बढ़ने न पायें और जो अनाज पैदा करने वाले हैं उनको भी अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। किसानों को मिनीमम गारन्टी सरकार की ओर से होनी चाहिये। उनके प्रोपर प्राइसेज तय कर दें लेकिन हमारे कृषि मंत्री, एक किसान होते

Page No. 51

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुए भी किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके, इस प्रकार का प्रावधान नहीं करके छः महीने के बाद नींद से जगे हैं, जिस प्रकार रावण का भाई कुम्भकर्ण छः महीने बाद जगा करता था और जगने के बाद भी किसानों को झटका दिया, ऐसा सत्यानाश किया किसानों का जिससे किसान वर्ग में असन्तोष है। आपको बहुत जगाने पर तो आप जगे हैं और जगने के साथ ही किसानों का सत्यानाश कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, आखिर सरकार के सामने जब जनता आठ महीनों से यह मांग करती रही कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं उसको रोकने का उपाय कीजिये। जब दिसम्बर, १९६३ में गेहूं का भाव ३० से ३२ रुपये मन तक पहुंच गया था उस समय तक सरकार सोती रही और आज जब व्यवस्था की है तो इस प्रकार की की है जिससे व्यापारी और किसान दोनों को नुकसान है। उस समय तो हमने इतना कहा, लेकिन सरकार ने स्थिति को स्वीकार नहीं किया।

(१०.०० म० पू०)

सरकार इस बात को मानती है कि वह स्वयं गल्ले का व्यापार करने की स्थिति में नहीं है। उसकी मशीनरी ऐसी नहीं है। आज दो दिन से समस्त गल्ले के व्यापारियों ने आप द्वारा जारी की गई हिदायतों से उत्पन्न कठिनाइयों के कारण हड़ताल तो नहीं की है, पर गल्ले का धन्धा करना बन्द कर दिया है। इससे दो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। गांव से जो किसान गल्ला लेकर आता है तो उसका गल्ला खरीदने वाला कोई नहीं रह गया है। आपने ऑल्टरनेट मशीनरी इसके लिये सैट-अप नहीं की और इसलिये सरकार इस हालत में नहीं है कि उसके पास एफीशियेन्ट स्टाफ नहीं है, न मशीनरी है। अब दूसरी स्थिति यह हो गई है। कि इस कारण बाजार में उपभोक्ता को अनाज मिलना बन्द हो गया है, धान नहीं मिलता उसको। आज राजस्थान भर में, कस्बों में, गांवों में, नगरों में लोगों को खाद्यान्न किसी प्रकार से मुहैया हो सके, इसका प्रबन्ध करना है। आप सस्ते गल्ले की दुकानों का प्रबन्ध शहरों में कर सकते हैं, लेकिन गांवों में आपने नहीं किया है। वहां पर गल्ला लोगों को कौन मुहैया करेगा ? यह मामला कोई जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर जैसे शहरों का नहीं है। राजस्थान भर के छोटे छोटे गांवों का है। वहां आज कन्ज्यूमर्स के सामने आपके इस ऑर्डर से समस्या खड़ी हो गई है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, स्थिति आज यह पैदा हो गई है कि किसानों से अनाज खरीदने वाला कोई नहीं और कन्ज्यूमर्स को देने वाला कोई नहीं। यह व्यवस्था सरकार ठीक कर सकती। इसलिये इसके व्यवहारिक पहलू पर विचार करना चाहिये। इसमें जो कॉम्पली-केशन्स हैं, उनको देखना है। जहां तक प्राइसेज को नीचे लाने का सवाल है, हम सरकार के कदम की सराहना करते हैं। देर आयद दुरुस्त आयद। पर मैं समझता हूं कि इसके इम्प्लीमेन्टेशन में सरकार सफल नहीं होगी। ऐसा न हो कि १९५८ के कानून की तरह यह भी पड़ा रह जाय, रद्दी की टोकरी में न चला जाय। आप उस कानून को भी ठीक तरह से लागू करते तो आज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की यह स्थिति पैदा नहीं होती। आप कदम तो उठाते हैं, जोश भी खाते हैं, सदन में बहस होती है तो आश्वासन भी दे देते हैं, कमेटी भी बना देते हैं, सैक्रेटेरियेट से चिट्ठी भी निकल जाती है, मेरे पास भी आई कि इसका जल्दी जवाब दीजिये, पर आज साल भर हो गया उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई। तो आप कागजों की कोरी खानापूरी करना जानते हैं। अखबारों में प्रोपेगण्डा करके लोगों को भुलावे में डालना जानते हैं। पर वास्तविक रूप में स्थिति को ठीक करना नहीं जानते। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसके साथ लगे व्यवहारिक प्रश्नों पर विचार करिये।

इस फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग ऑर्डर की परिधि में काफी छोटे छोटे लोग आते हैं, छोटे छोटे व्यापारी आते हैं। आपने इसमें रखा है कि १० क्विन्टल का व्यापार करने वाले को एग्ज़ेम्पट करेंगे। एक तरफ तो आप ने यह रख दिया दूसरी, तरफ रख दिया कि जिसका पांच सौ क्विन्टल का एन्युअल टर्न ओवर होगा उसको लाइसेन्स लेना होगा। अब आप जरा हिसाब तो लगाइये। ५०० क्विन्टल साल के हिसाब से महीने का चालीस क्विन्टल हुआ और रोजाना का १॥ क्विन्टल। अब इस हिसाब से डेढ़ क्विन्टल रोज का व्यापार करने वाले को भी सिक्योरिटी का रुपया जामा कराना होगा। पर दूसरी तरफ आपने यह रखा है कि दस क्विन्टल रोज का व्यापार करने वाला एग्ज़ेम्प्टेड है। आपके कानून में नियमों में इन्कन्सिसटेन्सी है यह। इसे आप देखिये और ठीक करिये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): यह तो स्टॉक से ताल्लुक रखता है। यह डीलर की डेफीनिशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने यह रखा है कि साल भर में ५०० क्विन्टल का व्यापार करने वाले को ५०० रुपया जमा करवाना होगा। पर उधर दस क्विन्टल रोज का टर्न ओवर करने वाले को एग्ज़ेम्प्ट किया है। इसे आप देखिये। इस तरह से तो यह रिडन्डेन्ट हो गया। आपको इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि हमें अधिक से अधिक राहत छोटे काम करने वालों को, गांवों में रहने वालों को देनी है। पर आप तो हर कानून को कॉम्प्लीकेटेड से कॉम्प्लीकेटेड करते जा रहे हैं, अपनी नौकरशाही की आदत के मुताबिक। व्यापारियों में असन्तोष पैदा हो गया है, आप इसका इलाज करना चाहते हैं। पर सबका इलाज केवल सर्जरी से ही नहीं होता। आप सबका एक ही तरह से इलाज करना जानते हैं। पेट में दर्द हो जावे तो कर दो सर्जिकल ऑपरेशन इसका। इन्टेस्टाइन में कोई दर्द हो तो समझ में आ सकता है। और इसी कारण से आपका मेडिकल ट्रीटमेन्ट इस तरह से फेल हो जाता है। माननीय कम्युनिस्ट सदस्यों की तरह से तो अगर मामूली सा फोड़ा भी हो गया तो सारे अंग को ही काट कर फेंक दीजिये। बस हो गया। स्टेट ट्रेडिंग कर दीजिये। सब रोगों का एक इलाज। अब इसमें व्यवहारिक क्या कठिनाइयां होंगी; सरकार की सामर्थ्य नहीं है, उसके पास एफीशियेन्ट स्टाफ, मशीनरी नहीं है लेकिन इसका विचार उनको नहीं करना। आप इन सब पहलुओं पर विचार करिये। स्टेट एन्टरप्राइज राजस्थान में कुछ

Page No. 53

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चल भी रहे हैं, उनकी क्या हालत है आज ? दो तीन परसेन्ट का फायदा देते होंगे दूसरे, पर इनसे तो डिविडेण्ड भी मिलता नहीं। जयपुर स्पिनिंग मिल में भी आपका पैसा लगा है पर उसमें जो घोटाले होते हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। तो इस राजस्थान व्यापी व्यापार को हाथ में लेंगे तो इसके बाद आप इस पर कितना नियन्त्रण कर सकेंगे, और मंहगाई पर कितना कन्ट्रोल कर सकेंगे। आपके नारों की बातें अलग होती हैं, कहने की बात अलग होती है, प्रोपेगण्डा की बात अलग होती है, पर आज आप व्यवहारिक दृष्टि से इस स्थिति में नहीं हैं सारे व्यापार को नियन्त्रित करके चला सकें और स्टेट ट्रेडिंग को हाथ में ले सकें। आप हजारों अन्य लोगों को बेकार जरूर कर देंगे। मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा और मुख्य मन्त्रीजी, आप भी इस पर विचार कर लीजिये, इससे राजस्थान में हजारों लोग बेकार हो जावेंगे; स्वर्णकारों जैसी उनकी स्थिति हो जावेगी। नारों के बारे में बिड़लाजी आपके लिये कह ही गये हैं कि यह तो केवल नारे लगाने के लिये नारे लगाते हैं, समाजवाद कहने के लिये कहते हैं, जनता को नारे लगाने के लिये, उससे वोट लेने के लिये नारे देते हैं। तो ऐसा करेंगे तो इसमें लोग बेकार होंगे, वे नारे लगावेंगे और जुलूस निकालेंगे। स्वर्णकारों के नारों से और उनकी हाय हाय के नारों से आपका नुकसान हुआ। स्वर्णकारों की हाय हाय के नारों ने मुरारजी को खा लिया। अब अगर ये नारे लगावेंगे हाय हाय का तो ये नाथूरामजी को खा जावेंगे। हमारे कृषि मन्त्रीजी को खा जावेंगे। आपका खाना आज की स्थिति में इस मन्त्रिमण्डल के लिये संकटकालीन हो जावेगा। आज संकटकाल वैसे ही है। दा, साहाब ने स्तीफा दे दिया है, वित्त मंत्रीजी ने और विद्युत मंत्रीजी ने स्तीफे देने के कमिटमेन्ट कर रक्खे हैं। अब अगर इस हाय हाय से आप भी चले जावेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जावेगी।

तो अन्त में मैं केवल इतना निवेदन करता हूं कि आपने डीलर के लिये मिनिमम जो दस क्विन्टल का प्रावधान रखा है उसमें २५ कर दें। दूसरा जो सिक्योरिटी के बारे में है उसमें लॉजिक और रीजन आपके साथ नहीं है। इस व्यापार के करने वाले राजस्थान भर में कम नहीं हैं, तीस हजार के आस पास हैं। अब एक एक से ५००-५०० रुपये भी आप लेंगे तो २। करोड़ रुपये हो जावेंगे। सरकार के पास में अगर रुपयों की कमी हो और इससे वह पूरा करना चाहती हो तो यह उचित नहीं होगा। सरकार को पैसे की जरूरत है तो मैं कह सकता हूं इससे बहुत बड़ा डिलेक्शन नहीं होगा। प्राइसेज नीचे आवेंगी, डिफ्लेशन नहीं होगा जैसा रामानन्दजी कहते हैं इससे छोटे व्यापारी मर जावेंगे। बड़ों को हजार देना होगा तो वह तो ९ परसेन्ट के ब्याज पर ले आवेगा। डिफ्लेशन से मार्जिन ऑफ प्रोफिट उसका तो ज्यादा हो जावेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डिफ्लेशन रोकने के दूसरे तरीके हैं। इसके लिये यह रास्ता गैर-कानूनी है, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसे आप कम करिये।

इसके अलावा आपने जोन्स बनाये हैं और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह क्लॉज़ ६ में किया है कि होल सेलर रिटेलर को ही बेच सकेगा और वह भी जोन में ही बेच सकेगा, तो इससे भी कठिनाइयां पैदा होंगी। यह भी व्यवहारिक नहीं है। गंगानगर का व्यापारी उदयपुर के व्यापारी को माल भेजना चाहे तो आपके हिसाब से नहीं भेज सकेगा। उसे रिटेलर को बेचना होगा। उसको स्पेसिफाइड जोन में बेच सकेगा। इसका मतलब क्या होगा? यह सही है कि आप राजस्थान से बाहर नहीं जाने दें, वह जोन आपका समझ में आ सकता है। पर जिले से जिले के मूवमेंट को अगर रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं इससे, तो इसका परिणाम यह होगा कि इससे आपकी इकोनामी इफेक्ट करेगी, लोगों की कठिनाइयां और भी बढ़ेंगी। लाइफ इन्श्योरेन्स का बिजनेस आपने किया है, कौल साहब, उस हिसाब से इतना आप जानते होंगे कि जहां डिमाण्ड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, वहां कीमतें बढ़ जावेंगी और जहां डिमाण्ड कम होगी और सप्लाई जयादा होगी वहां कीमतें बहुत गिर जावेंगी। आपने गंगानगर को स्पेसिफाइड जोन कर दिया। तो वहां क्या होगा। वहां उत्पादन बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होगी, और मांग कम रहेगी तो कीमतें बहुत गिर जावेंगी और दूसरा जिला है जहां प्रॉडक्शन कम है और मांग ज्यादा है तो वहां कीमतें बढ़ जावेंगी, चीजें और खाद्यान्न मंहगा हो जावेगा। इसका नतीजा और क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो स्मगलिंग बढ़ेगा, पुलिस और दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चलेगी। इसलिये इसको आप जिलावाइज जोन बनाकर इस तरह से लिमिट में न करें, राजस्थान का जोन भले ही आप बना लें। इसके लिये आपको धारा ६ में संशोधन रखना चाहिये। मानवीय दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो ठीक रहेगा। केवल नारे के आधार पर नहीं चलें। नारों के आधार पर आप चलते भी नहीं हैं। वह तो केवल वोट लेने के लिये आप कहते हैं जनता से। और आप इसलिये भी नारों के आधार पर नहीं चलेंगे कि क्योंकि बिड़लाजी की बात को आपको असत्य नहीं करना है। आपको आगे भी उनसे पैसा लेकर १९६५ का चुनाव जीतना है। इन सारे दृष्टिकोणों से....

एक माननीय सदस्य : आपको देंगे वे चन्दा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम ग्यारह मोटरों में बिठाकर कहां से लाते हैं वोटरों को?

स्टेट ट्रेडिंग की बात आप केवल नारा लगाने के लिये कहते हैं। फिर हांडा साहब को याद होना चाहिये कि हम हिन्दुस्तान में डांगे साहब की तरह का रोल प्ले नहीं करने वाले हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। हमने कभी अंग्रेजों को उनकी तरह चिट्ठी नहीं भेजी। डूब मरना चाहिये उनको। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले कम्युनिस्टों के संगठन के चेयरमैन बने बैठे हैं!

श्री अध्यक्ष : इस तरह के आक्षेप न लगाये जावें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर्स

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लाइसेन्सिंग ग्रॉर्डर, १९६४ के संबंध मे मुझे यह निवेदन करना है कि यह खाद्यान्न का प्रश्न है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, यह एक नेशनल प्रॉब्लम है और यह पार्टी कन्सीडरेशन्स या पार्टीवाद से असंबंधित है। अगर कोई माननीय सदस्य यह आक्षेप लगायें के स्वतंत्र पार्टी इस खाद्यान्न से उत्पन्न हुई स्थिति का अनुचित लाभ लेगी तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास दिलाता हू कि हम जिम्मेदार लोग है और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी राष्ट्रीय समस्या का अनुचित लाभ उठाता है तो मेरे ख्याल से यह एक बड़ी शर्मनाक बात तो है ही, लेकिन बहुत खतरनाक बात है।

मैंने इस संबंध मे बहुत विचार किया, अध्यक्ष महोदय, कि इस समस्या को लेकर सरकार के हाथ किस रूप से मजबूत किये जायें व सरकार को सहयोग किस रूप से दिया जाये। इस संबंध में मुझे यह कहना पड़ेगा कि सरकार की कमियां भी हैं, भूलें भी हैं और उसके साथ ही साथ सरकार को एक बड़ी जटिल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है कि जिसकी अन्दर सिवाय कोयले के ढेले के कुमकुम का ढेला होना बहुत नामुमकीन है। लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है उसको सुदृढ़ रूप से इस समस्या को फेस करना चाहिए, इस समस्या का सामना करना चाहिए हौंसले से, दूरदर्शिता से--फ्लेक्सीबिलिटी, जिद्द और रिजिडिटी से इसका सामना नहीं होगा। मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि कैसा भी आपका फूड कन्ट्रोल ऑर्डर हो उसकी डिटेल्स के अन्दर जाने का, हालांकि माननीय सदस्य गये हैं, मेरे ख्याल से अभी समय भी नहीं है और मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है। किन्तु मैं सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके पास गांव गांव के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नही है कि जिसके द्वारा आप फूड बैंक्स कायम कर सकें। आप एक बहुत पुरानी प्रथा, जो सदियों से परम्परागत है, डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। सरकार को यह समझना चाहिए कि कोई भी जमी हुई व्यवस्था के अमल को और उसके स्टेटस को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके डिस्टर्ब करने से कई एक समस्यायें उसके साथ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसको जब आप डिस्टर्ब करने जा रहे हैं तो आपको यह भी अनुमान लगाना चाहिए कि इस संबंध मे जो जटिल समस्या उत्पन्न होगी उस बारे में भी आपको क्या निर्णय लेना है? उन समस्याओं की क्या सम्भावनायें हैं, उन समस्याओं का मुकाबिला आप किस रूप से करेंगे? मैं स्पष्टतया मेरी पार्टी की विचार-धारा के अनुसार, मेरी व्यक्तिगत विचारधारा के अनुसार पुरजोर रूप से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आपका जो यह फूड ग्रेन्स कन्ट्रोल ऑर्डर है यह अनावश्यक है। सकी कोई जरूरत मैं महसूस नही करता। यह दूसरी बात है कि राजस्थान के बाहर अगर एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का प्रश्न है तो इसे आप जरूर रेगुलेट करें, नियंत्रण काम में लावें—इस संबंध में जो भी आप उचित कदम उठायें उसका मैं स्वागत करूंगा। किन्तु राजस्थान के अन्दर फूड ग्रेन्स के मूवमेन्ट के संबंध मे आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं? आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आप जिस भी वस्तु को कन्ट्रोल में लेना चाहते हैं, चाहे वह स्वर्ण हो, चाहे शक्कर हो, चाहे अन्य वस्तु

Page No. 56

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हो—आप यह जानते हैं कि आप कन्ट्रोल नहीं कर सकते। आप जिस चीज को कन्ट्रोल करना चाहते हैं उसके अन्दर दुर्व्यवस्था होती है और आपको रिलक्टेन्ट फेल्योर की समस्या को फेस करना पड़ता है। आपका जो पास्ट एक्सपीरियेन्स है उससे भी आप लाइसेंस नहीं लेकर एक रिजिडिटी और जिद्द के ऊपर, एक ऑल इन्डिया बेसिस के प्रश्न के ऊपर लेजाकर युनीफॉर्मिटी के बेसिस पर एन्फोर्स करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिद्धान्त में विश्वास करने वाला हूं कि इस विशाल देश की शक्ति विभिन्नता के अन्दर निहित है, समानता के अन्दर नहीं है। Strength of this country lies in diversity and practical approach to that diversity recognising that fact that diversity in an essential factor. Then and then alone you can practically apporach that rather than following blindly a certain policy. तो मेरा यह निवेदन है कि अगर विभिन्न क्षेत्र वाले भारतवर्ष के अन्दर कोई इस समस्या के संबंध में हल निकाला जा सकता है तो उसी हल को राजस्थान के अन्दर लागू किया जाये, यह मेरे ख्याल में मृगतृष्णावत् हल है। मैं पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हो रही बहस के दौरान मैं यह निवेदन कर चुका हूं कि आप अगर इस समस्या, इस फूड की समस्या पर कोई नियंत्रण लायेंगे तो फूड रॉइट्स होंगे, घोर असन्तोष होगा। आपकी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था की है वह भी मेरे ख्याल में एक साहूकार को चोर बनाने की व्यवस्था की है। जब गन लाइसेन्स के अन्दर कोई सिक्योरिटी नहीं लेते और मेरे ख्याल से बन्दूक तो ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे को मार सकता है, तो यहां पर कौनसी ऐसी समस्या है कि आप व्यापारियों के ऊपर सिक्योरिटी लाजिमन रूप से लागू करके उनको चोर बनना सिखायें। मेरे ख्याल से किसी स्वावलम्बी इज्जतदार दूकानदार के लिए यह समस्या ऐसी है कि जिसके ऊपर मुझे तो घृणा आती है और मैं इसका कटु विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित रूप से विश्वास है कि आपके पास कर्मचारी नहीं हैं, और हैं भी वे इतनी तादाद में भी नहीं हैं, इतने निष्ठावान भी नहीं हैं, इतने अनुभवी भी नहीं हैं कि जिनके द्वारा आप इस योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि आपका यह शासन है, जैसा कि अभी भी क्वेश्चन अवर मे यही समस्या उत्पन्न हुई कि आपके इतने कानूनों का अरण्यरोदन; इतने उसके ऊपर ऑर्डर्स उन कानूनों के अन्तर्गत जारी कर दिये हैं कि बड़े से बड़ा वकील भी नहीं जानता है कि सरकार के कितने कानून हैं और कितने रेग्युलेशन्स हैं। तो मैं यह समझता हूं कि "simple rule is the best rule." आपको लोएस्ट लाइन ऑफ रेज़िस्टेन्स इस सम्बन्ध में एडॉप्ट करनी चाहिए। जो भी प्रकृति की व्यवस्था है, जो भी अनादि-काल से चली आ रही है उस व्यवस्था के अन्दर हाथ डालेंगे तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कटु विरोध इसका होगा और आप बिल्कुल अप्रिय होंगे। यह अदूरदर्शिता का कदम है। यह कदम ऐसा कदम है कि पत्थर उछाल कर कपाल पर मारना है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा पुरजोर रूप से सरकार को यह निवेदन है कि इम्पोर्ट और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

एक्सपोर्ट की समस्या का हल आप निकालें। आपको प्रथम जो सीढ़ी चढ़नी है वह एक्स-पोर्ट--इम्पोर्ट की समस्या पर कन्ट्रोल करना है, और अभी से सारे राजस्थान में फूड कन्ट्रोल करते हैं तो मेरे ख्याल से प्रान्त के लिए, देश के लिए, और समाज के लिए यह हानिकारक है; मैं यह वार्निंग देता हूं। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

बहुत समय हो गया है। यह कोई सामान्य बहस नहीं है। कुछ मुद्दे थे उन पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कल आपकी तरफ से लिखा हुआ मिला था कि आप कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य एवं रसद मंत्री) : समय एक घन्टा हो चुका है और मैं उत्तर दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा।

जो माननीय सदस्यों ने इस समस्या पर चर्चा की है और खास तौर से विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने अपने भाषण की शुरुआत की वह बहुत अच्छे ढंग से की कि इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। पोलिटिकल, राजनैतिक पार्टियां इस प्रश्न के ऊपर कोई अपना एडवान्टेज लेने की बात करें वैसा प्रश्न नहीं है। शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से की........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : लेकिन बाद में बिगाड़ दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनमें बोलने की काबलियत है और अच्छा बोलते हैं और बोगस से बोगस बात को भी अच्छे ढंग से रखते हैं; यह तारीफ की बात है उनकी। शुरुआत अच्छी तरह से करके जब बाद में जाकर कहा कि इस कानून पर जाना अपने कपाल पर पत्थर मारना है। आखिर में जाकर यह कन्क्लूजन निकलाते हैं।

मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने प्रतिनिधियों की हैसियत से अपने अपने....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सिर्फ एक ने नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कांग्रेस की तरफ से मैं कह रहा हूं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर मारवाड़ी में कहावत है कि 'चित भी मेरी और पुट भी मेरी' और अंग्रेजी में इसको दूसरे प्रकार से कहें तो "blowing hot and cold together"...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उसका ठीक यूज यह है "Heads I win and tails you loose."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : That is a postgraduate proverb. He is saying a matriculate proverb.

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दुस्तान में और हमारे प्रान्त में कुछ नाज की कीमतें ऊंची चली गई थीं, उस समय इस सदन में शोरगुल हुआ था, हल्ला हुआ था और जोरों से कहा था कि नियन्त्रण होना चाहिए....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हल्ला नहीं हुआ था।

श्री नाथूराम मिर्धा : हल्ला भी हुआ था। तो उनकी भावनाओं की उस समय भी कद्र की गई थी। हमें भी चिन्ता हुई थी, भारत सरकार को चिन्ता हुई थी और कदम उठाये जाने के लिए मांग की गई थी और कदम उठाये गये। कदम के बारे में डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी सस्ते धान की दूकानें खोली गईं। बाहर से आये हुए स्टॉक की दूकानें खोली गईं, दूर दूर स्थानों पर खोली गईं क्योंकि प्रोफिट मोटिव वाले लोग दूर नहीं जाना चाहते थे तो सरकार को पिक्चर में आना पड़ा। उसके बाद में एक्सपोर्ट और दूसरे कदम उठाये, व्हीट को बान करने के बारे में। विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने इसको तो मन्जूर कर लिया कि यह तो ठीक है कि एक्सपोर्ट बन्द कर दिया, लेकिन किसान का धान किस भाव पर बिकता है इसकी चिन्ता मत करो, दूसरे फिर कितना ही मुनाफा खाते हैं उसके अन्दर उसकी चिन्ता मत करो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कन्ट्रोल नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ एक्सेस प्रॉफिट को लेने के लिए आपके पास दूसरे तरीके हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पाबन्दी करेंगे तभी तो यह होगा। आप पाबन्दी के पक्ष में नहीं हैं। कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे पाबन्दी करेंगे? आप कहते हैं कि पाबन्दी करो मत और एक्सपोर्ट को बान कर दो। आपकी दलील के अन्दर आपने एक हद तक की है। दूसरा पक्ष यह कहना चाहता है कि किसानों के लिए कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने खास तौर से मेरे लिए कहा है कि मैं किसानों की चिन्ता रखता हूं लेकिन ऐसे समय में यह कानून लागू हो रहा है कि इस बात से किसानों से बड़ा खतरा हो जायगा। कई लोग कन्जूमर्स की बात कर रहे हैं। फिर व्यापारियों की बात भी साथ साथ में आती है कि ये खत्म हो जायेंगे। माननीय अध्यक्ष, हम किसी को कत्ल नहीं करते हैं और न किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते है। सरकार को एक रास्ता निकालना पड़ेगा जिसके अन्दर सब की जगह और सबके जो वाजिब हक हैं वे उनको मिलें। किसान को अपनी उपज की वाजिब कीमत मिले। कन्जूमर को किसान द्वारा देश में पैदा होने वाली चीजों का सही तौर पर वितरण हो। वाजिब कीमत पर उनको मिले और उनके बीच में जो बिचोलिये धन्धे को करते हैं उनके ऊपर रेग्युलेशन हो और यह भी इस बात का कि किस हद तक उनको प्रॉफिट लेना चाहिए, किस लाइन पर उनको रेग्युलेट करना है, उसके बारे में कोई ऑर्डिनेन्स निकालते हों, कोई नया ऑर्डर आगया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हो, ऐसी बात नहीं है। सन् १९५८ में ऑल-रेडी एक कानून लागू था। उसमें कुछ धाराएं थीं। उनके अलावा जिनको इस वक्त में जरूरी समझा गया उन धाराओं को इस कानून के अन्दर नये तौर से जोड़ा गया है और उन धाराओं की प्रतिक्रिया व्यापारियों के दिमाग में पैदा हुई। उन्होंने कुछ कदम उठाये। काफी तादाद में यहां भी आये हैं, हमसे मिले हैं और माननीय सदस्यों पर जो कुछ असर डाल सकते थे वह उन्होंने डालने की कोशिश की। उनसे मिले हैं। हम से भी मिले हैं। उनकी वाजिब बात को हम मानते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ वाजिब तौर से सहूलियतें दी जा सकती हैं वे सहूलियतें दी जानी चाहिए। क्या सहूलियतें दी जानी चाहिए, उसके बारे में संक्षेप में अभी जिक्र करूंगा।

निश्चित तौर से मैं यह मान कर चलता हूं कि हमारे किसानों का दृष्टिकोण, कन्ज्यूमर्स का दृष्टिकोण, व्यापारियों का दृष्टिकोण देश के हित में क्या आज होना चाहिए योजनाओं को ठीक ढंग से चलाने के लिए, उसमें इस सदन प्रत्येक माननीय सदस्य और देश का एक एक आदमी इस बात को मानेगा कि हमारी योजनाओं का सही तौर से मतलब निकाल कर देश के सब लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो निश्चित तौर से प्राइसेज़ का स्टेबिलाइज़ेशन होना चाहिए। प्राइसेज का स्टेबिलाइज़ेशन करने के लिए अगर सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ते हैं तो मेरे ख्याल से उन कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए, न कि यह कहें कि उन कदमों के द्वारा तकलीफ हो जायगी और उस तकलीफ के बारे भी में उनका यह दृष्टिकोण कि समय समय पर जिस बात की जिसको तकलीफ हो वह आकर कहे, तो उसी प्रकार का मत बना लेना और दूसरी आवश्यक बातों को गौण बना लेना, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। और इसके बीच रास्ता निकाल कर चलना पड़ेगा। खास तौर से इस सदन में जो अपोजिशन खड़ा हुआ है वह नये ऑर्डर के बारे में, डीलर की डेफिनिशन के बारे में है जिसमें यह है कि १० क्विन्टल एक धान और कुल मिलाकर ५० क्विन्टल सब धानों का डीलिंग हो तो लाइसेन्स लेने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। पहले ५० मन का था। ५० मन का मतलब करीब २० क्विन्टल होता है। वह पहले था अब १० कर दिया गया है। यह देश की नीति है और भारत सरकार ने यह तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कन्ट्रोल के अन्दर लाना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए सारी चीजों को नियन्त्रित रूप से चलाना पड़ेगा। उन्होंने सारे देश के सामने इस प्रश्न को रखा है और अमेंडमेंट में जिनको, माननीय अध्यक्ष, नहीं किया है उनको करने जा रहे हैं। वह सीमा १० क्विन्टल की उन्होंने रखी है, और मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के नियन्त्रण मे लाकर इसके नीचे जो प्रावधान है उनके मुताबिक काम करने को कहा जाय। इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है, इसलिए १० क्विन्टल का जो प्रावधान रखा है वह जरूरी समझता हूं और उसमें कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा जो मेन प्रश्न खड़ा किया गया है

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वह यह है कि जो सिक्यौरिटी का प्रावधान नये ढंग से नये कानून में आया है यह प्रावधान रखना नहीं चाहिये। जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी वाले तो पूरे ही कानून के विरोध में हैं, लेकिन आखिर में जाकर कह दिया पूरी सिक्योरिटी के बारे में। दूसरों ने भी कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा पहले भी कहा था कि सिक्योरिटी के प्रावधान को रखना जरूरी समझते हैं। उसके पीछे जो भावना है वह यह है कि इस ऑर्डर के नीचे जितनी धाराएं हैं उनके नीचे व्यापारी यदि कार्यवाही नहीं करें तो समय समय पर जो जुर्माना उन पर हो सकता है उसे इस जमासुदी रकम में से आसानी से वसूल किया जा सके, यह मंशा है। इसके साथ यह बताना, कि सरकार बहुत बड़ी तादाद में पैसा इकट्ठा करके स्टेट ट्रेडिंग करना चाहती है, उचित नहीं हैं। ऐसी कोई मंशा नहीं है। यह सही ढंग से है इसीलिये सिक्योरिटी का प्रावधान रखा है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सिक्योरिटी की रकम छोटे लोगों के लिये कम हो, इस पर विचार किया जा रहा है, सरकार ने उस पर विचार किया है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को जानकारी देना चाहता हूं वह यह है कि ५०० क्विन्टल पर-ईयर से नीचे उसका टर्न-ओवर होगा उनसे सिक्यूरिटी नहीं ली जायगी।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ५०० क्विन्टल से नीचे तो अब भी सिक्यूरिटी नहीं है। इसमें लिखा है कि ५०० और १ हजार वालों तक को ५००) रु० देने पड़ेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले क्लियर नहीं था, अब मैंने क्लियर कर दिया। ५०० क्विन्टल से नीचे टर्न-ओवर होगा तो उनको सिक्योरिटी-अमाउन्ट जमा नहीं कराना पड़ेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो पहले भी नहीं था। जो पहले भी नहीं था उसके बारे में आप घोषणा करके सदन का समय क्यों अन्नेसेसरी वेस्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय क्रमशः स्केल बताना चाहते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो चीज है ही नहीं उसकी क्या घोषणा कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें लिखा है। This is already written here. Rs. 500 will be from those whose annual turnover is 500 quintal or more ..

यह तो ५०० क्विन्टल से ऊपर वालों के लिये है। फालतू सदन का समय क्यों ले रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसमें बहस क्या है, ५०० से नीचे नहीं था तो अब भी नहीं लगा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरा यह है कि २५०) रु० सिक्योरिटी ली जायगी उन लोगों से जिनका टर्न-ओवर ५०० क्विन्टल या

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्यादा हो, पर १००० क्विन्टल से एक्सीड न करे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५००) रु० से २५०) रु० कर दिये, सीधी बात ही करें न ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सीधा ही कहा है । उन लोगों से ५००) रु० लिये जायेंगे जिनका टर्न-ओवर साल में १ हजार क्विन्टल या ज्यादा हो, लेकिन २००० क्विन्टल से ज्यादा न हो । और ७५०) रु० उनसे लेंगे जिनका टर्न-ओवर २००० से ३००० क्विन्टल तक है और ३००० से ऊपर होते ही सिक्योरिटी १०००) रु० होगी ।

इसके बाद दूसरा प्रश्न उठाया है खास तौर से प्रॉफिट के बारे में....

श्री मानिकचन्द सुराणा : बैंक सिक्योरिटी होगी या कैश में सिक्योरिटी लेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : कैश में लेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिवाला निकल रहा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दिवाला निकलने का सवाल नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार करोड़ों रुपयों के इम्पोर्ट लाइसेन्स देती है बिड़लाजी और पोद्दारजी को उनसे लीजिये न, छोटे छोटों से क्या लेते हैं ? जो ब्लैक में बेचते हैं उनसे लीजिये न, छोटे छोटों से क्यों ले रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन्श्योरेन्स कम्पनीज के फाइडेलिटी बॉण्ड्स लेते हैं और किसी पर पेनल्टी इम्पोज़ करते हैं तो इन्श्योरेन्स कम्पनी से वसूल किया जा सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : छोटे वालों को छोड़ो, वह २ हजार से नीचे वाले हैं ।

आप हिसाब लगा कर देखें, ५-६ बोरी रोज बेचने वाले हैं उनका टर्न-ओवर साल में कितना होगा ?....

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत छोड़ दिया, आगे छोड़ने का विचार नहीं है ।

उसके बाद शिड्यूल 'बी' के नीचे क्लॉज ६ है उसके बारे में सदन के माननीय सदस्यों का विचार रहा है कि होलसेलर द्वारा रिटेलर को स्पेसिफाइड एरिया में बेचने का प्रावधान है वह ट्रेड को नुकसान पहुंचावेगा इसलिये होल सेलर के बजाय रिटेलर लिखा है । व्यापारियों की और कुछ दूसरे लोगों की यह मंशा है कि चाहे जिसको बेचने की छूट होनी चाहिये; चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे और कोई हो, वह चाहे जिसको बेच सके ऐसा प्रावधान होना चाहिये—यह उनकी मांग है । लेकिन हम इस मांग को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मंजूर करने में असमर्थ हैं। वर्ड 'होल सेलर' और 'रिटेलर' से सन्तोष नहीं था इसलिये उसके बजाय हम 'डीलर' रखना चाहते थे उससे भी उनको संतोष नहीं था, उनकी मंशा पूरी नहीं होती थी। इस धारा के नीचे मंशा यह है कि होलसेलर जो रिटेलर है उसको ही माल बेच सकेगा। इसका मतलब यह है कि पर्टिक्यूलर इलाके में जो होलसेलर्स हैं वे रिटेलर्स की मार्फत ही अपना व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा एजेन्सी बढ़ावें नहीं, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा; इस तरह से ज्यादा इन्टरमीजियरीज़ करने से प्राइसेज़ बढ़ती हैं, प्राइसेज स्केलअप होती हैं, इसलिये मंशा के विपरीत जाता है। इस वजह से जैसा कि आपने कहा, एक पर्टिक्यूलर इलाके में सरप्लस है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस कानून में होल-सेलर और रिटेलर को डिफाइन किया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है; सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और व्यापारी भी जानते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कानून में डेफिनिशन नह है तो कानून की व्यवस्था को रखने के लिये कहां तक न्यायोचित है ? लीगल आस्पेक्ट में डिफाइन नहीं किया तो कॉम्प्लीकेशन्स बढ़ेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी। आपने प्रश्न उठाया कि एक एरिया में सरप्लस है तो दूसरे एरिया में वहां से माल कैसे जायगा, इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिये धारा १२ है। लाइसेंन्सिग ऑथोरिटीज़ को अधिकार है रेगुलेट करने का। माल कैसे पहुंचाया जायगा, प्राइसेज़ किस कदर होंगी--इन सब के लिये पॉवर्स लाइसेंन्सिग ऑथोरिटीज को है; वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। कैसे जोन्स हों, किस प्रकार इलाके हों, कैसे रजिस्टर्ड एरिया हों, कैसे माल पहुंचाया जाय; इन सारी बातों की व्यवस्था वे करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं मंत्रीजी से कि यदि एक किसान सौ मन गल्ला पैदा करता है और उसके ५-७ बच्चे हैं, उस गल्ले को वह अपने पास रखना चाहता है, बेचना नहीं चाहता तो कैसे क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता हैं वे इस कानून की धारा १ को पढ़ लें तो उसमें डिफाइन्ड है और साफ लिखा है कि किसानों पर यह लागू नहीं होगा। किसान अनाज पैदा करते हैं और वे यदि स्टोर करके रखते हैं तो उन पर यह लागू नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या इस समस्या की ओर भी ध्यान गया है कि हर एक व्यापारी किसानों के पास स्टॉक नहीं रखेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : व्यापारी खुद

Page No. 63

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जानते है कि किसानों के पास रखेंगे तो क्या नतीजा होगा । इसको व्यापारी ग्रौर सरकार सभी जानते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमे तो फायदा उनको मिलेगा जो पांच हजार या दस हजार पैदा करते हैं या जो बड़े बड़े जागीरदार, जमीदार हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्राप इसको रोकें, ग्रध्यक्ष महोदय, तो मैं जल्दी खत्म कर दूं । धारा ६ के बारे मे सुझाव हैं ग्रौर उसके बारे मे उनकी सहमति जैसा है हमारी उससे ग्रसहमति है । जितना रखा है यह वाजिब है ।

फिर जैसा कि प्रोफिट के बारे में सुझाव ग्राया था, ग्रभी प्रावधान यह है कि होल-सेलर डीलर्स का एसोशियेसन निर्धारण करेगा कि जो इनीशियल प्रोफिट लेते हैं वह कम है या ज्यादा है । इसको वे स्वयं निर्धारित करें, इस बात की छूट इस कानून में दी है । ग्रागे जो इस कानून में छूट दी गई है, उसका सही उपयोग नहीं होगा तो ग्राने वाले समय में छूट नहीं करेंगे । इसके बारे में क्या व्यवस्था करने की ग्रावश्यकता है, इसकी क्लीग्रर पिक्चर सरकार के सामने तब ग्रायेगी । ग्रभी सरकार ने व्यापारियों की एसोसियेशन के ऊपर भरोसा करा है कि रीज़नेबल ग्रसैस करके सही मार्जिन ग्रॉफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए—यह निश्चित करेगी ग्रौर उसको इन्डीविजुग्रल व्यापारी मान कर चलेगा । यह उनके उच्च नैतिक स्तर पर भरोसा करके छोड़ा है । हम ग्राशा करते हैं कि वे ठीक ढंग से काम-काज करेंगे ग्रौर जो वाजिब प्रॉफिट, रीज़नेबल प्रॉफिट होना चाहिए, उसको वे सही रूप में निश्चित करेंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्रसली बात तो छोड़ दी, स्टोर्स के बारे में ।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टोर के बारे में, पांच-सात स्टोरेज ग्रगर दर्ज करा रखे हैं तो उनके चैकिंग के बारे में व्यवस्था है । ग्रब ग्रगर रात को माल ज्यादा ग्रा गया ग्रौर उसको भरने की व्यवस्था नहीं है—तो ऐसा ग्रमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नये स्टोर की इत्तला ग्रगर ४८ घंटे पहले दे देंगे तो उस स्टोर को दर्ज कर देंगे ग्रौर उनकी कठिनाई को दूर करेंगे ।

तो इस कानून में जो प्रावधान किये गये हैं, व्यापारी लोग जो इसमे व्यापार करते हैं उन लोगों को....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : स्टॉक्स की सूचना देते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन व्यापारियों के लिए जमा-खर्च रोज करने की व्यवस्था इसमें की गई है । इसके लिए कहा कि इसमें छूट होनी चाहिए कि वह रोज न होकर दो तीन दिन में कर लें तो उसको ग्रॉफेन्स नहीं मानना चाहिए । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान जान बूझ कर रखा गया है, हर एक व्यापारी को रोज का जमा-खर्च रोज करके नेक्स्ट डे के लिए क्या है—यह व्यवस्था कर लेनी चाहिए । इसमें छूट दी जाय तो

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कानून में लूप-होल रह जाता है। इसलिए इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

इसके ग्रलावा जो प्रेक्टीकल तकलीफें होती हैं उन पर गौर करना जरूरी है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो ये विचार मैंने, ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी मार्फत सदस्यों के सामने रखे....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रपील के बारे में।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक पोइन्ट जो पहले कह दिया था कि जिस लोगों ने १ मार्च को या उससे पहले लाइसैन्स फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है।

एक ग्रमेंडमेंट ग्राया है लाइसेन्स के रिन्यूग्रल के बारे मे। ग्रगर लाइसैन्स खो गया है तो उसके लिए दस रुपया रखा था। उसके लिए माननीय सदस्यों ने कहा था कि यह पैनल्टी के तौर पर लेते हैं, यह ज्यादा लेते हैं। उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया है। यह छोटी बात है; दस के बजाय पांच लें तो इसमें दिक्कत नही है। इसलिए पांच करने के लिए तैयार हैं, यह हमने तय कर लिया है ग्रौर इसमें हमारी जिद्द नहीं है, ग्रौर किसी तरह का कोई प्रेस्टिज का प्रश्न नहीं है। यह केवल एक व्यवस्था का प्रश्न है, जिसका मैंने जिक्र किया था। मैं सोचता हूं कि इससे सदन के माननीय सदस्यों को संतोष होगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रपील का क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बाद में व्यापारी....

श्री मानिकचन्द सुराणा : ग्रजी साहब, ग्रपील का क्या होगा ? ग्रपील सरकार ने ग्रपने पास रखी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ग्रपील के बारे में कहा। उसके बारे में हमने यह सोच कर रखा था कि सरकार के सामने वे मामले ग्रायेंगे तो ग्रासानी रहेगी। ग्राप मानते है कि इसमें ग्रासानी रहेगी ग्रौर डिसन्ट्रलाइजेशन कुछ मामलों का हो जाय तो हम एडेमेन्ट नहीं हैं। हम इस पर सोच सकते हैं ग्रौर डिसैन्ट्रलाइजेशन करके नीचे की ग्रॉथोरिटी के ऊपर रख दें जिससे जरूरत पड़े तो वह निपटारा कर सकें ग्रौर ग्रपील सुन सकें। इसमें जिद्द नही है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : होलसेल के बारे में क्या विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सब बातें बता दी हैं, ग्राप विराजें।

मैं निवेदन कर रहा था कि व्यापारी जल्दी जाकर लाइसेंस ले लें। जिन्होने एप्लाई कर दिया है वे जाकर लाइसेंस ले लें ग्रौर जिन्होने नही किया है वे एप्लाई कर दें। हम ७ तारीख तक, नेक्स्ट वीक तक इन्तजार करेंगे ग्रौर यह कानून एन्फोर्स हो उसको देखेंगे ग्रौर जिन लोगों ने व्यापार बन्द करने का तय कर लिया है तो सरकार ग्रॉल्टरनेटिव के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तौर पर जनता की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, किसानों की प्रॉबलम को दूर करने के और कन्ज्यूमर की प्रॉबलम दूर करने के लिए कोई हल निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके बाद भी व्यापारी की भावना हो कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग कर रही है इसलिए वे स्वयं धन्धे को छोड़ कर बैठ जायं तो बाद में उन्हें शिकायत करने का मोका नहीं रहेगा और हम खास तौर पर जो कानून के कॉन्सीक्वेन्सेज होंगे उनको चैक करेंगे और किसानों की तकलीफो को, कन्ज्यूमर की तकलीफो को दूर करने के लिए, किसान को कीमत वाजिब मिले और कन्ज्यूमर को वाजिब कीमत पर मिले—इसका इन्तजाम करेंगे। अगर व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो सरकार को खरीदना पड़ेगा। इसके लिए सरकारी मशीनरी सेट-अप कर रहे हैं। ऐसी हालत नहीं है कि कोई हड़ताल का असर पड़ जाय और इससे डर जायें। हम उनकी बात को दो साल तक सुन चुके हैं और विचार कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों को यह सलाह दें कि वे कानून के एम्प्लीमेंटेशन में मदद दें जिससे जनता को राहत पहुंचाई जाय, कन्ज्यूमर को राहत पहुंचाई जाय और किसानों को लाभ पहुंचाया जाय—क्योंकि ये सब समाज के अंग हैं, किसान, व्यापारी और कन्ज्यूमर्स समाज के अंग हैं—ये सब अंग जुड़ कर चलेंगे तो मानवीय दृष्टिकोण को, रीजनेबल दृष्टिकोण को पूरा कर सकेंगे और जो समाज में समस्यायें खड़ी होती हैं, देश में खड़ी होती हैं उनका व्यवहारिक हल निकाल सकेंगे। यह बात कह अपनी बात समाप्त करता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम सरकार की इस ट्रेड के प्रति जो नीति है उसका घोर विरोध करते हैं और बहिर्गमन करते हैं।

(स्वतंत्र दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब से घोर असंतोष हुआ है....

श्री अध्यक्ष : जी हां, उनको सुनिये।

श्री केदारनाथ : को-ऑपरेटिव स्टोर्स को इस लाइसेन्स से एग्जेम्प्ट करें। दूसरे जिस प्रकार मार्केट कमेटी पंजाब ने बनाई है ताकि नौकरशाही न पनपे और जनता को हैरेसमेंट न हो, ट्रेडर्स को सुविधा हो, इसलिये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केट कमेटी बना दें, नम्बर दो और नम्बर तीन--जो सिक्योरिटी ले रहे हैं ट्रेडर्स से, उसके लिए अच्छा हो कि नेशनल सेविंग्ज सर्टीफिकेट्स के रूप में लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हिन्दुस्तान में जहां भी ऐसे कानून बनाये हैं उनमें से आप एक भी बता दें जिसमें सिक्योरिटी का प्रावधान हो....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप सुन लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का एक भी कानून ऐसा है जिसमें लाइसैन्स के लिए सिक्योरिटी का प्रावधान हो....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : यह पहला कानून है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पहला कानून है तो गलत कानून है, इल्लीगल कानून है, अनजस्ट कानून है । कौल साहब! अगर आपको पैसे की भूख है तो सुखाड़िया साहब के साथ थैली लेकर चले जाइये कलकत्ते और वहां से पैसा ले आइये....

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो मैटर ऑफ ओपीनियन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेटर ऑफ ओपीनियन नहीं है । सारे प्रश्न पर जो जवाब दिया है वह असंतोषजनक जवाब दिया है, छोटे व्यापारियों का बिल्कुल विचार नहीं किया है । आज दो दिन से दूकानें बन्द हैं, कन्ज्यूमर इधर-उधर रोते फिर रहे हैं उनको अनाज नहीं मिलता है और सरकार इस स्थिति में पहुंच गई है कि इस सबको वह रोक नहीं सकती । आपका जवाब असंतोषजनक रहा है क्योंकि हिन्दुस्तान में कहीं भी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार का दीवाला निकल रहा है तो कौल साहब थैली लेकर कलकत्ते सुखाड़िया साहब के साथ चले जायें और चन्दा ले आयें। हमें इससे किसी प्रकार का संतोष नहीं मिला है। इसलिए मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि इसके विरोध में बहिर्गमन करें।

(जन-संघ के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के प्रान्त के अन्दर इस प्रकार की बात आई । वहां जो प्रशासन है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो सिक्योरिटी का सवाल है, उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स में रुपया रखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर निर्णय दे चुके हैं मंत्री महोदय, इसलिए इसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of clarification. मैं जानना चाहता हूं, इसमें ऐसा लिकुना मालूम पड़ता है, उसके लिए मंत्री महोदय कहें, उसको स्पष्ट करने की कोशिश करें। फूड ग्रेन्स के ट्रेड में लिमिटेशन्स हैं । आपने अपने रूल्स में कन्डीशन लगाई है कि एक पर्टीक्यूलर एरिया में रिटेल सैलर्स या होल सैलर्स बेच सकेंगे। यह व्यवस्था किस तरह से होगी ? साधारणतया पर्टीक्यूलर व्यापारी का माल जयपुर से जोधपुर चला जाय, या जयपुर से माल उदयपुर चला जाय; इसमें क्या व्यवस्था होगी, उसको एक्स्प्लेन करने की कोशिश करें। क्या सरकार अपनी खुद की जिम्मेदारी लेगी कि इस तरह से माल एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने की व्यवस्था हो ?....

श्री नाथूराम मिर्धा : यही बात है। सरकार के नियंत्रण में एक जगह से दूसरी जगह माल जायगा।

Page No. 67

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें लेकुना मालूम पड़ता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक्सपोर्ट हो प्रान्त के बाहर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब में।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द) : कन्ज्यूमर ग्रो-ग्रॉपरेटिव सोसाइटी के लिए पूरा साफ नहीं कहा, उससे क्या सिक्योरिटी ली जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि सिक्योरिटी ली गई है ग्रौर ली जायगी।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इसके साथ साथ बैंकिंग कंट्रोल का क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। यह जनरल पॉलिसी का सवाल है । वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

(१०.४७ म० पू०)

जोधपुर की सहकारी समितियों को अनाज सप्लाई बन्द करने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक स्थगन-प्रस्ताव मैंने दिया था। जोधपुर की सहकारी समितियों को ग्रनाज की सप्लाई बन्द कर देने के सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि उस पर खाद्य मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ग्राप बहस में बात उठा देते तो कह देते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग ग्रॉर्डर से सीधा ताल्लुक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : जोधपुर सहकारी समितियों को धान पहुंच रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पहुंच रहा है, पहुंच जायगा; इससे संतोष नहीं होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास स्टॉक ग्रा गया है, हम पहुंचा रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं जानना चाहता हूं कि किस ग्राधार पर कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ को माल देना बन्द कर दिया था ग्रौर क्यों कोग्रापरेटिव्ज़ को दस दिन तक एक मन की सप्लाई नहीं की गई ? उनकी चालीस दूकानें हैं, वे दूकानें बन्द हो जायं ग्रौर इधर ग्राठ-दस दूकानें खोल दी ग्रौर ग्रापने कहा कि सिर्फ ग्रापकी दूकानों को माल मिले ग्रौर कोग्रॉपरेटिव सोसाइटी, प्रयत्न करके रूरल ग्रार्गेनाइजेशन, प्राइवेट सैक्टर की लाइन पर बनाई हैं, ग्रापने उनको लाखों रुपयों की मदद दी है। ग्रापने उनको प्रोत्साहन दिया है। ग्रब ग्राप उनकी दूकानों पर धान सप्लाई नहीं करके ग्रपनी दूकानों को खोल रहे हैं। मैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कहूंगा कि अगर आप कम्पीटीशन करना चाहते हैं तो प्राइवेट एन्टरप्राइज़र्स से करें, प्राइवेट ट्रेडर्स से करें; न कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, जैसा की आपने जोधपुर में किया है।

इसके अलावा आपने जो १० क्विन्टल रोजाना नाज देने का प्रावधान रखा है वह बहुत कम है। आप रोजाना १० क्विन्टल देना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि १० दिन में एक ट्रक देना चाहते हैं जब कि डिमान्ड इसमें बहुत ज्यादा है। जो आप देते हैं वह डिमण्ड का २० प्रतिशत भी नहीं है। लोगों की मांग को २० प्रतिशत भी पूरा नहीं कर रहे हैं। आपके यहां इम्पोटेर्ड व्हीट की कमी नही है, मगर फिर भी आपने जोधपुर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नाज सप्लाई नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर अनाज का भाव ऊंचा हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की स्थिति में जब कि इम्पोर्टेड व्हीट की हमारे यहा पर स्केयर्सिटी नहीं है तो सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नाज देना चाहिये और अगर सरकार अपनी दूकानें खोलना चाहती है तो ऐसे स्थानों पर खोलें जहां कोआपरेटिव सोसाइटीज़ की दुकाने नहीं हों। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को पहले प्रिफरेन्स देना चाहिये क्यों कि हम यह चाहते हैं कि उनको कोई नुकसान न हो।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि जो एजेन्सीज़ हैं चाहे वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हों या अन्य एजेन्सीज हों, अगर वे ग्रेन डिस्ट्रिब्यूशन एफिशियेन्टली कर रही हों तो उनको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जायगा और सरकारी दूकानें कम्पीटीशन में उनके सामने खड़ी नहीं की जाएं। अगर और दूकानों की जरूरत हो तो खोलनी चाहिये। मगर जोधपुर कलैक्टर की तरफ से कुछ राय आई थी कि कुछ दूकानें वहां पर खोल कर उन्होंने कोऑपरेटिव को गेहूं नहीं दिया। हमने कलैक्टर को हिदायत कर दी है कि यह सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिये कोऑपरेटिव को जो धान देना बन्द किया है वह उनको फौरन दे दिया जावे और सरकारी दूकानें अलग से खोल कर उनके राइवल में खड़ा न करें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और मार्केटिंग सोसाइटीज़ को धान नहीं दिया है। मारकेटिंग सोसाइटीज़ सही रूप में डीलर्स के रूप में नही आती हैं। कन्ज्यूमर्स मुनाफा कर नहीं सकते। इसलिये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी प्रॉफिट नही कर सकती है....

श्री अध्यक्ष : कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रॉफिट लेती है, उनको प्रॉफिट लेने का हक है।

श्री मोतीलाल चौधरी : प्रोफीटियरिंग को बान कर दिया है।

(१०.५४ म० पू०)

नगर सुधार एवं नगरपालिका (संशोधन) विधेयकों विषयक

श्री अध्यक्ष : कल राजस्थान अर्बन

Page No. 69

(श्री अध्यक्ष)

इम्प्रूवमेंट बिल और म्युनिसिपेलीटीज एमेन्डमेंट बिल पर बहस हुई और माननीय मंत्री के उत्तर के लिये आज यह रखा गया है। माननीय मंत्री कृपया उत्तर दें।

(१०.५५ म० पू०)

आय-व्ययक लेखे निर्धारित समय से पूर्व वितरित करने सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, आपने एक दिन पूर्व बजट लीकेज के बारे में व्यवस्था दी थी और मुख्य मंत्री उस समय सदन में नहीं थे और माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था कि लीकेज साबित हो जाय तो वे इस्तीफा दे देंगे। अब तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की है ? जो भी तथ्य सरकार के सामने आए हैं और जो भी सूचना मुझे मिली है उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट ६ बजे दिल्ली में प्रेस प्रतिनिधियों को बांट दिया गया था और वहां से ६ बज कर दस मिनट पर टाइम्स ऑफ इन्डिया के टेलीप्रिन्टर पर और ६ बज कर २२ मिनट पर इन्डियन एक्सप्रेस के टेलीप्रिन्टर पर देहली से जयपुर ट्रान्समिट किया गया। ऐसी स्थिति में दिल्ली में ६.१० बजे और ६.२२ मिनट पर ट्रान्समिट किया गया और यहां पर ६.४० मिनट पर वित्त मंत्रीजी का भाषण समाप्त हुआ। इसलिये यह सिद्धान्ततः स्पष्ट है और साफ तौर से बजट का लीकेज हुआ है। इसके लिये यह कहना, कि बजट का लीकेज नहीं हुआ, उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिये; ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। चीफ मिनिस्टर के उस दिन भाषण के बाद वित्त मंत्रीजी ने कहा कि अगर लीकेज बजट होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह कहूंगा कि इस बात की जांच की जावे। इसके लिये चीफ मिनिस्टर आश्वासन दें कि या तो वे खुद जांच करेंगे या जांच करायेंगे। यदि जांच करायेंगे तो सारे सुबूत मिल जाएंगे जिसके लिये वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि बजट लीकेज होगा तो इस्तीफा दे दूंगा। अगर इस मामले में जांच कराई जावे और पी. टी. आई, हिन्दुस्तान टाइम्स और पेट्रियोट के प्रतिनिधि हैं उनके बयान लिये जाएं तो इस स्थिति का स्पष्टीकरण हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन की कार्यवाही शुरू हो उससे पहले इसके लिये चीफ मिनिस्टर उत्तर दें कि वे इसके सम्बन्ध में जांच करावेंगे और अधिवेशन समाप्त होने से पूर्व यानी १० अप्रेल के पूर्व सदन को सूचना देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह बजट लीकेज का प्रश्न है वह केवल गवर्निंग पार्टी से ही संबन्धित नहीं है बल्कि यह सारे सदन से संबन्धित है और आर्थिक पहलू के बारे में है। इसका आर्थिक पहलू पर बड़ा भारी असर पड़ता है। इसलिए यह केवल औपचारिक मसला नहीं है, यह एक गंभीर बहस का मसला है। इसलिये जो तथ्य पहले सदन के सामने आये और आज भी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिये इस प्रकार के तथ्यों को इस सदन....

Page No. 70

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : On want basis this point is being dicussed.

श्री अध्यक्ष : A Point of order was raised by an Hon. Member and he is supporting the point of order.

श्री मथुरादास माथुर : He simply mentioned it here. Now it is for your ruling.

श्री अध्यक्ष : I am awaiting guidance from the Government.

श्री मथुरादास माथुर : This point was already discussed in the House.

श्री अध्यक्ष : डिस्कशन करने से ही मतलब नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। मुझे माननीय सदस्य ने कहा कि आप इसकी जांच करें। मैंने कहा नियम के अनुसार मैं इसकी जांच नहीं कर सकता। इसके लिये या तो मुख्य मंत्री कहें कि ऐसा नहीं हुआ या माननीय मंत्री कह दें कि ऐसा नहीं हुआ, तो माननीय सदस्यों को सेटिस्फेक्शन हो जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि इन मंत्री महोदय ने तथ्यों को इस सदन के सामने रखा वे सही हैं या बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखे हैं वे सही हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इन तथ्यों के बारे में एक मंत्री महोदय--चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे वित्त मंत्री हों--केवल एक वक्तव्य दे कर इस सदन को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बिठाई जावे जो पूरी तरह से जानकारी करके पूरी जानकारी सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष : यह किस नियम के अन्तर्गत हो सकता है? माननीय सदस्य बतावें कि इसके लिए कोई डाइरेक्शन दिया जा सकता है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब्स्टेन्सिव मोशन के द्वारा।

श्री अध्यक्ष : आप प्रिसीडेण्ट दीजिये और नियम बताइये। अगर ऐसा सदन कर सकता है तो करेंगा।

(११.०० म० पू०)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जो कोलायत से आये हैं, ने कुछ गलतबयानी यहां की है इस सम्बन्ध में कि मैंने क्या कहा था। मैंने जो कहा वह यह है, मैंने जो कुछ लफ्ज कहे उनको रखना चाहता हूं, मैंने उस दिन कहा था, आपको याद होगा, माननीय अध्यक्ष, कि अगर माननीय अध्यक्ष की जो रूलिंग हुई है, व्यवस्था हुई है, उस व्यवस्था में, मैं उस व्यवस्था को स्टडी करने के बाद अगर यह पाऊंगा, कि उन्होंने यह मान लिया है कि बजट लीकेज हुआ है तो मैं उस पर इस्तीफा दूंगा। मैंने और कुछ नहीं कहा

Page No. 71

(श्री बालकृष्ण कौल)

कि मैं इस्तीफा दूंगा। हां, माननीय सदस्य कहने लग गये कि बजट लीकेज हुआ। मैं अब भी नहीं मानता कि लीकेज हुआ। अब भी मेरा मानना है कि लीकेज नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में तथ्य मैंने सदन के सामने रखे।

तो यह कह देना कि मैंने कह दिया था कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। आप मेरे मुंह में यह लफ्ज डाल रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। लेकिन कन्डिशन्स में? अगर स्पीकर महोदय ने यह राय दी हो कि लीकेज हुआ है तो इस्तीफा दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर किन्हीं दूसरे तरीकों से, हाउस द्वारा अपॉइन्ट की हुई किसी इन्क्वायरी कमेटी द्वारा या और किसी एन्क्वायरी द्वारा यह तथ्य एस्टेब्लिश हो जाता है कि लीकेज हुआ है तो फिर क्या मंत्री महोदय इस्तीफा नहीं देंगे?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने यह कहा है कि अगर रूलिंग से यह पाया जायगा कि लीकेज हुआ है तो इस्तीफा दूंगा। मैंने यह नहीं कहा कि....

(दोनों सर्व श्री बालकृष्ण कौल व रामानन्द अग्रवाल साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग दी है उसमें दूसरे देशों के ट्रेडिशन्स की ओर संकेत दिया गया है। तो इसमें प्रिविलेज का क्वेश्चन न भी पैदा हो तो भी लीकेज हुआ है, इसलिये वित्त मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर लीकेज हो तो इस्तीफा देता हूं, पर मेरा मानना है कि लीकेज नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Now that factum is in controversy. If this factum of leakage is established by a committee of this House or any other procedure, which this House accepts, then what is the position of the Finance Minister?

श्री बालकृष्ण कौल : I shall not accept any hypothetical question. Let the thing come before me, then I shall be in a position to say

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह केवल विरोधी पार्टी का ही प्रश्न नहीं है, यह केवल हाउस की समस्या ही नहीं है, बल्कि यह डेमोक्रेसी की समस्या है। अगर लीकेज हुआ है तो वित्त मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये। यह डेमोक्रेसी को बचाने के लिये आवश्यक है। जिस देश में बजट का लीकेज होता है वहां डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। हमारे राजस्थान में, हमारे देश में डेमोक्रेसी शैशवावस्था में है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सिर्फ एक मिनिट पहले भी बजट का लीकेज हुआ है तो भले ही कानून की दृष्टि में यह कोई कसूर न हो फिर भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिये उन्हें वित्त मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिये।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मेरा मन्तव्य है, मैंने इस बारे में कोशिश की है जानने की, बजट लीकेज होता है, उसको प्रूफ नहीं मानते, यह अलग बात है। पर बजट जहां छपता है वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है इसके लीकेज को रोकने के लिये। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो कोलायत से आये हैं उन्होंने आंकड़े दिये हैं, उनके आधार पर मुख्य मंत्रीजी जांच कर लें, दूसरी कमेटी की आवश्यकता नहीं, मुख्य मंत्रीजी खुद देख लें, टेलिप्रिन्टर में छप गया है तो यह तो डोक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया, उसकी जांच मुख्य मंत्री कर लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में, वैसे मैं उस वक्त उपस्थित नहीं था, पर सदन में पहले भी प्रिविलेज मोशन के बारे में बहस हुई थी, आज यह प्रश्न इस भूमिका में उठाया गया है कि टेलिप्रिन्टर पर निश्चित समय पर वे समाचार छपे और इस प्रकार यह कोशिश की गई है एस्टेब्लिश करने की कि बजट यहां पर प्रस्तुत हुआ उसके पहले प्रेस को यह मालूम हो चुका था कि क्या टैक्स लगने वाले हैं। मैं तत्काल इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूं इस पोजिशन में नहीं हूं। जो माननीय सदस्य ६ बज कर १० मिनिट और ६.३० मिनिट का कह रहे हैं और यहां की स्पीच ने क्या समय लिया, इस सम्बन्ध में तो इनकी जानकारी करने के बाद ही अवगत करा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इससे संतोष हो जाना चाहिये माननीय सदस्यों को।

(विराम)

मन्त्री महोदय !

(११.५ म०, पू०)

राजस्थान नगर-सुधार एवं नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

(दोनों विधेयकों को प्रवर समितियों को दिया जाना)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, भवन तथा नगर विकास प्रन्यास) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट संशोधन बिल, १९६४ और राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज अमेंडमेंट बिल, १९६४ इन दोनों बिलों के कन्सिडरेशन का मोशन मैंने इस सदन में मूव किया था। कुल मिलाकर १७ माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। माननीय सदस्यों ने बहुत से मुद्दे उठाये और कुछ बातें इस सदन में कही जो इस बिल के स्कोप में तो नहीं आती थीं पर इन्डाइरेक्टली उनका सम्बन्ध स्वायत्त शासन सस्थाओं से था। ये मुद्दे इनमें उठाये गये कि एन्टरटेनमेंट टैक्स की पूरी की पूरी आमदनी म्युनिसिपेलिटीज को दी जाय, जिस तरह जमीन पर सीलिंग लगाया गया है उसी तरह हाउसेज पर सीलिंग लगाया जाय, ट्रस्ट्स के चेअरमेन और नोमिनीज का नोमिनेशन हुआ हैं उनका गवर्नमेंट के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, प्री-ऑडिट गवर्नमेंट ने बैठा दिया है वह इनके डे-टू-डे वर्किंग में बहुत बाधा

(श्री परसराम मदेरणा)

पैदा करता है, ऑब्लिगेटरी टैक्स नहीं लगाने के प्रपोजल्स राजस्थान सरकार के सामने आये, पर राजस्थान सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और स्वीकार नहीं करने में जो म्युनिसिपेलिटीज एक्ट में क्लॉज १०४ का प्रोवीजन था, उसके ऊपर....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): Excuse my interruption.

६ बज कर १० मिनट, कौनसा ? टाइम्स ऑफ इन्डिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जी हां । टाइम्स ऑफ इन्डिया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ६.२२ इन्डियन एक्सप्रेस ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I think so.

श्री परसराम मदेरणा : यह भी कहा गया कि जयपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सामने जमीन के लिये एप्लीकेशन्स बहुत ज्यादा तादाद में पड़ी हुई हैं, उनका डिस्पोजल नहीं हो रहा है, चित्तौड़ म्युनिसिपेलिटी में रहने वाले चमारों को, जबकि उनके पास पचास साल से वह जमीनें हैं, फिर भी पट्टे नहीं दिये गये । इसके साथ ही मास्टर प्लान के बारे में कहा गया, यह भी कहा गया कि मकान मालिक जो किरायेदारों से किराया लेते हैं उसकी उनको आमदनी २८ करोड़ होती है उसको टैक्स क्यों नहीं किया ? होटल्स को, मिलों को जमीनें दी गई हैं, उनके बारे में माननीय सदस्यों ने बातें कहीं । इन मुद्दों के साथ ही साथ इन दो बिलों से सम्बन्धित चार, पांच मुद्दे भी माननीय सदस्यों ने जरूर उठाये और कुछ शंकाएं भी उन्होंने व्यक्त कीं । उन्होंने कहा कि १७ साल के बाद में इस प्रकार का चार्ज क्यों लिया गया है, जबकि यह सरकार समाजवादी सरकार बनने का दावा करती है । यहां पर यह भी कहा गया कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जायेगा या नहीं । यह भी कहा कि इस चार्ज से रिकवरी होने वाली है वह कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ दी स्टेट में न दी जाकर स्वायत्त शासन संस्थाओं को दी जानी चाहिये, ओल्ड कन्वर्शन इस बिल की ओरबिट में आता है या नहीं आता ।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि शहरों में जो जमीनें रहने के पर्पज के लिये अलॉट की थीं वहां लोगों ने एन्डस्ट्रीज खड़ी कर दी हैं और वह वहां के नेबरर्स के लिये न्यूसेंस बन गई हैं । इस बिल के प्रोवीजन से वे कुल कवर होंगी या नहीं ? रूलर्स की प्राइवेट प्रोपर्टी, एक्स-जागीरदारों और सरमायेदारों के पास जमीनें हैं और जो दूसरों को बेच दी हैं वे इस बिल से कवर होती हैं या नहीं ? ये सारी बातें इस बिल के सम्बन्ध में कही गई हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में जो दो बातें कही गई हैं उनका उत्तर मैं पहले देना चाहूंगा । सबसे पहली बात यह कही गयी है कि १७ वर्ष बाद यह बिल क्यों लाया गया ? कन्वर्शन का जो यह चार्ज है वह टैक्स नहीं है और टैक्स की एन्ट्रीज में कहीं इसका

(श्री परसराम मदेरणा)

हवाला नहीं है क्योंकि यह चार्ज है और यह स्फीयर अनएक्स्प्लोटेड है। मैं यह कहूंगा कि मैं दो बिल लाया इस सदन में—एक तो मनी-ऑर्डिनेन्स सदन में लाया गया और दूसरा मनी--बिल सदन में लाया गया—ये दोनों ही आइटम्स ऐसे थे जो हिन्दुस्तान के किसी राज्य ने अब तक एक्स्पलोर्ड नहीं किये थे, अब तक अनएक्स्पलोर्ड थे। यह मेरी बदकिस्मती है कि वित्त मंत्रीजी, जो अनएक्स्पलोर्ड आइटम्स होते हैं, वे मुझे देते हैं और जो एक्स्पलोर्ड हैं उनको उन्होंने अपने पास रखा है, इसीलिए मैं इस सदन के रोष का भागी बन जाता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप इसको उठा सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह कन्वर्शन किया है, जो अब तक स्फीयर अनएक्स्पलोर्ड था और हिन्दुस्तान में यही राज्य ऐसा है कि जहां की राज्य सरकार इसको लायी है। मैं तो यह उम्मीद करता था कि क्योंकि हिन्दुस्तान की किसी स्टेट में इस तरह का चार्ज लेकर नहीं होता है और न ही लेवी किया है, इसलिए माननीय सदस्य कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किया है। बहुतों ने किया है।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होने बहुत से दावे प्रस्तुत किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना पसन्द करूंगा कि इस बिल को लाने के पीछे राज्य सरकार का इन्टेन्शन क्या है। राज्य सरकार का इन्टेन्शन यह है कि जिन लोगों की जमीन को लोकल ऑथोरिटीज़ या गवर्नमेन्ट ने ट्रान्सफर किया है और किसी पर्टीक्यूलर पर्पज़ के लिए किया है और वह व्यक्ति लैंड-यूज़ को चेन्ज करना चाहता है, उस लैंड-यूज़ को चेन्ज करने के फलस्वरूप उसकी जमीन का एप्रिसियेशन होता है, appreciation in the land-revenue by the change in lieu और उस एप्रिसियेशन की वजह से उसको एडवान्टेज मिलता है और ऐसे एडवान्टेज को प्रोफिट की संज्ञा में शुमार करता है तो यह अनअर्न्ड इन्कम है। ऐसी अनअर्न्ड इन्कम है या अनअर्न्ड प्रोफिट है तो उसको चार्ज किया जाना उचित होगा। इसी इन्टेन्शन के साथ यह बिल लाया गया है। इसके पीछे जो बेसिक आइडिया है वह मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देकर बताना पसन्द करूंगा। एक व्यक्ति ने लोकल ऑथोरिटी से कीमत देकर प्लॉट लिया और वह रेज़िडेन्शियल पर्पज़ के लिए लिया है, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिये लिया है और वह व्यक्ति जिस पर कि स्पेसिफिक रेज़िडेन्शियल कन्डीशन का रेस्ट्रिक्शन हैं वह उसको इवेड करना चाहता है, bychange of specific conditions से उस लैंड का एप्रिसियेशन होता है तो उस प्रोफिट पर गवर्नमेन्ट एन्टाइटल है कि अनअर्न्ड इन्कम उससे उसको होती है उसका हिस्सा वह ले। इसलिए ले कि जमीन का एप्रिसियेशन, जमीन की कीमत किसी एक व्यक्ति के एफर्ट्स से नहीं बल्कि समाज और कम्युनिटी के सामुहिक एफर्ट्स से बढ़ती है। उस एरिया

Page No. 75

(श्री परसराम मदेरणा)

में डवलप्मेन्ट के काम होते हैं, सरकार इन्स्टीट्यूशन्स खोलती है या व्यक्तिगत रूप से हॉस्पीटल या हाईकोर्ट खोलती है, इससे जो डवलप्मेन्टल एक्टीविटीज़ उस एरिया के अन्दर बढ़ती हैं और उससे लैंड की वेल्यू बढ़ती है। तो लैंड की वेल्यू बढ़ती है वह उस पर्टीक्यूलर पर्सन या पर्सन्स की कोशिशों से नही बल्कि समाज की कोशिशों से बढ़ती है, इसलिए जो प्रोफिट और एडवान्टेज उसको मिलता है उसमे से गवर्नमेन्ट हिस्सा लेने की एन्टाइटल है। इसी बेसिक आइडिया को लेकर यह बिल माननीय सदस्यों और सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

यहां पर यह भी कहा गया कि सभी प्रकार के कन्वर्शन हुए हैं वे इस बिल के स्कोप में आवेंगे या नहीं ? निवेदन करूं, सभी प्रकार के कन्वर्शन का एतराज करने का इन्टेन्शन इस बिल का नहीं है और इसलिए नही है कि ट्रस्ट और म्युनिसिपेलिटी का कम्पलीट जुरिस्डिक्शन है उसमे कन्वर्शन परमिटेड नही है। वहां पर कन्वर्शन परमिटेड है जहां स्कीम बनेगी और उसमें रेजिडेन्शियल और इन्ड-स्ट्रियल एरिया ईअर-मार्क कर दिया जावेगा। उसके अन्दर कोई रेस्ट्रिक्शन है, उसको इवेड करने के लिए अपोचुनिटी चाहते हैं तो दी जावेगी, लेकिन असेम्बली के पास में या घाटगेट के पास में कोई एरिया है और उस प्लान में वह एरिया नही आता है और कोई पर्टीक्यूलर स्कीम नहीं आती है तो किसी आदमी को इजाजत नही दी जा सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई स्कीम होगी, कोई प्लान प्रिपेयर होगा, उसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की आराजी हो और वह यह होल्ड करता है कि उसको वह फलां काम के लिए यूज़ करना चाहता है तो उससे कन्वर्शन चार्ज लिया जायेगा। लेकिन आराजी उसमें आती है और वह उसको कन्वर्ट नही कराता है तो कन्वर्शन चार्ज उस पर लेबियेबल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि जहां रिस्ट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात कही गई है उसमें कुछ केटेगरीज ऐसे व्यक्तियों की आती है। तो इसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है उसके सम्बन्ध में इस बिल का क्लॉज़ २ का पार्ट (२) कहता है :

"(2) The conversion charge shall be levied on any person who changes the use of any land originally allotted or sold by any local authority, or the State Government with the condition restricting its use for a particular purpose."

अब जिनका यूज़ अनरेस्ट्रिक्टेड है उनकी क्या पोजिशन होगी ? वे बिल के स्कोप में आवेंगे या नहीं, ऐसे केसेज हैं जहां गवर्नमेन्ट या लोकल ऑथोरिटीज़ ने लैंड ट्रान्स्फर नही की है और जिन व्यक्तियों के कब्जे में वे जमीनें टाइम इमेमोरियल से हैं और किसी कन्डीशन से रेस्ट्रिक्ट नहीं हैं तो वे व्यक्ति इसके स्कोप में नहीं आवेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूलर्स के बारे में ?

श्री परसराम मदेरणा : If you have any doubts, you may tell me,

(श्री परसराम मदेरणा)

I will explain everything to you.

वैसी जमीन या जितनी आराजी गवर्नमेन्ट ने इनिशियली ग्रान्ट की है और उसके पीछे कन्डीशन नहीं है, स्टिक्ट अटेच नहीं है और उसका मतलब यह हुआ कि वह ट्रान्सफर लैंड यूज या स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं की है या कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दोनों ही प्रकार के व्यक्ति होंगे, वे इस बिल के स्कोप में नहीं आवेंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति को राइट है कि वे अपने जमीनों को यूज ऑफ लैंड में परिवर्तित करें और राज्य सरकार के लिए जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि राज्य सरकार उनकी जमीन की वेल्यूएशन का एप्रिसियेशन होता है उससे किसी प्रकार का शेयर ले और गवर्नमेन्ट में शेयर है वह इसी बात पर है कि कोई कन्डीशन को वेव करता है तो चार्ज किया जावेगा और कन्डीशन वेव नहीं करता है और कन्डीशन वेव नहीं हुई हैं तो ऐसे आदमी से नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेन्ट को शेयर दे, गवर्नमेन्ट कम्पेल नहीं कर सकती कि वह शेयर दे।

अब यहां पर यह बात कही गई है जिन जमीनों का पहले ही कन्वर्शन कर लिया गया उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे या नहीं ? जिन केटेगरीज के लिये बताया गया उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन है या नहीं ? माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं इस बिल के इनेक्ट होने के बाद और इसके कमेन्समेन्ट के पहले क्या स्थिति रहती है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कन्वर्शन अन--ऑथोराइज्ड हैं। वैसी हालत में जबकि वे शहर के डिफरेन्स पार्ट्स में हों जिन पार्ट्स पर स्कीम लागू न हो, वह एरिया उस स्कीम के अन्तर्गत न आता हो, तो वह इसके ऑरबिट में नहीं आवेगा। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कन्डीशन वेव की गई हो, प्लान और स्कीम के एरिया में आने पर भी ऐसे मामलों को, इंडिवीज्युअल बेसिस पर देखा जायगा।

इसके अलावा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी इण्डस्ट्रीज, जो सेन्टर में आ जाती है, उनको भी इस बिल के अन्दर लिया जायगा या नहीं, उनसे आप यह टैक्स चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे ?

(११.२१ म० पू०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर कोई व्यक्ति शहर के अहाते में इण्डस्ट्री खड़ी करता है तो उस इन्डस्ट्री के लिये म्युनिसिपल बाई-लॉज के अन्तर्गत पर्मिशन लेनी होती है। दफा २४४ राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, १९५९ इस सम्बन्ध में है जिसके तहत म्युनिसिपेलिटी की आज्ञा लेनी होती है। बिना उसकी आज्ञा के शहर के अन्दर इस प्रकार इण्डस्ट्रीज कायम नहीं की जा सकती जिससे डिस्टर्बेन्स नजदीक में रहने वालों को होता हो। इसके साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेन्ट को भी यह अधिकार है कि वह जमीन जो पर्टीक्यूलर यूज के लिये दी गई हो और वह उस पर्पज के लिये यूज नहीं की गई तो सरकार के पास में पॉवर्स हैं, जो पहले क्राउन ग्राण्ट एक्ट था, जिसको स्टेट ग्राण्ट एक्ट कहते हैं, उसके अन्तर्गत सरकार को पॉवर्स हैं और उसके तहत वह उस

Page No. 77

(श्री परसराम मदेरणा)

जमीन को ले सकते हैं। उस स्कीम या उस एरिया में नही आता है तो उससे कन्वर्शन के चार्ज नहीं लिये जा सकते।

यहां पर यह बात भी कही गई है कि म्युनिसिपेलिटीज में प्री--ऑडिट करने से डे--टू--डे एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है। कोटा के पच्चीस ठेकेदारों को पेमेन्ट करना चाहा किन्तु प्री--ऑडिट होने से उनको नहीं किया जा सका। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार का यह अनुभव रहा है कि कई म्युनिसिपैलिटीज में अन--ऑथोराइज्ड एक्सपेण्डीचर हुआ है, बहुत सारे ऐसे पेमेन्ट्स हुए हैं जिनकी प्रॉपर सेंक्शन नहीं थी। यदि प्री--ऑडिट का सिस्टम होता तो इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज सामने नहीं आतीं। इसको ध्यान में रखते हुए तीन म्युनिसिपल कौन्सिल्स मे प्री--ऑडिट करने का फैसला किया गया--जयपुर, अजमेर और उदयपुर। इसके बाद एक जनवरी, १९६४ से यह निर्णय लिया गया कि प्री--आडिट राजस्थान की १० म्युनिसिपल कौन्सिल्स में इन्ट्रोड्यूस किया जायगा ताकि अन--ऑथोराइज्ड एक्सपेन्डीचर न हों। पोस्ट--ऑडिट में ये सब इर्रेगुलेरिटीज मालूम नहीं हो सकतीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जयपुर में प्री--ऑडिट का सिस्टम था उस समय कमाल कर दिया, यहां प्रतिक्रियावादी म्युनिसिपल कौन्सिल रही है उसने हिसाब किताब रखने में।

श्री परसराम मदेरणा: कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हाउस टैक्स को ऑबलिगेट्री क्यों रखा गया, डिस्क्रीशनरी क्यों नहीं रखा गया ? जिस प्रकार का इसमें प्रॉवीजन है उसके अन्तर्गत म्युनिसिपल कौन्सिल्स रिज़ाल्यूशन पास करके राज्य सरकार के पास भेजती है फिर भी राज्य सरकार उसको एक्सेप्ट नही करती है और नहीं किया है। उस प्रॉवीज़न में इस बात का संकेत है कि ऐसी सर्कमस्टान्सेज एग्ज़िस्ट करें जिससे राज्य सरकार सेटिस्फाइ हो जाय कि यह टैक्स लेवी नहीं होना चाहिये, लेवी नहीं किया जाना चाहिए; तो वैसी हालत में लेवी नहीं करने की छूट दी जा सकती है। इस तरह से १७, १८ म्युनिसिपैलिटीज ने इस प्रकार के प्रपोज़ल्स राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत किये थे उसमें सरकार सर्कमस्टान्सेज एग्ज़िस्ट करने को मानती है। जहां असेसमेन्ट और कलेक्शन का खर्चा आमदनी से ज्यादा है वहां हाउस टैक्स नहीं लेवें। वैसे ही आप जानते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज़ की फाइनेन्शियल पोज़ीशन खराब रहती है। इस प्रकार म्युनिसिपैलिटी की आमदनी बढ़ सकती है। म्युनिसिपैलिटीज़ में, माननीय सदस्य जानते हैं जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं वे अनविलिंगनेस जाहिर करते हैं, इस प्रकार के टैक्स इम्पोज़ करने में। आप और हम सबको इलेक्शन का फीयर रहता है लेकिन यह जो टैक्स लेवी करने की बात है वह तो सदन द्वारा पारित करके, ऑब्लीगेट्री बनाया गया है। इस तरह से हाउस टैक्स को ऑब्लीगेट्री रखने के प्रस्ताव पर सदन ने ही मोहर लगाई थी।

एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के बारे में भी यह

(श्री परसराम मदेरणा)

कहा गया कि इसका शेअर म्युनिसिपैलिटीज को नहीं के बराबर मिलता है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स बिल, १९५७ की धारा १४ के अन्तर्गत इस बात का प्रावधान है कि जिस दिन से एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स का कमेन्समेन्ट शुरू हुआ, इससे पहले की प्रिसीडिंग के तीन साल के एवरेज को निकाल कर म्युनिसिपैलिटीज को दिया जायेगा। यह जो रकम स्टेटिक है इस पर माननीय सदस्यों ने जो आर्ग्युमेन्ट दिये हैं उसमें कुछ वजन है। यह मामला एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट के अन्डर-एक्जामिनेशन है, उसके बाद फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को भेजा जायेगा व उसके बाद इस बारे में निर्णय लिया जायेगा। इसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा शेअर म्युनिसिपैलिटी को मिल सकेगा या नहीं, यह मामला आखिर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट पर मुनहस्सर रहेगा।

यहां पर यह बात भी कही गई कि वनीपार्क में कुछ प्लॉट्स की एक्वीज़ीशन प्रॉसीडिंग की शुरूआत की गई थी, उसको विथ्ड्रा क्यों किया गया, कुछ का कन्स्ट्रक्शन क्यों रोक दिया गया ? मैं इसको समझ नहीं पाया। यह रिमार्क किसके लिये था ? बड़ा वेग रिमार्क था। किस आदमी ने प्लॉट लिये हैं। मैंने जहां तक जानकारी करने की कोशिश की, उन पांच प्लॉट्स में से चार को एक्वायर कर लिया गया, उन पर गवर्नमेन्ट का पज़ेशन है। जो एक रह गया था उसको भी लेने की कार्यवाही करते, लेकिन प्रॉपर्टी के मालिक ने यह दरख्वास्त की कि उसको मकान बनाने के लिये एक प्लॉट तो रहने दिया जाय। इस पर भी अगर जयपुर से जाने वाले माननीय सदस्य और जानकारी देंगे तो मैं सर्टेनली उसको एक्ज़ामिन करूंगा, उसकी इन्क्वायरी कराई जायेगी। कोई भी व्यक्ति हो विथ्ड्रॉअल के मामले में जो कदम उठाना पड़ेगा कदम उठाने में राज्य सरकार हिचकेगी नहीं।

यहां पर यह भी बात कही गई कि चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फैक्ट्री, किशनगढ़ मिल, टैक्सटाइल मिल उदयपुर को जमीन दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ सीमेन्ट फैक्ट्री के लिये ४०० एकड़ जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट द्वारा दी गई। वह किसी म्युनिसिपैलिटी या ट्रस्ट द्वारा नहीं दी गई है।

किशनगढ़ मिल के बारे में जो बात कही गई उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मिल की जमीन मिल वालों ने ८० हजार रुपयों में प्राइवेट पार्टीज़ से पर्चेज की है वह भी म्युनिसिपैलिटी या ट्रस्ट की जमीन नहीं थी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसको कन्वर्ट किया नहीं गया है, इन्डस्ट्रीज के लिये जब तक वह कन्वर्ट इन्डस्ट्रियल एरिया में नहीं होता है तब तक मिल नहीं बन सकता ?

श्री परसराम मदेरणा : वह एग्रीकलचर लेन्ड थी या क्या थी, किसके हक में थी—आदि सब बातों की जानकारी मैं रात भर में कर सका वह मैं आपको दे रहा हूं। टेलीफोन द्वारा जो भी सूचना प्राप्त हो सकती थी वह मैंने की और आपके सामने रखी।

अजन्ता होटल को एग्रीकलचर लेन्ड क्यों

Page No. 79

(श्री परसराम मदेरणा)

दी गई, कलैक्टर उदयपुर से इस बारे में जानकारी ली। उनका कहना है कि यह होटल आबादी की जमीन पर बना है, एग्रीकलचर लैन्ड पर नहीं है। उसके साथ साथ एक बात अजन्ता होटल के बारे में और कही कि उसके अन्दर अभी जो पंचायती राज्य की सेमीनार हुई थी उस समय ६ हजार रुपये पर-डे के हिसाब से उसका किराया दिया गया। मैं आपको निवेदन करूं कि यह बात सही नहीं है। सही आधार यह है कि अजन्ता होटल को डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने २१ जनवरी से २५ जनवरी तक रिजर्व कराया था और रिजर्व इसलिए कराया था कि वहां पर सेमीनार पंचायती राज्य की होने वाली थी। इस सेमीनार से संबंधित व्यक्ति, डी० डी० ओ० और डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के दूसरे लोग—इन सबको एकामोडेशन मिल जाये, इसलिए उसका रिजर्वेशन एक लम्पसम पर तय किया था क्योंकि होटल के मालिक ने कहा था कि रिजर्वेशन का एडवान्स में बुकिंग होता है क्योंकि मेरे यहां टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं इसलिए पूरी होटल का रिजर्वेशन चाहिए, तो मैं २५००) रुपये २१ से २५ जनवरी तक के यानी ५ रोज के लूंगा। उसका रिजर्वेशन हुआ और उसके बाद में अन्त में उसको पेमेन्ट किया गया। उसमें ४० तो कमरे हैं, उसमें १०) रुपये रोज के बड़े कमरे हैं और छोटे कमरों का ८) रुपये पर--डे के हिसाब से चार्ज किया जाता है और अंत में जो उस होटल वाले को पेमेन्ट हुआ था वह २५००। रुपये का न करके १५००) रुपये का किया था। तो १५००) रुपये पूरे होटल का ५ रोज का है और आप कह रहे हैं कि ६ हजार रुपये पर-डे दिया गया। यह बात सही नहीं है। यह जानकारी मैंने उदयपुर कलैक्टर से और डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट से ली है और यह ऑथेन्टिक है। यहां पर यह भी कहा गया....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें चार्ज यह था कि जब सरकारी बिल्डिंग्ज़ अवेलेबल थीं तो होटल को पर्टीक्यूलरी क्यों लिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए लिया गया था कि आज सब जानते हैं कि जहां कहीं भी बड़े सम्मेलन होते हैं चाहे वे दिल्ली में होते हों या राजस्थान की राजधानी जयपुर मे होते हों—जैसा कि आपको मालूम होगा कि इन्टरनेशनल कॉस्मिक रेज का सम्मेलन हुआ था और वह जब जयपुर में हुआ तो जितनी होटल्स थीं जहां पर, विदेशियों या हिन्दुस्तान के जो साइन्टिस्ट्स आये थे, उनको ठहराया गया था। जहां तक लक्ष्मीविलास, उदयपुर का प्रश्न है, क्योंकि टूरिस्ट्स डिपार्टमेन्ट भी मेरे पास है, यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का होटल है और उसका एडवान्स रिजर्वेशन महीनों पहले चलता है और उसका जो किराया लिया जाता है आप खुद जानते होंगे कि उसके अन्दर गवर्नमेन्ट या नॉन-गवर्नमेन्ट का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और वहां पर ४० रुपये पर-डे से लेकर ८० रुपया पर-डे का एक एक रूम का किराया लेते हैं। इसलिए इस लग्जूरियस होटल में न ठहराकर दूसरी जगह ठहराया था। सर्किट हाउस के जितने भी कमरे हैं वहां पर आप सबको मालूम है कि मिनिस्टर्स

Page No. 80

(श्री परसराम मदेरणा)

भी गये थे, दूसरे लोग भी गये थे, सरकार के हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स भी गये थे और जिन दिनों इस होटल को किराये पर लिया था सर्किट हाउस में एक भी रूम खाली नहीं था। अगर आप बता दें कि एक भी रूम खाली था और उसको छोड़कर वहां पर दिया गया तो दूसरी बात है। यहां टूरिस्ट्स बंगला उदयपुर की बात कही गयी। आपको मालूम है कि करीब साल भर पहले लोक-सभा के कुछ एम० पीज़० राजस्थान को देखने आये थे और जब एम० पीज़० ने हमारे पास एप्रोच की तो टूरिस्ट्स बंगला उनके लिए रिजर्व किया और वहां पर कुछ टूरिस्ट्स आये थे जिनका कि बुकिंग एडवान्स में था उन्होंने इसकी शिकायत भारत सरकार के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर से की और राज्य सरकार से यह एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि चाहे एम० पी० हो या कोई भी हो, जिसको रिज़र्वेशन पहले कर दिया जाता है तो उसको किसी भी हालत में कैंसिल नहीं किया जायेगा। इसलिए टूरिस्ट्स बंगला टूरिस्ट्स के लिए है। उसमें गवर्नमेन्ट के ऑफिसर्स भी ठहरने के लिए एन्टाइटल्ड नहीं हैं। आप जानते ही हैं कि हिन्दुस्तान में आजकल ज्यादा फोरिन टूरिस्ट्स आते हैं। टूरिस्टस में मिडल इन्कम ग्रुप के भी आते हैं वे लग्जूरियस होटल में न जाकर वह जयपुर, अजमेर और उदयपुर के टूरिस्ट्स बंगलों में भी ठहरते हैं। इसलिए टूरिस्ट्स के लिए टूरिस्ट्स बंगलों में रिज़र्वेशन होता है वह राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए नहीं हो सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे पानरवा काण्ड में या किसी में ही उसको एडवान्टेज मिले, नहीं दिया गया था और जो पेमेन्ट हुआ था वह १५०० रुपये का हुआ था....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : होटल के अन्दर 'बार' का भी लाइसेन्स दिया हुआ है या नहीं ? क्या इस अजन्ता होटल में शराब बेची जा सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह 'बार' के लाइसेन्स का इश्यू कल आपने मुझे बताया नहीं था।....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : बताया था। ४ साल से किसी होटल को लाइसेन्स 'बार' का नहीं दिया गया। सिर्फ इसी होटल को दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : जिस रैपिड स्पीड से माननीय सदस्य बोलते हैं मेरे लिए सारा लिखना सम्भव नहीं था। मैं इसको इन्क्वायर करके कल हाउस मे आने के पहले इसकी इत्तला दूंगा माननीय सदस्य को ....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर उसकी इन्कम देखें तो वह ६ हजार डेली से भी ज्यादा थी, कम नहीं थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सदन को उसकी इत्तला दें, माननीय सदस्य को क्यों।

श्री परसराम मदेरणा : सदन को दे दूंगा।

श्री उमरावसिंह ढावरिया : 'बार' की पर्मीशन इसलिए दी और उसमें शर्त है कि फोरिन टूरिस्ट्स आते हैं तो उनको सप्लाई किया जाये। फिर यह सारा का सारा उस समय क्यों किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहे उस पर एम्फेसिस डालें या धीरे से कहें, मैं जाच करके कल सदन को जानकारी दे दूंगा। लेकिन आपके दिमाग में एक गलतफहमी चल रही है कि जो 'बार' का लाइसेन्स दिया जाता है यह फॉरिन टूरिस्ट्स के लिए है; ऐसी बात नही है। जो होम टूरिस्ट्स आते हैं और होटल में ठहरते हैं, आज स्टेट होटल के अन्दर 'बार' का लाइसेन्स है उसमे कोई होम टूरिस्ट्स आयेगा हिन्दुस्तान को देखने के लिए क्योकि यह देश बहुत बड़ा है और आप में से बहुत से माननीय सदस्य ऐसे होंगे जिन्होने पूरे हिन्दुस्तान को नही देखा होगा इसलिए जब वे देखने के लिए आते हैं तो थोड़े बहुत मायने मे वे फॉरिनर्स की तरह से हैं क्योंकि दुनिया का यह तीसरा बड़ा देश ज्योग्राफीकली है। मैं स्टेट होटल के आधार पर कह रहा हूं कि जिन टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स पर लाइसेन्स दिया गया है, मैं इस पोजीशन में नही हूं कि उनके बारे में अभी बता सकूं। मैं जानकारी करके कल माननीय सदस्यों को इसकी इत्तला करूंगा।

यहां पर यह भी कहा गया कि सुखाड़िया मार्केट कपारुन में चीफ मिनिस्टर साहब ने उस सलसिले में एक स्टेटमेन्ट दिया था और वह स्टेटमेन्ट इन्सपेक्टर जनरल एन्टी-करप्शन की इन्क्वायरी के बाद दिया था। उस इन्क्वायरी के सिलसिले में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया। मैं समझता हूं कि इसका स्पष्टीकरण इस सदन में हो चुका है और जो एक व्यक्ति मोहनलाल जी हैं इन्होने दूसरा पत्र राजस्थान के मुख्य मन्त्री, श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया को लिखा है तो मैं समझता हूं कि उसका रिप्लाई जो उन्होंने दिया है उसको राज्य सरकार उचित समझती है और इससे ज्यादा मैं इस मुद्दे पर कहने की पोजीशन में नहीं हूं।

यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के सामने बहुत सी एप्लीकेशन्स पड़ी हुई हैं और उनका डिस्पोजल सरकार नहीं कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि उन्होने यह प्रश्न कुछ दिन पहले पूछा था, उस रोज माननीय सदस्य सदन में समय पर नहीं आये। पर रिप्लाई असेम्बली सेक्रेट्रियट को भेज दिया है, वह इस एप्लीकेशन के डिस्पोजल के सम्बन्ध में था।

यह सही है कि १६ हजार एप्लीकेशन्स पेन्डिग में हैं और ट्रस्ट ने १८ स्कीमें ले रक्खी हैं हाथ में, जिनमें से ४ संक्शन हो चुकी हैं। इसमें से कुछ को प्लॉट एलॉट कर दिये जा चुके है। कई स्कीमें फ्रेम हो गई हैं और सैक्शन २६ के नीचे फ्रेम होकर ३२ के नीचे सरकार के पास आई हुई हैं मंजूरी के लिये। तो वे वापिस आती हैं, ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने होते हैं, उनको हीयर करना पड़ता है और इन सबके साथ में राज्य सरकार के पास जाने के बाद में ट्रस्ट दफा

(श्री परसराम मदेरणा)

३८ के नीचे पहले सेंक्शन करती है, तो एप्लीकेशन इम्वाइट होती है। तो ये बहुत लम्बे अर्से से पेण्डिग में पड़ी है। इसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ४००) रु० मासिक से अधिक वेतन पाने वाले हैं जिनको नियमानुसार एलॉट नहीं किया जाकर ओपन बिड में लेना होगा। इससे नीचे के जो होंगे, जो इन्कम टैक्स पेअर नहीं है और जिनकी दरख्वास्त पहले की है उनकी 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड' के अनुसार प्रायोरिटी कायम रहेगी; इतनी बात अर्ज करना चाहता हूं।

यह भी कहा गया कि इसका पैसा कन्सोलिडेटेड फण्ड मे सरकार के पास जावेगा, यह नही जाना चाहिये, यह स्वायत्त संस्थाओं के पास ही जाना चाहिये। मैं निवेदन करूं कि जहा शहरों का डेवलपमेन्ट हुआ है इसमे केवल वहां के निवासियों या वहां की नगरपालिकाओं का ही हाथ नहीं है, सारे राजस्थान के लोगों के प्रयत्नों का हिस्सा उसमें है। राजस्थान सरकार ने जयपुर सिटी को कैपिटल बनाया, सारे राजस्थान के लोगों ने बनाया, तो इसमें उनका ही हाथ है इसे बढ़ाने में। यहां यूनीवर्सिटी बनी, इन्जीनियरिंग कॉलेज बनाया गया, मैडिकज कॉलेज कायम किया और अनेकों ट्रेनिंग की संस्थाएं बनाई गईं और इन पर करोड़ों रुपया सरकार ने खर्च किया, तो यह तो उसका प्रयत्न है। फिर भी सरकार रीज़नेबली ८ आना प्रति व्यक्ति ग्राण्ट-इन-एड इनको देती है। इसके साथ ही साथ दूसरे प्रकार के काम, रोड्स वगैरह के काम भी सरकार कराती है। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि इस मौगे से होने वाला अमाउण्ट सरकार के कन्सोलिडेटेड फण्ड में क्रेडिट किया जावे।

यह भी कहा गया कि इस बिल का रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है, इसको फिर सदन में क्यों लाये? मैं निवेदन करूं कि यह अनएक्सप्लोर्ड स्फीयर था, इसलिये करना जरूरी था। हमारे सामने ऐसा प्रिसीडेण्ट भी नहीं था। इसमें किस प्रकार के बाई लॉज हों, यह हमारी जानकारी में नहीं था। मंगाने की कोशिश भी की कई जगहों से, पर मिली नहीं; अब प्राइवेट प्रॉपर्टी रूलर्स की भी इसमें आवेगी या नहीं? मैंने इस मसले को कानूनी तौर से कई तरह से रात्रि के ८॥ बजे तक बैठ कर भी एग्ज़ामिन कराया। तो इस पर फिर विचार करना पड़ेगा।

आपने जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की बात कही, वह भी आज के बिल के स्कोप में नही है। ये टिकलिश मामले हैं। इसकी लीगल स्क्रूटिनी होना जरूरी है। इन सारी दृष्टियों से मे इन दोनों बिलों को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं।

(हियर-हियर)

और इसके साथ ही साथ जो पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने की बात कही गई उसे स्वीकार करने मे असमर्थ हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उसको फिर हम विथ्ड्रॉ कर लेते हैं।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। दोनों इम्पोर्टेन्ट बिल्स हैं, इसलिये इनको इतने लम्बे अर्से के लिये पोस्टपोन नहीं किया जाकर मन्त्रीजी अगर आवश्यक समझें तो अधिक से अधिक इसे डेफर कर दें। सिलेक्ट कमेटी के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इसे इसी हाउस में पेश किया जावे और पास किया जावे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : इम्प्रूवमेन्ट टाउन बिल अलग आ रहा है। इसलिये ऐसा आवश्यक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please!

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी इसको देखकर इसी हाउस में इसे पास किया जावे, यह हम भी चाहते हैं। पर चूंकि यहां मैंने कहा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी मे भेज दिया जावे, पर लम्बे अर्से तक इसे पोस्टपोन नही किया जा सकता इसलिये इसे दो चार दिनों से ही रात्रि को भी बैठ कर एग्जामिन कर लें। मैंने इस इरादे से कहा था कि टिक्लिश लीगल पोइन्ट्स इसमे इन्वोल्व्ड हैं इसलिये केवल सामाजिक न्याय और समाजवाद के उत्तेजनापूर्ण और भावावेश के वातावरण में नहीं बहकर यह देखना चाहिए कि कहीं यह लीगल लेकूना के कारण कोर्ट में जाकर स्क्रेप न हो जावे। इसका माननीय सदस्य पर भी रिफ्लेक्शन होगा इसलिये लीगल पहलू भी इसके दिखा लिये जायेंगे। इस दृष्टि से यह जो सजेशन दिया गया कि इसे डेफर कर दिया जावे तो मेरा मतलब भी डेफर करने से ही है। इसका मतलब सिलेक्ट कमेटी में न जाकर यहां सदन के सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए तमाम हमारे जो लीगल एडवाइजर्स हैं या दूसरी जगहों से जहां से हमें लीगल राय मिल सकती हो उन सब रायों को लेकर हम आपके सामने इसको जिस किसी शक्ल में स्कोप वगैरह बदल कर भी ले सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि डेफर करना ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या आप अपने पूर्व निर्णय को बदल रहे हैं?

श्री परसराम मदेरणा : सिलेक्ट कमेटी के दिठाने में मतलब दोनों ही सर्व होते हैं। सदस्यों की भावनाओं को देखकर मैं समझता हूं सिलेक्ट कमेटी में जो इसका रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है उसको बढ़ाया जा सकता है या नहीं—यह मेन मुद्दा है। इनऑपरेटिव पोर्शन पढ़ कर सुनाया था। उस पर रेस्ट्रिक्शन है। और सब प्रकार के लीगल पोइन्ट्स सिलेक्ट कमेटी में भेजने से कवर नहीं होंगे इसलिये कितना कवर हो सकता है और जो अनअर्न्ड इनकम का फायदा उठा सकते हैं वे ज्यादा से ज्यादा इन्कम को शेयर कर सकें, तो इसको मैं और इम्प्रूव करना चाहता हूं; इसके लिये लीगल ओपीनियन अधिक उपयुक्त होगी, इसके लिये डेफर करना ज्यादा मुनासिब होगा, ताकि उस पर ज्यादा ध्यान देकर, ठीक प्रकार करके यहां पेश कर सकें।

श्री विजयसिंह झाला : यह कैसे मानते हैं आप कि डेफर करने से ज्यादा

(श्री विजयसिंह झाला)

अच्छा और सही रूप आवेगा बनिस्बत सिलेक्ट कमेटी में जाने के ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! The Government have said that they would like to defer the Bill.

श्री विजयसिंह झाला : तो यह कैसे कहा जा सकता है ? लीगल एडवाइज तो सलेक्ट कमेटी के अन्तर्गत भी आ सकती है। उसमें सभी पार्टियों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे तो उनके व्यूज भी आ सकेंगे।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा महल, जयपुर) : सिलेक्ट कमेटी के बारे में जब माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव किया था तो उसमें यही ध्येय था कि सभी पार्टियों को सुना जावे, जिसे मन्त्री स्वयं आवश्यक समझते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! प्रश्न यह है, कि प्रस्तुत विधेयक पर जो संशोधन है इसको जनमत जानने के लिए....

श्री विजयसिंह झाला : इससे पहले यह मालूम हो जाय कि वे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करते हैं या नहीं ? यदि वे सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करते हैं तो हम विद्ड्रॉ कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Now I am putting the question. प्रश्न यह है कि....

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैंने पहले इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात को स्वीकार कर लिया था, अब मैं उसी पहले वाली बात पर स्टिक होता हूं, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो है वह एक हफ्ते भर में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें हमें बहुत से लीगल जुरिस्ट्स की राय लेनी पड़ेगी क्योंकि यह अनएक्सप्लोर्ड स्फीअर टैक्सेशन का है इसलिए हम इसको जल्दी नहीं ला सकेंगे, वैसे कोशिश यही करेंगे कि इस सत्र में लायें। मगर इस सत्र में नहीं आया तो अगले सत्र में लाने का प्रयास किया जायेगा। तो सिलेक्ट कमेटी के लिए जो रखा है प्रस्ताव, मैं उसको स्वीकार करता हूं इस कन्डीशन के साथ में, एक बात। और दूसरी बात है कि अगर राजस्थान सरकार इन दो सत्रों के बीच में यह महसूस करे कि इस बिल को ऑर्डिनेन्स के जरिये लाना जरूरी है तो मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेन्स लाया जा सकेगा।

श्री विजयसिंह झाला : Then we cannot; यह कन्डीशन नहीं लगाई जा सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात को मन्जूर किया है और इसीलिए जैसी कि बीच में स्थिति होगी, अगर ठीक तरह से पहले कर लिया तो पहले लाया जायेगा और नहीं कर सके तो बाद में लायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : That is all order please ! अब मैं यह समझता हूं कि जब प्रवर समिति को देने के लिए सरकारी पक्ष से से आश्वासन दिया गया है तो जनमत....

Page No. 85

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं वापिस लेता हूं मंत्री महोदय को धन्यवाद के साथ।

श्री विजयसिंह झाला : मैं भी इसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इजाजत है कि इनको वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी गई।
Yes please, withdraw.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए रखा गया है उसको पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

प्रवर समिति की लिस्ट बाद में सूचित की जायगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल, both of them .....

श्री परसराम मदेरणा : दोनों आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : Even then I will make it clear.

प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एमेंडमेंट) बिल, १६६४ और राजस्थान म्युलिसिपल (एमेंडमेंट) बिल, १६६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाया।

(स्वीकृत)

दोनों बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किये गये

प्रवर समितियों की सूची बाद में सदन की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर दी जायगी।

राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १६६४ (विचार--विमर्श)

श्री परसराम मदेरणा (उप--मंत्री, भूमि तथा नगर विकास प्रन्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अर्बन लैण्ड टैक्स बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय को देखते हुए ८-१०

(श्री अध्यक्ष)

मिनट के अन्तर्गत ही बोलने का प्रयत्न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की यह परम्परा बन गई है कि केवल यही एमेंडमेंट दे देते हैं और दूसरे एमेंडमेंट क्लॉजवाइज़ नहीं देते हैं तो पहले उनको बोलने दिया जाय जो क्लॉज़लाइज देते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि घट में सिन्धु भरने का प्रयत्न करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था हो जानी चाहिए। यह बिल खत्म नहीं होगा क्योंकि १२ बज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let us see !

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : कुछ ईमानदारी से काम करेंगे तो हो ही जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास : बेईमानी होगी, यदि पूरी बात नहीं की जायगी तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप-मंत्री महोदय ने दो विधेयक सिलेक्ट कमेटी के लिए मान्य किये हैं, और मैं समझता हूं कि उनमें बड़ी महत्वपूर्ण बात भी कही है जिसका सम्बन्ध इससे भी है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि आज जनता या राज्य के सहयोग से ही कई चीजों का मूल्य बढ़ा है और मूल्य का फायदा आज कुछ लोग उठाते हैं, उसका राज्य को लाभ नहीं मिलता है। उसको रोकने के लिए हम ये सारे आवश्यक प्रावधान कर रहे है। वाकई जहां तक मन्शा का सवाल है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं जब उस मन्शा को देखता हूं तो आखिर समाज की कुर्बानी से, व्यक्ति की कुर्बानी से जब हम एक नये समाज का निर्माण करने जा रहे हैं वहां पर हमको उसकी मूल भावना के पीछे भी जाना चाहिए। आज राजस्थान बना। राजस्थान बनने से पहले अलग अलग राज्य थे। राज्य एक हुए। सम्पूर्ण राजस्थान बना और सम्पूर्ण राजस्थान बनने के बाद में वह सारी जनता की कुर्बानी से हुआ, और आज उसकी स्थिति क्या है? मैं एक जयपुर शहर को लेता हूं, जयपुर शहर जब राजस्थान बना उसके पहले क्या था? फिर जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी बना, उसके बाद में जयपुर शहर क्या हुआ? और राजधानी बनने के बाद में, आज जनता की कुर्बानी का सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है वह किसको मिल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जयपुर के राजधानी बनने के बाद उसका जो सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिला है तो जयपुर के हिज हानेइस को मिला है। समाज की कुर्बानी के बाद उसका सबसे बड़ा लाभ मिला है, और वह जयपुर की राजधानी बनने से जयपुर शहर का जो विकास हुआ है तो उसका लाभ यहां के चन्द पूंजीपति और जो सबसे बड़े महाराज हैं उनको वह मिला है। आप एक ओर तो यह कहते है कि इस प्रकार से समाज के

(श्री मुरलीधर व्यास)

सहयोग या समाज की क्रान्ति से जो व्यक्तिगत लाभ मिला है उस लाभ को हम समाप्त करना चाहते हैं, यह हमारी मन्शा है। यह पूछना चाहता हूं कि आपका जो अर्बन इम्प्रूवमेंट और नगरपालिका का आर्डिनेन्स है, दूसरा यह जो टैक्स का प्रपोजल है, इन तीनों के पास होने की स्थिति के अन्दर अगर जिन लोगों ने इस प्रकार के नये क्रान्तिकारी परिवर्तन के बाद में सबसे बड़ा लाभ उठाया और जिनके द्वारा लाभ उठाया जा रहा है तो आपका कौनसा ऐसा कानून है कि जो सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाले हैं उनको आप उससे वंचित कर सकें ? कोई प्रावधान आपका इसके अन्तर्गत नहीं है। आप विचार तो कह देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ में उसका लाभ किसको मिल रहा है उसको रोकने के लिए आपके पास में कौन सा प्रावधान है ? जो रेजीडेन्शियल हाउसेज है, किसी ने रहने के लिए मकान ले लिया है और उसके अन्दर किसी प्रकार का परिवर्तन किया है तो कौन से कानून के अन्तर्गत आप उसको बन्द कर सकते हैं ? आप नहीं कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय राजस्थान बना, उस समय राजा-महाराजाओं के पास में जो कुछ जमीनें रहीं, और जो कुछ प्रिवी पर्स दिया जाता है तो प्रिवी पर्स और जमीनें इसलिए दी गई थी कि वे अपने रहने के लिए गुजारा कर सकें। रेजीडेन्शियल पर्पजेज के दृष्टिकोण से मकान दिये गये। पेलेसेज दिये गये। जो कुछ भी रखा गया वह रेजीडेन्शियल पर्पज के नाम पर रखा गया, दूसरे काम के लिए नहीं रखा गया। उनको अधिकार नहीं था कि इस प्रकार की चीजें रखें। उन्होंने बड़ी बड़ी प्रोपर्टीज रख ली। जहां घोड़े बंधते थे, जहां हाथी बन्धते थे और जो मकान दूसरे कामों में आते थे वे सब उनके पास रह गये। उनके अन्दर परिवर्तन भी होता है। घोड़े बांधने की जगह पर आज बड़ी बड़ी दूकानें बनती हैं, बड़ी बड़ी मंडियां बनाई जा रही हैं, होटल चल रहे है जिनसे लाखों और करोड़ो रुपया कमाया जाता है, लेकिन आपके कानून के अंतर्गत आप यह कहेंगे कि हम इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिये बाध्य नहीं हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तो क्या करेंगे। यदि आप सही मायने में समाजवाद की ओर चलना चाहते हैं, मैं स्वतंत्र पार्टी और दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं कि सही मायने में जनता के हित की बात करते है तो दिल खोल कर सही रूप से करें और इस प्रकार करें जिससे सबका विकास हो सके। ऐसे लोगों को देने का किसी को अधिकार नही है। यदि सरकार भी ऐसा करती है तो उसका हम विरोध करेंगे, यह नीति सभी पक्ष की तरफ से होनी चाहिये।

(१२.०० मध्यान्ह)

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज टैक्स प्रपोजल्स इस कानून के अंतर्गत नये रखे हैं उसमें क्या व्यवस्था है। सबसे बड़ी स्थिति यह है कि इस टैक्स प्रपोजल में वे लोग नहीं आते जिनके पास संपत्ति है। अमेरिका तक में यह कहा गया है कि हमारे यहां के राजा-महाराजाओं के पास इतनी संपत्ति है कि उससे हमारे फाइव ईयर प्लान्स पूरे किये जा सकते हैं, फिर अमेरिका से भीख क्यों मांगते हैं जबकि उनके खुद के पास पैसा मौजूद है। यह नया प्रपोजल है। मैं मानता हूं कि यह ठीक है, लेकिन यह नाकामयाब हो जायेगा। जो प्लॉट्स खुले पड़े हैं उन पर आठ आना सैंकड़ा के हिसाब से प्लॉट

(श्री मुरलीधर व्यास)

का उपयोग नहीं किया तो टैक्स लगेगा, पुरानों पर और अभी वालों पर भी यह प्रपोज़ल देखने में तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, लेकिन व्यवहार में जाते हैं तो इससे लाभ राज्य सरकार को जितना मिलना चाहिये उतना नहीं मिलेगा। समझ लीजिये एक प्लॉट है और २ साल में उसको बनाना है तो प्लॉट का मालिक एक छोटा सा मकान बना कर कह देगा कि हमने तो बना लिया। मकान की पूरी डेफिनिशन नहीं दी है, पूरा बंगला बना लिया या नहीं। वह कहेगा मैंने तो छोटा सा बना लिया है। यह इतना अव्यवहारिक है कि इससे लाभ नहीं हो सकेगा। भुवनेश्वर में आपने यह फैसला किया था कि जो बेटरमेन्ट लेवी गांवों में लगाई है, किसान नहरों से पानी लेकर जमीन का विकास करते हैं, उससे उनको जो लाभ मिला है उसके कारण आप बेटरमेन्ट लेवी उनसे लेते हैं। इसी प्रकार भुवनेश्वर में यह प्रपोज़ल आया कि सिटीज़ में और अर्बन एरियाज़ में जो विकास हुआ है उससे जिन लोगों को लाभ मिला है उसका कुछ हिस्सा अपने खजाने में लाना चाहिये। इस प्रकार भुवनेश्वर--प्रस्ताव की मंशा की पूर्ति के लिये आप इस कानून का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे आपको मिलेगा कुछ नहीं और बुनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा। आज शहरी क्षेत्रों में जिन जिन लोगों ने प्लॉट्स बना लिये हैं, जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्डिंग्ज़ बन गई है और हजारों व लाखों रुपये किराये में कमाते हैं उनसे आप पैसा नहीं ले सकेंगे। आपका यह जो प्रपोज़ल है वह बिल्कुल अव्यवहारिक है। इससे राज्य के खजाने में पैसा नहीं आने वाला है। यदि आपको समाजवादी तरीके से कुछ करना है तो स्पष्ट करना चाहिए। विकास के अंतर्गत समाज के जिन लोगों को फायदा हुआ है, जिन्होंने बंगले बना लिये हैं उन पर १० साल या ५ साल पहले से लेवी लगती है तो उसका कुछ न कुछ हल निकल सकता है। यदि ऐसा नहीं लगाते हैं तो मेरी मान्यता है कि इस टैक्स लगाने से फायदा नहीं मिलेगा जिसके बारे में बड़े जोरों से कहा है, तालियां पिटवा कर कहा है कि यह समाजवादी प्रपोज़ल है इससे काफी टैक्स मिल जायगा। मैं कहता हूं कि इससे आपको एक पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि जिस आदमी ने प्लॉट खाली रख छोड़ा है वह उसमें छोटा सा मकान बनवा लेगा और कहेगा कि मैंने तो मकान बनवा लिया है। हर आदमी के पास तो पैसा है, नहीं इस तरह के आदमी ने किसी तरह से प्लॉट तो ले लिया लेकिन छोटा मकान बनाने के लिये भी उसके पास पैसा है नहीं और लोन उसको कहीं से मिलता नहीं और अगर मिलता भी है तो बहुत ब्याज देने पर। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो समाजवाद के नाम पर तालियां पिटवाकर नये प्लॉट्स पर टैक्स लगाने का प्रपोज़ल रखा है वह बिल्कुल अव्यवहारिक है। आपको पीछे तक जाना चाहिये और समाज के कुछ बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े बंगले, मकान और कोठियां बना ली हैं और जो उनसे लाभ उठा रहे हैं उन पर भी बेटरमेन्ट लेवी लगानी चाहिये। एक एकड़ जमीन पर थोड़ा सा मकान बना लिया है तो उनसे भी लेना चाहिये। आज उन बड़े बड़े लोगों को कुछ भी देना नहीं पड़ता है। वह पैसा राज्य के खजाने में आवे, ऐसा

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रपोजल रखना चाहिये। इसलिये मैंने इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित करने की मांग की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है इसके पूर्व यदि यह सोचा जाता कि दरअसल में शहरों के अंदर जो व्यक्ति ज्यादा जमीन रख छोड़ते हैं उसका कारण क्या है और क्यों उन्होंने ज्यादा जमीन अपने पास में रखी और जिनको मिलनी चाहिये थी उनको क्यों नहीं मिली ? एक ओर यह समस्या है कि जिसके पास मकान नहीं हैं, जो गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते उनके पास जमीन नहीं है और दूसरी ओर लोगों की प्रवृत्ति यह है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन लेकर शहरों में दबाये हुए हैं। मैं समझता हूं इस विधेयक को लाने के पूर्व इस समस्या पर सोचा होता तो मेरे ख्याल से यह जो विधेयक लाया गया है इससे सहायता मिलती। हमारा उद्देश्य पैसा वसूल करना ही नहीं है, इसके साथ साथ जो समस्या शहरों में है कि किस प्रकार ज्यादा लोगों को प्लॉट्स मिल सकें उसके बारे में सोचते तो अच्छा होता लेकिन इस बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स की मार्फत या किसी और ऑथोरिटी की मार्फत जो प्लॉट्स का वितरण किया जाता है, नीलाम किया जाता है उसमें इस प्रकार का प्रॉसीजर है कि गरीब प्लॉट ले नहीं सकते। आप नीलाम करते हैं तो जिसका पास पैसा है वह लेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वह नीलाम में कम्पीटिशन में आकर नहीं ले सकता। नीलाम से बच कर गरीब लोग प्लॉट्स किस प्रकार ले सकते हैं, उस बारे में आपने क्या प्रावधान रखा ? कोई प्रावधान इस बारे में नहीं रखने के कारण कंपिटिशन में लाने के बाद जो प्लाट ५,०००) रु० में लोग लेते है उसको ३०,०००) में पांच साल के बाद बेचते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस समस्या को हल करना आवश्यक है। पांच रुपया मार्केट वेल्यू पर लगाने से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते इसलिये मैं समझता हूं कि आप केवल ५) रु० प्रति हजार लेवी की बात न करें, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर उसको वितरण करने का प्रावधान करें। क्यों जमीन खाली रखी ? क्या प्रयोजन है ? इन सारी बातों पर विचार करके रखना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक समस्या और खड़ी होती है। पैसे वाले बाउन्ड्री बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, जो बाउन्ड्री नहीं बना सकता, प्लॉट किसी तरह से उसने ले लिया है तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके लिये आपने क्या एग्जेम्पशन रखा है ? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है पर वह मकान बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है इसलिये मकान नहीं बना सकता, प्लॉट लेने के लिये भी जो पैसा लोगों से लायेगा उसका ब्याज देना पड़ेगा १० परसेन्ट। वह मकान बनाना चाहता है

(श्री विजयसिंह झाला)

लेकिन उसकी शक्ति से बाहर है, ऐसे लोगों के लिये आपने क्या सोचा? जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके लिये यह प्रावधान रखें कि जिनके पास ज्यादा है उनसे जमीन लेकर गरीबों में बांट दी जायगी तब तो कुछ समझ में आ सकता है, वर्ना टैक्स लगाने का जो प्रॉविज़न रखा है उससे समस्या हल नहीं हो सकेगी। आज जो आदमी ५ परसैन्ट टैक्स दे सकता है, वह छोटा सा स्ट्रक्चर भी बना सकता है और आपको पैसा देने के बजाय जमीन अपने पास रख सकता है।

इसके अलावा इस कानून में बहुत सी अनियमित बातें हैं जिनको हटाना जरूरी है। इसमें एक छोटा सा क्लॉज रखा है (५), वह बाद में एड किया गया है क्योंकि बाद में चिकती (Slip) लगाई जान पड़ती है। इस क्लाज़ की जरूरत क्या है, आप कंटेस्ट कराना चाहते है ऑकुपायर और ओनर के बीच में। ऑकुपायर है उससे लिया जायगा, ओनर से नहीं। आगे जाकर कोर्ट में यह दावा होगा। ऑक्युपायर यह दावा करेगा, यह प्लॉट मेरे पास है, इसका असली ओनर को टैक्स देना चाहिए था। उसके बाद भी ऑक्युपायर से लिया जाय तो ऑकुपायर गरीब है वह पैसा नहीं दे सकता। अगर उससे लेंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जायगी। इसलिए इस प्रावधान को रखने की क्या जरूरत है? इसको हटा सकते हैं।

इसके आगे कई प्लॉट हैं उनको एक्ज़ेम्प्ट करने का प्रावधान नहीं रखा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा खरीदा गया है और आगे जाकर उस पर कोई कार्यवाही करना चाहाता है तो उसके लिए आपने कोई एक्ज़ेम्पशन नहीं रखा है।

इसके अलावा आपने खर्च करने का अधिकार रखा है कि अधिकारी जाकर सर्च कर सकता है, लैंड की सर्च कर सकता है, प्लॉट की सर्च कर सकता है। इसके बाद आपका प्रावधान है कि अगर वह घर में जाना चाहता है और उस घर में पर्दा सिस्टम है तो पर्दा सिस्टम ऑब्जर्व करने का अधिकार दिया जाय। मैं नहीं समझता कि आप प्लॉट का सवाल हल कर रहे हैं या घर में जाने की व्यवस्था कर रहे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग हाउसिंग कमेटी में जाना चाहते हैं, पार्टीज़ के व्हिप्स को बुलाया है। उनको बोलने के लिए आप बाद में आज्ञा दें तो वे हाउसिंग कमेटी को अटेन्ड कर आयें।

श्री उपाध्यक्ष : किसे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : श्री मानिकचन्द सुराणा को बुलाया है कमेटी मे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं बाद में बोलना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : He can be permitted.

Page No. 91

श्री उपाध्यक्ष : Yes, yes. Permitted.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप नहीं बोलें तो भी चल जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप चले जायं तो असर नही पड़ेगा। इसका राजस्थान के दो करोड़ आदमियों पर असर पड़ेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : असर पड़ेगा, इसीलिए यहां बैठे रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Those Members who want to go to the House Committee may go and their chance will be reserved.

श्री विजयसिंह झाला : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दरअसल इस टैक्स को लगाते समय यह ध्यान रखें कि जिनके पास प्लॉट नहीं हैं उनको वर्थ-राइट से प्लॉट दे सकते हैं। कम्पेन्सेशन वे नहीं दे पायेंगे। उनको प्लॉट कम्पेन्सेशन में देंगे तो वे पैसा नहीं दे सकते। उसके लिए आप रास्ता निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि जिनको दरअसल आवश्यकता नहीं है उनसे लेकर प्लॉट उनमें वितरित करने की व्यवस्था कर सकें। मेरी समझ में यह विधेयक प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, यह बहुत अच्छा है और इसे प्रवर समिति में भेजना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Manak Chand Surana will speak later.

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ के विषय में मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

यह प्रस्ताव करने का मूलभूत कारण है कि यह बिल जो हमारे सामने लाया जा रहा है, इसके अन्दर टैक्स का असेसमेंट करने का कॉम्प्लीकेटेड प्रोवीजन है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जिस मूलभूत भावना को लेकर यह बिल लाया जा रहा है वह भी इससे पूरी नहीं होगी। कारण उसका यह है कि असेसमेंट करने का तरीका है और उस असेसमेंट करने के तरीके के साथ जो रियलाइजेशन का क्वेश्चन आता है उस पर आप थोड़ा विचार कीजिये। जो ओनर और ऑक्युपायर की डेफीनिशन इस बिल में दी हुई हैं उनके अनुसार ऑकुपायर उस आदमी को माना जायगा, यदि किसी ट्रेसपासर ने मदाखलत बेजा करके भूमि पर कब्जा कर लिया है और उससे टैक्स का असेसमेंट करते हुए टैक्स लिया जायगा। आप विचार कीजिये, ओनर और ऑकुपायर के दरम्यान क्या स्थिति पैदा

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कर रहे हैं। यदि किसी ऑकुपायर ने पांच-सात साल टैक्स दिया है तो उसके बाद ओनर का राइट नहीं आता है। वह किसी कोर्ट में अपना राइट एस्टेब्लिश करने के लिए जाता है, वह कोर्ट में अपील करने के लिए जाता है तो उसकी प्रोपर्टी के खिलाफ, उसके राइट्स के खिलाफ और लाएबिलिटी के खिलाफ आप पेमेन्ट ऑफ टैक्स के द्वारा एक एवीडेंस क्रियेट करने का चान्स देते हैं। जो लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं, प्रोपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं उनमें लिटीगेशन बढ़ाने के लिए और एक एवीडेंस क्रियेट करने के लिए, उनको लड़ाने के लिए इस नये संशोधन के कानून के द्वारा एक सबूत देने के लिए जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी दुःख की बात है। तो जिस मूलभूत भावना को लेकर चलते हैं वह यह है कि गरीब आदमियों को आसानी से जमीन मिल जाय, जिससे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े लेकर प्लॉट बना सकें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे गरीब आदमियों को, मध्यम वर्ग के के लोगों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलेगी। इस कानून के तहत टैक्स लगाने में यह भावना है कि पैसे वाले लोग, पूंजीपति लोग दस-पन्द्रह प्लॉट खरीद कर अपने कब्जे में रखते हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जायगा तो ओटोमेटिकली प्लॉट बेचेंगे और इस तरह वे प्लॉट गरीब आदमियों के हाथ आ जायेंगे, मध्यम श्रेणी के लोगों के हाथ में आ जायेंगे। मैं समझता हूं यह नहीं हो सकेगा और आपकी यह भावना महज काल्पनिक है। आप विचार कीजिये कि जो पैसा वाला आदमी है, जो दो प्लाट खरीद सकता है, तीन प्लाट खरीद सकता है उसमें इतनी शक्ति तो है कि उस प्लॉट को टैक्स से बचाने के लिए उस जमीन पर दो-चार कमरे बनवा ले। और दो-चार कमरे बनाने बाद जब वह जमीन बेचे तो साधारणतः उस जमीन के दस हजार मिल सकते हैं, लेकिन उस जमीन पर मकान कन्स्ट्रक्ट होने के बाद वह तीस-चालीस हजार मांग सकता है....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, भवन तथा नगर विकास प्रन्यास) : म्यूनिसिपैलिटी बॉइलॉज में इसके सम्बन्ध में रूल्स हैं उनमें उन्होंने मिनिमम पोर्शन दे रखा है कि उतने में उसको कन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसलिए दो कमरे, चार कमरे बनाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अगर उसका प्लान एप्रूव्ड नहीं है तो वह कन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकता और नक्शे के साथ जब मेक्जिमम प्रिस्क्राइब्ड पोर्शन, कि इतना पोर्शन कवर हो जायगा कि डिटेल्स नहीं हों तो वह मकान की तामीर नहीं करा सकता। इसलिए टैक्स से बचने के लिए टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं समझता हूं, लेकिन जो रूल बनाया है उसमें कहते हैं कि एक हजार गज का प्लाट है उसमें से १० गज जमीन पीछे छोड़नी पड़ेगी, पन्द्रह गज एक साइड में छोड़नी पड़ेगी, पन्द्रह गज दूसरी साइड में छोड़नी पड़ेगी और तीस फीट आगे छोड़नी पड़ेगी। वह उसके अनुसार मकान बनवा लेता है, जिस साइज के कमरे नक्शे में बताये हैं उस साइज

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

के बनवा लेता है। स्पष्ट रूप से उसी आधार पर वह दो-चार कमरे बनवा लेता है; आगे बना लिये, पीछे बना लिये, दांये बांये बना लिये और बीच में खाली जगह छोड़ दी और उस पर छत उठवा दी। तो आपके रूल्स के तहत उसने मकान बना लिया। इस तरीके से पांच, सात, दस हजार की लागत लगा कर बड़े बड़े प्लॉट पर रूल्स के मुताबिक निर्माण किया जायगा। क्योंकि वे पैसे वाले हैं उनके पास इस तरह के साधन हैं। लेकिन एक मध्यम वर्ग के आदमी और गरीब आदमी की स्थिति पर विचार कीजिये। वह कर्ज लेकर मकान बनवाता है। एक क्लर्क है, एल. डी. सी, है या यू. डी. सी. है या तीन सौ, चार सौ रुपये पाने वाला ऑफिसर है, वे प्लॉट खरीदने के लिए भी सरकार से लोन लेता है। वह जो लोन लेता है उसके इन्स्टालमेन्ट का पैसा उसकी तनख्वाह में से कट जाता है और इस प्रकार उसको चुका देता है। जब उसके पास प्लॉट आ जाता है तो वह कोशिश करता है मकान बनाने की और सरकार या गैर आदमी उसको कर्ज दे देते हैं तो उसको लेकर शायद वह प्लॉट बनाने की कोशिश करेगा। सरकार का जो कर्ज मिलता है, उसके लिए वह दरख्वास्त देता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा छः वर्ष तक उस पर कार्यवाही नहीं होती। उसके पास अपने कोई साधन नहीं हैं कि अपने पैसे से मकान बना सके। उसने वह प्लॉट भी सरकार से कर्ज लेकर खरीदा है और सरकार से कर्ज लेने के बाद वह प्लॉट बना सके यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं होगा। आप उस कर्ज पर पांच पर्सेन्ट का ब्याज लगायेंगे। अब देखिये कि अगर पांच हजार की कीमत का प्लॉट है तो दो सौ, ढाई सौ साल के हिसाब से, जिस तरह वह ब्याज देता है, उससे उसका काम तमाम हो जायगा। अगर मकान बना लेता है तो तीन सौ, चार सौ उसमें दे देगा। तो इस तरह जिसने सूद लेकर प्लॉट खरीदा और प्लॉट बनाया, उसकी तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा सूद में निकल जायगा। तो इस कानून से आप मामूली इन्सान की, राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्या सहायता करना चाहते हैं। आप उनकी सहायता नहीं करना चाहते बल्कि यह सहायता उन लोगों की करना चाहते हैं जो वाकई दस प्लॉट रख सकते हैं, बीस रखते हैं और अपने पैसे से धीरे धीरे मकान बनवा कर उनकी मनमानी कीमत ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि समाजवादी समाज की स्थापना करने वाली सरकार को इस पर सबसे पहले विचार करना चाहिए, मध्यम श्रेणी के लोगों पर सबसे पहले विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए उन गरीब इन्सानों के लिए जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि नगरपालिका और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, दोनों की ओर से गरीब आदमियों को जमीन देने की व्यवस्था नहीं कि जा रही है। आज जयपुर के चारों तरफ देखिये, ये छोटी छोटी कोठरियों में जानवरों की तरह रहते हैं। उनको इन्सान की तरह रहने का अधिकार होना चाहिए। जिस राज्य में उनको यह सुविधा प्राप्त न हो, इन्सान को रहने के लिए जो सरकार स्थान न दे सके और जो कष्ट और तकलीफ सह कर जमीन लेता है और अपना मकान बनाना चाहता है उस पर

Page No. 94

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस प्रकार से सरकार टैक्सेज इम्पोज़ करना चाहती है जिन टैक्सेज के कारण से वे शांतिपूर्वक मकान नहीं बना सकते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह इस प्रकार का महत्वपूर्ण बिल है जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको मैंने आपके सामने रखा है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इसी सदन में जल्दी आ जानी चाहिये। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रॉविज़न आपने इसमें ऐसा रखा है जो जनता के लिये बड़ा घातक है। आपका एग्ज़िक्यूटिव अधिकारी किसी बात का निर्णय दे देता है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ फैसला देता है उसको कोई अधिकार नहीं होगा कि वह कोर्ट में जाकर उस फैसले को चैलेंज कर सके। आप इस बात को मान कर चलें कि एग्ज़िक्युटिव डिसिज़न करते समय अपना जुडिशियल माइन्ड एप्लाई नहीं करती है जिस तरह से जुडिशियरी अपना जुडिशयल माइन्ड एप्लाई करती है। यदि आप एग्जिक्युटिव को डिस्क्रीश्नरी पॉवर्स दें तो आर्बीट्रेरी पॉवर्स उनको नहीं होने चाहिये। हमारे रूल्स एन्ड लॉ होते हैं, उनके अनुसार हरएक व्यक्ति को इस बात का राइट होता है कि वह कोर्ट में जाकर अपना सूट एस्टेब्लिश करे और इन्साफ हासिल करे। आप जानते हैं कि एग्ज़िक्युटिव के आर्बीट्रेरी पॉवर्स यूज़ करने के तौर और तरीके अजीब ही होते है और वे किस प्रकार के होते हैं। यदि अपना डिस्क्रीशन यूज़ करते समय कोई डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी मनमाने तौर से एसैसमेंट कर देती है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का राइट हो, इसके लिये कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिये इसका प्रावधान होना चाहिये।

एक अंतिम बात में यह कहना चाहता हूं कि यह कानून जो आप बनाने जा रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि यह कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ हो जावे, क्योंकि कॉन्स्टीट्यूशन प्रत्येक आदमी को ordinary law of the land के अंतर्गत एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज़ ऑफ अपनी प्रोपर्टी करने का अधिकार देती है जब तक सरकार उसके खिलाफ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा दे। मान लें कि मैंने एक प्लॉट लिया, तो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अन्दर उसके अधिकार पूरे के पूरे मुझको मिल जाते हैं। लेकिन यहां पर किसी ने जमीन ली या कोई प्लॉट लिया तो उसको आप absolute ऑनरशिप नहीं देते और आपने यह Limited राइट रख दिया है। प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, उसको सेल करने का जहां तक प्रश्न आता है उसको अधिकार नहीं। अब आप उसको मजबूर करते हैं कि उस पर वह तामीरात बनावे। तामीरात बनाने के लिये इसके पास साधन नहीं, कोई जरिया नहीं, राज्य सरकार कोई लोन देती नहीं। इन सारी बातों के होते हुए भी आप यह चाहते हैं कि वे प्लॉट तैयार करें और न कर सकें तो आप पांच वर्ष या सात वर्ष में जितनी कीमत उस जमीन की होनी चाहिये उससे ज्यादा कीमत टैक्स के रूप में लेना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No. 95

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मैं कहूंगा कि यदि इसी हालत में यह बिल रहा तो यह जनता के हित में नहीं होगा। इसको पास किया जावे तो जिस भावना को लेकर आप चलना चाहते हैं उस भावना के विरूद्ध भी पड़ेगा। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने अवश्यम्भावी रखना चाहिये।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं उप-मंत्री का जवाब सुन रहा था जो काफी कन्विन्सिंग था। जब उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि म्युनिसिपल एमेन्डमेंट बिल और अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे क्योंकि इस पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में लीगल ओपीनयन जानना रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिये और कुछ केसेज और भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि जो भी सरकार अपने आपको प्रजातांत्रिक मानती है और जिसकी प्रजातन्त्र में आस्था है उसका टैक्स लगाने के पीछे पैसा कमाने का ही ध्येय नहीं होता है। हमेशा जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसका सोल ऑब्जेक्ट यही होता है कि टैक्सों से जो असमानता है वह दूर हो और कम हो। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल के मार्फत जो मकसद सरकार हासिल करना चाहती है वह नहीं हो सकता क्योंकि अर्बन लेण्ड की डेफिनिशन यह है :

"(5) 'Urban land' means land which is capable of being used as a building site and includes gardens or grounds, if any, appurtenant to a building but does not include a holding as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 :...."

इसमें जो एक्स-रूलर्स की प्रोपर्टी है वह इस डेफिनिशन में नहीं आती। सरकार का पक्ष, जब उनसे इसके लिये कहेंगे, तो यह कहेगा कि हम इस एग्रीमेन्ट के जरिये कुछ बन्धन में आये हुए हैं, जिस समय स्टेट यूनियन में एक्सीड हुई उस समय हमने रूलर्स से कुछ वायदे किये उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टीट्यूशन को लागू करने से पहले क्या वे वायदे थे, वे कैसे किये गये इसका मुझे अनुभव है, क्योंकि हम उस समय छोटे छोटे थे और जनता के मूवमेंट में अपने शहर में काम करते थे। हमें मालूम है कि जनता ने राजाओं को इसके लिये मजबूर कर दिया था कि वे यूनियन गवर्नमेंट में शामिल हों। उन्होंने मर्जी से ऐसा नहीं किया। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे उस समय के हालात को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट में शामिल न होते। अगर उनको उनकी मंशा पर छोड़ देते तो हमारे साथ बहुत कम रूलर्स आते। इसलिये उस वक्त का कॉवेनेन्ट या कोलेटरेल-लैटर्स हम मंजूर करते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगेगा। इस पर टैक्स नहीं लगाने के लिये मैं समझता हूं कि राज्य सभा में डिबेट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑबजवेशन दिये हैं जो सदन के सामने हैं। एक चीज उससे सामने आती है कि रूलर्स क्लोइस्टर्ड लाइफ व्यतीत नहीं कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति सोशियल और पॉलिटीकल एक्टीविटीज के साथ है इसलिये उनको कोई इन्डेम्निटी देना कॉन्स्टीट्यूशन के फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स के खिलाफ जाता है। इसलिये कॉन्स्टीट्यूशन में इसके लिये लाजमी तौर से यूनियन गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का है। मैं नहीं समझता कि यदि इस पर बहस करें तो यह

(श्री केदारनाथ)

मंशा मेरी ही नहीं लेकिन दूसरे लोगों की है और मत है कि एक्स रूलर्स की सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, एन्क्लोज़र्स, पेलेसेज एन्ड गार्डन्स हैं वे टैक्सेबल हों। उनको कोई रिलेक्सैशन नहीं हो, यह जनता का मत है। जब कोई कानून हम लाते हैं तो समाज में क्रिटीसिज्म पैदा होता है, इसमें कोई शक नहीं; ह्यूमन फोर्सेज पैदा करता है। उनके साथ जब ऑर्डिनेन्स सरकार लाती है तब वह सरकार यह कह सकती है कि हम प्रोग्रेसिव हैं। लेकिन अगर समाज में हालत कुछ और पैदा हो, कानून की मंशा और हो और सरकार जो कानून बनाना चाहती है उससे समाज की हालत मेल नहीं खाती हो तो सरकार अपने आपको ऐसा नहीं कह सकती कि वह प्रोग्रेसिव सरकार है। इसलिये मेरा यह विचार है कि जो अमेन्डिंग बिल आ रहा है उसमें जब तक आप एक्स-रूलर्स की प्रॉपर्टी को शामिल नहीं करेंगे तब तक हमारा यह ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा और जो आप कार्य करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। इसलिये जब हम स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को पढ़ते हैं तो मालूम होता है :

"The question of rationalisation of the present scheme of taxation of land in urban areas so as to secure a return commensurate with the pronounced increase in land values in recent years has been engaging the attention of the State Government. The Taxation Enquiry Commission and the Planning Commission have been suggesting the need to impose a suitable levy on lands in urban areas. It is also necessary to curb profiteering tendencies and to help genuine builders in securing building sites at reasonable prices."

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे टैक्सेज का बेसिस रेशनल है कि जो टैक्स इन्क्वायरी कमीशन ने किया है और जिस तरह प्लानिंग कमीशन ने फैसला दिया है कि किन तरीकों से लेना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि सरकार उस पर मजबूती से कदम उठावे। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो एग्रीमेन्ट किया, उनके लिये यह एग्रीमेन्ट सुप्रीम है, लेकिन जनता उससे भी सुप्रीम है। ये सहूलियतें आपने बहुत कम लोगों को दी हैं। इसलिये आप टैक्स को उन पर भी इम्पोज़ करें ताकि यह डिस्पेरिटी दूर हो और जिस मंशा से आपने यह बिल पेश किया है उसकी मंशा भी पूरी हो।

इसलिये यही कहते हुए कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब तक प्रावधान नहीं किया जायगा तब तक यह मकसद पूरा नहीं होगा और डेफिनिशन में ये बातें नहीं आयेंगी तब तक न सोशियल मकसद पूरा होगा और न आमदनी का मकसद पूरा होगा। ०·५ आमदनी बहुत कम होगी। कितने ऐसे कुल प्लॉट्स होंगे ? १० हजार रु. लिमिट रखी है, तो इससे बहुत कम पैसा मिलेगा। इन दिनों पहलुओं को देखते हुए मेरा दरख्वास्त है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय जो इन सारे पॉइन्ट्स पर फैसला करे और लोगों की मंशा को पूरा करते हुए एक अच्छा बिल हम ला सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी !

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींन्दर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर भूमि कर विधेयक, १६६४ के सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां इन सब बातों के सम्बन्ध में इन सब पोइन्ट्स के सम्बन्ध में अच्छी तरह से डिस्कशन के बाद इस पर राय आये और फिर हम इस विधेयक पर यहां विचार कर सकें। यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग शहरों में रहने वाले और पैसे वाले लोग हैं, वे एक से ज्यादा प्लॉट्स खरीद लेते हैं और उनसे मुनाफा कमाते हैं—उनकी इस प्रवृत्ति को रोका जाय। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे प्लॉट्स हैं जिनको लोग खरीद कर पड़े रखते हैं और समय समय पर भारी कीमतों पर बेच देते हैं, इस तरह नाजायज़ मुनाफा कमाते है और ब्लैक मेलिंग करते हैं—इस सम्बन्ध में भी इस बिल में प्रावधान होना चाहिए। बहुत से लोग प्लॉट खरीद कर वर्षों तक पड़ा रखते हैं और उससे तरह तरह के फायदे उठाते हैं। आज लोगों के सामने मकानों की एक बड़ी भारी समस्या है, किरायेदारों के सामने मकानों की समस्या है और दूसरी तरफ इस तरह से प्लॉट्स लेकर ब्लैक मेलिंग किया जाता है—इसको रोकना आवश्यक है। आज लोगों को रहने को मकान नहीं मिलते, गरीब लोगों के लिये मकान की व्यवस्था नहीं है, इसका मूल कारण यह है कि प्रॉफीटियर्स प्लॉट्स खरीद कर पड़े रखते हैं और उन पर मकान नहीं बनाते। तो यह जो बिल लाया गया है इसके पीछे यह उद्देश्य है कि इस प्रकार प्रॉफिट कमाने वाले लोगों पर किस प्रकार रोक लगाई जाय, इन लोगों से किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा 'कर' के रूप में वसूल किया जाय। इसमें हमें बहुत सी बातें देखनी पड़ेंगी। इन वर्षों में बहुत से स्थानों पर पैसे वाले लोग इस प्रकार कई प्लॉट्स खरीद कर पैसा लगाना चाहते हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिये सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। शहरों में कई प्लॉट्स ऐसे हैं जो बेकार पड़े है, काम में नहीं आते, पूंजीपति लोगों ने उनको ऐसे समय के लिये पड़ा रख छोड़ा है कि उनसे इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके। इस चीज को रोकना परमावश्यक है।

शहरों में बहुत से गरीब आदमी गन्दी बस्तियों में रहते हैं, जो लो-इन्कम के आदमी हैं, उनकी एप्लीकेशन्स जमीनों के लिये आठ-आठ, दस-दस साल से पड़ी हुई हैं, पर उनको कोई प्लाट्स नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग ज्यादा पैसा लगा कर प्लाट्स खरीद लेते हैं और गरीब लोग इन सुविधाओं को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों की इस

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये इस बिल में प्रावधान रखना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाना होगा।

०·५ का टैक्स रखा है, वह इस लिहाज से कम है। इसमें एक प्रावधान इस प्रकार का होना चाहिये, यह मेरा सुझाव है कि जिनके पास एक प्लॉट है उनके ऊपर यह टैक्स नहीं लग कर जिनके पास एक से ज्यादा प्लॉट्स हैं, बहुत से प्लॉट्स हैं, उन पर ०·५ से ज्यादा टैक्स लगाया जाय तो उचित होगा। इसमें प्रावधान रखा है कि यदि कोई दो वर्ष तक मकान नहीं बनायेगा तो उससे टैक्स लिया जायगा। इसमें मेरा निवेदन यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से एक प्लॉट ले रखा है पर सीमित आमदनी के कारण दो साल के अन्दर मकान नहीं बना सकते, पैसे के अभाव में तीन साल तक भी मकान नहीं बना सकते, इसलिए ऐसे लोगों पर इस प्रकार का टैक्स का प्रावधान रखने से उन पर टैक्स का भार बढ़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाय। इस सम्बन्ध में यह दलील दी जा सकती है कि यदि हम इस प्रकार का प्रावधान रखेंगे कि एक प्लॉट पर टैक्स नहीं लगाया जाय तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स, पूंजीपति लोग अपने कई रिश्तेदारों के नाम एक एक प्लॉट खरीद लेंगे और इस तरह वे लोग भी इस प्रकार के टैक्स से बच जायेंगे। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना होगा कि जिन लोगों को प्लॉट्स दिये जाते हैं वे किस तरह के लोग हैं और कौन कौन उनके रिश्तेदार हैं।

१० हजार से अधिक आबादी के कस्बे हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगाया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कस्बों में यह टैक्स लगाया जाना उचित होगा, पर इसके साथ ही साथ एक टैक्स और लगाना आवश्यक है। अगर केवल प्लॉट्स पर ही टैक्स लगायेंगे तो वे लोग बच जायेंगे, जिनके पास बड़े बड़े कई मकान हैं, जो उन मकानों से किराया कमाते हैं और नाजायज फायदा उठाते हैं। अतः इस बिल में यह प्रावधान भी होना चाहिए कि जिनके पास एक से ज्यादा मकान हैं, एक कुनबे में माने जाने वाले लोगों के पास एक से ज्यादा मकान हैं तो उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल कर सकें।

इस बिल में एक्स रूलर्स की प्रॉपर्टी के बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा है, बहुत सी लैंड उनकी फालतू पड़ी हुई है, लाखों रुपया इसमें कमा रहे हैं, इन राजाओं ने कई खाली प्लाट्स की जगह मकान बना लिये हैं और उन मकानों को किराये पर दे रखा है; इस प्रकार किराये से भी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो इस बिल में इस प्रकार का भी प्रावधान होना चाहिये जिससे कि सबको समान रूप से सोशियल जस्टिस मिल सके।

ये खामियां हैं जिनकी वजह से मैंने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा है। इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर इन खामियों की पूर्ति कराई जाय।

(अनेक सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमिकर विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। क्या कारण है ? इसके कई पहलू हैं। यह विधेयक अभी हमारे सामने पेश हुआ है इसमें कई इस प्रकार की कमियां रह गयी हैं। इसमें क्या होगा कि नगर विकास की योजना है, उससे नगर विकास तो हो जायगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जायेंगी, हो सकता है राजस्थान मे भी बम्बई जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्ज, बड़े बड़े महल बनने लगें लेकिन उससे क्या होगा ? आज बम्बई के अन्दर गरीब जनता फुटपाथ पर सोती है, उसी प्रकार राजस्थान की गरीब जनता भी फुटपाथ पर सोने लगेगी। आज इस एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि गरीब आदमी को, गरीब किसान को, आदिवासी को शहर में प्लॉट मिल सकें। उनको शहरों से बाहर निकाला जाता है। जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं उन पर सरकार टैक्स लगायेगी। उससे क्या होगा कि धनी मानी लोग हैं उनको सुविधा और हो गयी कि खर्चे से टैक्स की रकम भी और दे देंगे। लेकिन गरीब आदमी मारा जायगा। इस प्रकार के लेकुना हैं इस बिल में। कई तरह की इस बिल में कमियां हैं। गरीब आदमी पनप नहीं सकता। सरकार इन कमियों को पूरा करे।

सरकार ने यह जो टैक्स लगाया है, मेरा सुझाव है, मेरी पार्टी जनसंघ का यह सुझाव है कि यह टैक्स म्युनिसिपैलिटी का होना चाहिये। सरकार प्लॉट्स बेचने के बाद पैसा ले लेती है। नगरपालिका इम्प्रूवमेन्ट करती है, उसका खर्चा वगैरह का हिस्सा उस टैक्स में से होना चाहिये जिससे म्युनिसिपैलिटी की आमदनी बढ़े, जनता की आमदनी बढ़े और नगर का विकास हो सके। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट में कई कमियां हैं। सरकार को चाहिये तो यह था कि हमारे नगरों में बड़े बड़े सेठों के मकान है, जिनके ज्यादा मकान है, राजाओं के बड़े बड़े मकान हैं, वह उन पर टैक्स लगाती, उनके मकानात पर सरकार टैक्स लगाती और बड़े बड़े प्लॉट्स हैं उनमें से एक प्लाट लेने की इजाजत देती; लेकिन सरकार तो उनको छूट देती है कि टैक्स दे दो और बड़े बड़े प्लॉट्स खाली पड़े रखो। कोई गरीब आदमी प्लॉट खरीदता है तो बड़ी कठिनाई से पैसे का इन्तजाम करता है तब जाकर प्लॉट खरीद पाता है। जब उसको बनाने का सवाल आता है तो पैसा नहीं होता है और वह खाली पड़ा रहता है। उसको मकान बनाना तो दूर रहा अब उस खाली पड़े हुए प्लॉट का टैक्स और देना पड़ेगा। मुझे एक कहानी याद आ गई है। एक महाजन एक राजपूत को कहता है कि सोने का एक कड़ा ले लो। उसने सोने का कड़ा ले लिया और उसको अपने हाथ में पहिन लिया। उसने अब कमाई करना बन्द कर दिया। हाथ में कड़ा पहिनता है तो हल नहीं चलाता है खेत पर जाकर, वह तो आराम से रहने लगा। अब उस पर उसका ब्याज बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि न तो उसके पास सोने का कड़ा रहा और जो कमाई थी वह भी चली गई। यदि सरकार यह चाहती है कि गरीब

(श्री जोधसिंह चौहान)

आदमी मकान न बनायें तब तो आप यह टैक्स लगाइये। हालत यह होगी जैसा मैंने आपको बम्बई का उदाहरण दिया। आज गरीब जनता मकान नहीं बना सकती। वहां ७५ परसैन्ट से अधिक लोग सड़कों पर सोते हैं। यदि यही मंशा है कि राजस्थान में भी जनता इस प्रकार सड़कों पर सोये तो आप टैक्स लगा सकते हैं।

हमारे उदयपुर एरिया में नगर इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने एक योजना बनायी है कि पांच मील के एरिया में कोई गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता। आज पांच मील के एरिया में कोई किसान मकान बनाने से मजबूर है। चाहिये तो यह था कि सरकार कोई मास्टर प्लान बनाती और किसानों को भी कहती कि फलां फलां जगह मकान बनाओ तब तो बहतर होता।

गांवों में आबादी बढ़ने से मकान बनाने के लिए भूमि कम रह गयी है, सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट मकान नहीं बनाने देते। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का क़ानून जरा सोच समझ कर निकाले। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे सोच-समझ कर बिल ला सके और उससे गरीब जनता को राहत मिल सके और वह मकान बना सके। गरीब के पास एक प्लॉट है और उस पर किसी कारण से मकान नहीं बना सकता है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान सरकार आज सदन के सामने राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ नम्बर १४ को पेश करके इस बात का सुबूत दे रही है कि वास्तव में वह प्रगतिशील कदम उठा रहे हैं समाज सुधार की ओर। उसका तो मैं बड़ा आभारी हूं और उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में धीरे २ उनका कदम इस ओर बढ़ रहा है कि जहां से न्याय को जीवित किया जा रहा है और उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे डाइरेक्ट हो या इन्डाइरेक्ट।

लेकिन इस बिल में दो तीन प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिनको देखने से अन्दाजा लगता है कि इसकी मंशा किसी तरह से फुलफिल नहीं होती है। खास तौर से एग्ज़ेम्पशन का सवाल आता है। मैं इस बिल में इन्स्टान्स अर्ज करना चाहता, हूं जहां एक तरफ इस अमाउन्ट को रिफन्ड करने का सवाल आता है, मैं उससे

(श्री अब्दुलजब्बार)

सहमत हूं, लेकिन रेमिटेन्स पर मतभेद है। जमा कराया तो किस कानून के अनुसार जमा कराया और वापिस देने का सवाल कहां उठता है? यह रेमिटेन्स, रिफन्ड और एग्जेम्प्शन पर गौर करने की बात है।

इसके साथ साथ रीजन्स और ऑब्जेक्ट्स हैं इसके उनमें यह शो किया गया है कि जिन जमीनों पर बिल्डिंग्ज़ बना ली गई है उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान मे जितने प्लॉट्स वेकेन्ट पड़े हुए हैं उन पर टैक्स लगाने की बात होगी।

किसानों से बेटरमेन्ट लेवी वसूल की जा रही है, इसमें महज मंशा यह है कि सरकार ने कुछ खर्चा करके इस लायक बना दिया है कि लोग फायदा उठायें, फायदा उठा रहे हैं और बिजली और पानी से जो डेवलपमेन्ट हुआ है उसका किसानों पर टैक्स लगा दिया गया। लेकिन इसी प्रकार नगरपालिका अर्बन एरिया में सड़कें बनाती है, लेट्रिन वगैरह की सफाई के लिए स्केवेन्जर्स रखती है, दुनिया भर का खर्चा बहबूदी के लिए करती है तो हमारे सामने यही मसला आता है? बेटरमेन्ट उनका भी होता है तो फिर उन पर बैटरमेन्ट टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? नहीं लगाया है तो सिर्फ इस किस्म का बिल लाने भर से मंशा पूरी नहीं हो जाती है। किसान जब बेटरमेन्ट लेवी देता है और शहर वालों से इस प्रकार का टैक्स वसूल न किया जाय तो मंशा इस बिल से पूरी नहीं होती है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसानों पर बैटरमेन्ट लेवी आदि टैक्स लगा सकते हैं, म्युनिसिपेलिटी को, कन्सोलिडेटड फन्ड होता है, उसमें से देते हैं, नगरपालिकाओं के द्वारा जनता के राहत के कार्य किये जाते हैं, उसके बैटरमेन्ट के कार्य किये जाते हैं और उन पर खर्चा किया जाता है, फिर भी उनसे तो कोई आप इस प्रकार का टैक्स नहीं लेते हैं किन्तु उन काश्तकारों से आप बैटरमेन्ट लेवी वसूल करते हैं। यह पक्षपात क्यों? यह दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? क्यों किसानों को टैक्स से दबाया जाता है? ऐसी सूरत में कई और चीजें हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं इसलिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जिससे इसमें प्रॉविज़न्स भी रखे जा सकते हैं कि जिस प्रकार से किसानो से बेटरमेन्ट लेवी लेते हैं उसी प्रकार दस हजार से ऊपर की आबादी वाले शहरों मे बैटरमेन्ट लेवी नगरपालिका वसूल करे। जहां गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर लागू करके यह कहा जाता है कि इससे गोल्ड पर जो अट्रेक्शन है वह कम हो जायेगा, उसी तरह से बिल्डिंग बनाने का जो अट्रेक्शन है वह भी खत्म हो जायेगा। एक एक आदमी पच्चीस-पच्चीस मकान रखता है, तो जो पच्चीस-पच्चीस मकान एक जगह बना कर रखते हैं अगर उनसे यह टैक्स वसूल किया जाय तो बेघरबार इन्सान हैं उनको मकान मिल सकते हैं। इसका खास तौर से प्रोवीज़न होना चाहिये।

इसमें एग्जेम्प्शन का भी प्रॉवीज़न है। उसमें मेरा यह निवेदन है कि इसमें आप खास तोर से इस बात का भी ध्यान रखिये कि मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, रामद्वारा; ऐसे जो पूजा के स्थान है जिनके नीचे कुछ दूकानें या मकानात हैं, जिनके बारे में म्युनिसिपल कानून

Page No. 102

(श्री अब्दुलजब्बार)

में प्रावधान रखा है इन बिल्डिंग्ज को एग्ज़ेम्प्ट किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा हाउस टैक्स लगाने का जहां तक सवाल है यह म्युनिसिपैलिटीज़ पर छोड़ दिया जाना चाहिये । इसको कलेक्ट करने का अधिकार भी म्युनिसिपैलिटीज को दे दिया जाना चाहिये, ताकि इस प्रकार के टैक्स वसूल करने के लिये अलग मशीनरी क्रिएट नहीं करनी पड़े । उस टैक्स वसूली में से पांच पर्सेन्ट म्युनिसिपैलिटिज़ को दिया जा सकता है । म्युनिसिपैलिटी का यह काम भी होगा कि इस प्रकार जो टैक्स से आमदनी होती है वह खजाने में लाकर जमा करा दें । अगर आप इसके लिये अलग से व्यवस्था करेंगे तो उस टैक्स का २५ प्रतिशत तो उस टैक्स के रिअलाइज़ेशन में ही चला जायगा । इसलिए म्युनिसिपैलिटी को कलेक्शन चार्जेज़ देकर आप इस खर्चे को बचा सकते हैं । असैसर मुकर्रर करते वक्त आप यह भी प्रावधान कर दें कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ १० हजार से अधिक पॉपूलेशन वाली हैं उनको यह अधिकार दिया जाय कि वे इस प्रकार का बिल्डिंग टैक्स रिअलाइज करें । नहीं तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए स्टाफ रखना पड़ेगा और मेरा यह अनुमान है कि इस तरह स्टाफ रखने पर ८० प्रतिशत टैक्स का पैसा स्टॉफ पर ही खर्च हो जायगा: केवल २० प्रतिशत के लिये यह टैक्स लागू करना, मैं समझता हूं, मुनासिब नहीं होगा । इसलिए मेरा निवेदन है, यह टैक्स वाजिब है और इसके वसूली के लिये अलग स्टाफ न रखकर म्युनिसिपैलिटीज को यह टैक्स रिअलाइज़ करने का अधिकार दे दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १९६४ सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्दर जो बातें है उन सबका उल्लेख मैं समय के अभाव के कारण नहीं कर सकूंगा, फिर भी दो-तीन खास खास बातें हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा जिन खाली जमीनों पर टैक्स लगाने की बात कही गई है इस संबंध में स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सोचने की बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास ५०० गज जमीन है और वह कुछ पारिवारिक कारणोंवश या आर्थिक कारणोंवश उसके अन्दर मकान नहीं बना सका है और उस सूरत में उस जमीन का टैक्स देना पड़े तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं होगा । इसके साथ साथ जिन लोगों के पास ऑलरेडी रहने के लिये मकान हैं, फिर भी उन्होंने जमीन ले रखी है और वह खाली पड़ी हैं तो इस स्थिति में और उस स्थिति मे काफी अन्तर है । इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये । मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जिसके

Page No. 103

(श्री फूलचन्द जैन)

पास रहने के लिये मकान है, उसके अलावा उसके पास जमीन है और वह खाली पड़ी हुई है तो उस पर टैक्स अवश्य लगना चाहिये लेकिन उस व्यक्ति की भूमि पर टैक्स नहीं लगना चाहिये जिसने अपने खुद के मकान बनाने के लिए ली है, लेकिन कुछ आर्थिक कारण वश या लोन न मिलने के कारण वह मकान नहीं बना सका है। इसलिये ये चीजें ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से विचार होना चाहिये और प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह भी आता है कि मकान के अहाते में इतनी जमीन खाली पड़ी हुई है जिसको वह बेचने निमित्त उपयोग नहीं करता है तो उस हालत में राज्य सरकार ऐसी भूमि पर भी टैक्स लगायगी या नहीं। इस बारे में भी इस एक्ट के अन्दर स्पष्ट रूप से संकेत नही दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर इस बात का भी स्पष्ट संकेत नहीं है कि किन किन परिस्थितियों या कारणवश टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स की किस किस स्थिति में छूट दी गई है। इसका भी समावेश इसमें होना चाहिये। इस बारे में अलग अलग व्याख्या की गई है; जैसे जमीन पर अहाते में इमारत बनी हुई है वह किस प्रकार की बनी हुई होनी चाहिये जिस वजह से टैक्स नहीं लग सके, यह परिभाषा भी इसमें नही दी गई है। मान लीजिये किसी के पास दो हजार गज का एरिया है और वह एक कौने में छोटी सी कोटड़ी बना लेता है तो क्या वह कन्स्ट्रक्शन मान लिया जायगा? क्या उसको ही इमारत बनी हुई समझ लिया जायगा? उस पर यह टैक्स लगेगा या नहीं? नहीं तो वह भी स्पष्ट होना चाहिये कि इतनी इन्कम वाला मकान हो तो उस पर टैक्स लगेगा या नही लगेगा? इसका समावेश कर अगर हम ऐसी व्यवस्था इसमे नहीं करते हैं तो जिन लोगों के पास जमीन है लेकिन छोटी सी जगह में मकान बना लिया और बाकी बेच देता है तो वैसी हालत में जब तक इसमें स्पष्ट नहीं होता है तब तक जो अनअर्न्ड इन्कम पर टैक्स लगाने की हम बात सोच रहे हैं, वह इन्कम हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करता चाहता हूं कि इस संबन्ध में स्पष्ट कर देना चाहिये कि कन्स्ट्रक्शन किस प्रकार का हो और कितनी जमीन के अन्दर होना चाहिये, इसका स्पष्ट उल्लेख इस एक्ट मे होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्दर खुली जमीन जो शहर के अन्दर है उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई है, लेकिन उस पर ०.५ परसैन्ट टैक्स लगाने की बात रखी गई है, मैं समझता हूं यह ०.५ परसैन्ट कम है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गज के हिसाब से यह निर्धारित होनी चाहिये। मिसाल की तौर पर किसी के पास में हजार गज जमीन है और उस पर ०.५ परसैन्ट टैक्स लगाया जाता है तो उससे अधिक जिसके पास जमीन है दो हजार गज उस पर दस परसैन्ट के हिसाब से लगना चाहिये। इस तरह ज्यों ज्यों जमीन की तादाद बढ़ती है टैक्स की दर भी बढ़नी चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन

Page No. 104

(श्री फूलचन्द जैन)

करना चाहता हूं जैसा पहले मैं कह चुका हूं, इसका असर ऐसे लोगों पर नहीं पड़ना चाहिये जिन्होंने जमीन तो ले ली है, लेकिन आर्थिक परिस्थिति वश या लोन के लिये एप्लाई करने पर भी लोन जिनको नहीं मिला है और प्लॉट उनके खाली पड़े हैं तो उन पर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इसके लिये मिनिमम और मेग्ज़ीमम एरिया भी फिक्स कर सकते हैं। सौ गज करें या २०० गज करें, जैसा भी आप उचित समझें। इन सब चीजों का प्रावधान इसमें होना आवश्यक है।

(१.०० म० प०)

श्री **गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सरकार के द्वारा लाया गया है जो वास्तव में स्वागत योग्य है। इसमें सरकार के इरादे बिलकुल साफ हैं और अच्छे हैं।

देश में आबादी की जमीनों की कमी है। आबादी बढ़ती जा रही है, तो जमीनों को अगर कमाई का साधन बनाकर इस तरह से रख लिया जाता रहा तो जरूरत मन्दों को नहीं मिलेगी। इसलिये यह उद्देश्य तो ठीक है कि एक आदमी ज्यादा जमीन नफा कमाने के लिये नहीं रख सके।

अब जहां तक ५ प्रतिशत का सवाल है देश में गरीब बहुत हैं। मेरा निजी अनुभव है कि ऐसे बहुत सों को मैंने देखा है कि जो मकान अपना बनाने की साथ लिये हुए ही चले गये। इस स्थिति के लोग एक प्लॉट किसी तरह से हासिल भी कर लेते हैं तो मकान नहीं बना पाते। उनके लिये तो यह कोई बहुत अच्छा नहीं है।

आपको यह तय करना चाहिये कि जो व्यक्ति किराये के मकान में रहता है, जिसका निजी मकान नहीं है उसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं लगेगा। और जो पैसा कमाने के लिये रखता है उस पर यह लगेगा। ५ प्रतिशत ज्यादा नहीं है। उनके लिये ज्यादा नहीं है जो रुपया कमाते हैं। कम उनके लिये है जिनके पास हजार हजार गज की जमीनें पड़ी हैं, इस शहर में पड़ी हैं। हजार के ऊपर तो वे दो प्रतिशत भी दे देंगे।

एक यह करना पड़ेगा कि एक प्लॉट एक के लिये छोड़ दीजिये जिसके पास रहने का एक ही हो उसको छोड़ दीजिये, एक से ज्यादा हों तो उन पर यह लागू करिये। एक से ज्यादा दो हों तो यह लिया जावेगा, पांच हों तो यह लिया जावेगा और दस और पचीस-पचास हों तो यह लिया जावेगा। पचास से कीमत का पांच प्रतिशत तक भी आप कर सकते हैं। अगर यह कर देंगे तो बीस साल में उसके घर की जमीन नहीं रहेगी, इस डर से वह जमीन छोड़ेगा। आपके इस हल्के कानून से काम नहीं चलने वाला है आप यह करिये कम से कम कि सौ प्लॉट जिसके पास होंगे उससे पांच प्रतिशत लेंगे। यह आपको करना पड़ेगा। आपको भवन की व्याख्या भी ठीक करनी होगी।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

फिर एक बात और है, नगरपालिका उसके इजाजत नहीं देती जो कम पैसे में अपना मकान बनाना चाहता है। नगरपालिका कहती है नक्शे के अनुसार बनना चाहिये, नहीं तो शहर की खूबसूरती बिगड़ जावेगी। जो किराये के लिये और कमाई के लिये मकान बनाता है वह तो आप कहेंगे वैसा बना लेगा पर जो गरीब हैं, फोर्थ क्लास सरवेन्ट्स हैं जिन्हें ६०) रु० मुश्किल से मिलता है वे अगर अपने रहने के लिये कम पैसे में बनाना चाहें तो आपको उसको भी इजाजात देनी चाहिये। उनको छूट दीजिये कि वह अपना झोंपड़ा बनाकर भी रह सकें। पर इसमें अर्बन बोर्ड बीच में आवेगा। दोनों में से एक चीज करिये। यह भी करना पड़ेगा कि थोड़े पैसों में कच्चे मकान बनाकर भी रह सके कोई। पक्के मकान ही जरूरी नहीं है। शहर को अच्छा बनाने के लिये जरूर कर लीजिये। या तो इस तरफ छूट दीजिये या उस तरफ दीजिये।

५ प्रतिशत सबके लिये किया है। यह नहीं चलने वाला है। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा वाली बात नहीं चलेगी; जिनके पास ज्यादा है उनसे ज्यादा लेना होगा।

इन सब बातों पर विचार करने के लिये आप इसे प्रवर समिति में भेज दीजिये और जिसकी ज्यादा आमदनी के लिये ज्यादा जमीन है उससे ज्यादा पर्सेन्ट लीजिये, इससे सरकार की आमदनी भी ज्यादा बढ़ेगी और जिनके पास नहीं है और जो इसके बिना तकलीफ पाते हैं उनकी तकलीफें मिट सकेंगी। यही निवेदन करना है। इसके लिए इसे प्रवर समिति में भिजवाया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, यह जो अर्बन लैंड टैक्स बिल सरकार की तरफ से पेश किया गया है सिद्धान्ततः हमारी पार्टी इस बिल के पक्ष में है और यह खुशी की बात है कि इस सरकार ने इस बिल को इस सदन के सामने, जब बार बार इस सदन में आग्रह किया गया, इस प्रकार की प्रॉपर्टी और लैंड पर टैक्स लगाने के लिये, लाकर इस सदन की भावनाओं का आदर किया है।

उपाध्यक्षजी, इस बिल की जो धाराएं हैं उनको देखने पर यह अवश्य प्रतीत होता है कि मौजूदा बिल जिस शक्ल में है उसमें काफी बड़े संशोधनों की जरूरत है।

सबसे पहली बात यह है कि जो परिभाषा इसमें अर्बन लैंड की की गई है वह अपने आप में इतनी संकुचित है। कि इस परिभाषा के रहते हुए बहुत से ऐसे लैंड जो वास्तव में टैक्सेबल होने चाहिये वे नहीं होंगे; इसलिये कि इसमें यह कहा गया है कि ऐसी लैंड जिस पर बिल्डिंग बन सके। यह बहुत खतरनाक शब्द है। इसका इन्टरप्रीटेशन कुछ भी लगाया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अर्बन लैंड का सीधा मतलब है कि जो भी अर्बन एरिया है जो दस हजार की आबादी का एरिया है, उसमें जो भी जमीन है एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा वह तमाम माननी चाहिए कि अर्बन लैंड है। उस पर बिल्डिंग

Page No. 106

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बन सकती है या नहीं बन सकती है, इस बात को हमें नहीं छेड़ना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि इसमें स्पष्टीकरण इस बात का भी एड करना चाहिए कि ये जो एक्स रूलर्स के महल हैं, ये किले हैं, उनमें बहुत जमीन रुकी हुई है। अगर मौजूदा परिभाषा को ही कायम रखा गया तो आमेर के किले में इतनी भूमि रुकी हुई है यह टैक्सेबल होगी, यह बहुत डाउटफुल होगा। मैं समझता हूं, मौजूदा परिभाषा में. कहीं भी जो राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों में राजाओं की तरफ से अपने किलों मे महलों में जितनी जमीन रोकी हुई है, वह आ सकेगी और वह टैक्सेबल नहीं होगी। इसलिये स्पेसिफिकली इस अर्बन लैंड की परिभाषा में परिवर्तन करना आवश्यक है ताकि इस तरह की तमाम भूमियां और जमीनें कवर की जा सकें।

दूसरे पोइन्ट पर और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि रेट ऑफ टैक्स जो आपने रखी है वह आठ आना सैकड़ा मार्केट वेल्यू पर रखी है। जबकि यह सरकार समाजवाद की बात करती है तो वह समाजवाद इनका घोषणाओं में और कागजों और भाषणों में ही न रहकर असली कदम में भी आना चाहिए। इसलिये टैक्स का बर्डन कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि आठ आना सैकड़ा आप सब पर रक्खें जिसके पास जितनी ज्यादा लैंड है और उसकी जितनी ज्यादा मार्केट वेल्यू है उसी के अनुसार रेट ऑफ टैक्स बढ़नी चाहिए उन पर। मैंने अमेन्डमेन्ट्स भी दिये हैं, पर किन्हीं कारणों से वे रह गये हैं। अगर कॉन्सटीट्यूशन के अनुसार पहले इसके लिए आज्ञा लेने की जरूरत हो तो वह भी आप ले लें। पर इस तरह का स्लैब सिस्टम आप जारी करें। दो हजार से नीचे वालों को आप बिलकुल छोड़ दीजिए और इससे आगे जो भी लोग हैं उन पर पांच हजार तक आधा पर्सेन्ट रख सकते हैं। पांच हजार से आगे २५ हजार तक एक पर्सेन्ट, २५ से ५० तक दो पर्सेन्ट और ५० से एक लाख तक ३ पर्सेन्ट और एक लाख से ऊपर वालों पर चार पर्सेन्ट रख सकते हैं। इस तरह से इसमें एक सुधार की आवश्यकता है। इसमें कुछ इस तरह की खामियां हैं।

तीसरी बात, जिस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह है एग्जेम्पशन्स के बारे में। अभी सरकार ने जो भी एग्जेम्पशन्स का सेक्शन रखा है उसमें दो बातों को बहुत वेग छोड़ दिया है। एक तो इस बात को कि जो बिल्डिंग्ज हैं और उनके साथ जो संलग्न जमीनें हैं उनको किस हद तक टैक्स किया जाये ? और दूसरे इस बात को कि कितनी भूमि को टैक्स से बिलकुल एग्जेम्प्ट किया जाये। मैं समझता हूं कि इस बात को अनिश्चित छोड़ने के बजाय इसी कानून के अन्दर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा यह सजेशन है कि जहां तक ड्वेलिंग हाउसेज का सवाल है उनके साथ-साथ में बहुत बड़ी-बड़ी जमीनें हैं और केवल इस बुनियाद पर कि उसमें एक बिल्डिंग खड़ी हुई है वह बाड़ा फ्री छोड़ दिया जाये तो फिर आपका यह पर्पज डिफीट हो जायगा। क्योंकि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लोग एक मकान खड़ा कर देंगे और कह देंगे कि बिल्डिंग बन गयी और इस जमीन के ऊपर अब टैक्स नहीं लगना चाहिए। राजा-महाराजाओं ने तो इसी तरीके से किया है। हम यह भी नहीं चाहते कि इस तरह के मकानात बन जायें कि जैसे जौहरी बाजार का गोपालजी का रास्ता है। हर मकान के साथ आउट हाउसेज़ होने चाहिए और उसके साथ ही जो हाइजिनिक तरीके से अच्छा हो उसमें एक थोड़ी जमीन छोड़ी जा सकती है। लेकिन उससे अधिक जमीन अगर है तो वह टैक्सेबल होनी चाहिए। इसकी मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अन्दर कोई मात्रा निर्धारित नहीं है और मेरा यह सजेशन है कि जो कवर्ड एरिया है उस कवर्ड एरिया से अगर दुगुनी जमीन तक आप उसको ओपन स्पेस मान सकते हैं जो उसके साथ है, उसके बाद जितनी सारी जमीन है वह तो टैक्सेबल होनी ही चाहिए। क्योंकि आम तौर पर जो पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से या विकास ट्रस्ट की तरफ से जो मकान बनाने के लिए इजाजत दी जाती है उसमें भी ओपन स्पेस की मांग करते हैं और इस तरह से नक्शे की इजाजत देते हैं। उसमें मेरी जानकारी के अनुसार इतना ही आवश्यक मानते हैं तो इस रूप से जितने आउट हाउसेस हैं एक निर्धारित सीमा तक उनको एग्ज़ेम्प्ट करके उससे ज्यादा जितनी जमीन है वह टैक्सेबल होनी चाहिए और जिन लोगों के पास एक ही मकान है, एक ही प्लॉट है, मैं समझता हूं कि उन लोगों को टैक्स करने की मन्शा नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास कोई मकान नहीं हैं उन्होने एक प्लॉट खरीदा है ऐसे लोगों को टैक्स नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को एग्ज़ेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों में भी छोटे लोग जो हैं जिनका, मान लीजिए कि २००० या ५००० रु० तक की वैल्यू का प्लॉट है उनको एग्ज़ेम्प्ट कर दें। बाकी यहां मकान नहीं है और सीकर में है तो उनको एग्ज़ेम्प्ट करने से फायदा नहीं। लोगों ने कितनी ही बीघा जमीन खरीद कर पटक रखी है, यह सोच कर कि कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे। तो उससे सरकार को इस टैक्स के जरिये आमदनी होनी चाहिए।

चौथी बात जिसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह प्रोसीजरल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

और वह यह है कि जो भी असेसिंग ऑथोरिटी प्रॉवीज़नल असेसमेन्ट तैयार करेगी, अभी मौजूदा कानून मे प्रॉवीजन है उसको एक पब्लिक नोटिस दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि अगर इन्डीविजुअल असैसी को इन्डीविजुअल नोटिस दे दिया जाये तो उसको और सुविधा होगी और नोटिस जरूर मिल जायेगा। उसमे कोई ऑब्जेक्शन रेज़ करना चाहे तो कर सकेगा। तो इसमे यह प्रावधान, कि पब्लिक नोटिस के अलावा इन्डीविजुअल असैसी को भी नोटिस दिया जाये कि इतनी इतनी जमीन टैक्स के तहत आती है कोई आब्जेक्शन हो तो कर लो, जैसा कि आम तौर पर प्रोवधान होता है, किया जाना चाहिए।

पांचवीं बात जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि यह जो सारी इन्कम का हिस्सा, जो भी लोकल ऑथोरिटी है—चाहे

Page No. 108

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

म्युनिसिपल बोर्ड हो, चाहे पंचायत हो—मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे जो बिल्स डिस्कस हुए हैं, उन बिल्स के डिस्कशन के समय भी इस बात का जिक्र आया। मैं इस बात का तो हामी नहीं हूं कि हम यह मानकर चलें कि क्योंकि यह शहर में कोई प्रॉपर्टी है उससे जितनी आमदनी होती है वह उसी जगह पर सारी खर्च होनी चाहिए। क्योंकि यह बात भी मानी हुई है कि स्टेट के कन्सोलीडेटेड फण्ड से बहुत बड़ा खर्चा होता है जिसका इन तमाम जगहों को फायदा मिलता है चाहे वह टैक्स कहीं से भी आता हो। मैं यह भी मानता हूं कि अगर स्टेट के कन्सोलीडेटेड फण्ड के एक्सपेन्डीचर का रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में मुकाबिला करके देखें तो आज का स्टेट का एक्सपेन्डीचरी अर्बन-ओरियेन्टेड है। यह बात भी स्वीकार करने योग्य है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस स्थिति से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो ये लोकल बॉडीज़ हैं—चाहे पंचायतें हों—क्योंकि १० हजार के कस्बों में कितनी ही जगह म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, पंचायतें नहीं हैं और कितनी ही जगह म्युनिसिपैलिटी हैं—उनकी आर्थिक स्थिति भी विचारणीय है। बजाय इसके कि सरकार किसी म्युनिसिपैलिटी को सबवेन्शन के जरिये, लोन्स के जरिये या और किसी डिस्क्रिमिनेट्री तरीके से मदद दे और दूसरों को नहीं दे, एक प्रिन्सिपल तरीका उनके आर्थिक दृष्टिकोण से सेल्फ सफीशियेन्ट बनाने का होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस प्रश्न को बार बार उठाया गया है और गवर्नमेन्ट की तरफ से कमेटी भी मुकर्रर की गई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट बजाय इस तरीके को अपनाये सबवेंशन के तरीके को, अन्-नेसेसरी लोन्स के तरीके को, ऐसा सोचे जिससे म्युनिसिपैलिटीज़ अपनी इन्कम ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इस तरीके से उनकी इन्कम का आधार स्थाई तौर से बनाया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस रूप में जो अर्बन लैण्ड टैक्स है इसका एक हिस्सा—मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत शेयर--उस तरह की लोकल ऑथेरिटीज़ को मिले और ५० प्रतिशत स्टेट के कन्सोलीडेटेड फण्ड में आये तो वाजिब प्रपोर्शन होगा। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा, क्योंकि यह इम्पार्टेन्ट फैक्टर हैं इनको एग्ज़ामिन करके सही रूप से बिल को शक्ल देने के लिए इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। अभी अलवर से आने वाले सदन के माननीय सदस्य ने बहुत सी दलीलें इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए पेश की हैं। मैं भी मूलतः इस बिल के सिद्धान्तों के पक्ष में हूं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा जो हम यह दावा कर रहे हैं कि हमने

Page No. 109

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कोई बहुत बड़ा कदम समाजवाद की ओर उठाया है, यह दावा सही नहीं है। इस बिल के जरिये १० लाख रुपये के टैक्स का प्रावधान, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था, किया गया है। जमीन की कीमत, वैकेन्ट प्लॉट्स की कीमत का आधा प्रतिशत, उसकी जो भी मार्केट वेल्यू है, उस पर हम टैक्स लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के प्लॉट्स जो दो साल तक नहीं बने हैं उन्हीं पर यह टैक्स आयद किया जायगा। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने जिन जमीनों को दो साल पूर्व एलॉट किया और दो साल तक जिनके ऊपर मकान नहीं बने उन प्लॉट्स के लिए अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के नियमों में अलग प्रावधान है। प्रावधान यह है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को यह अधिकार है कि यदि दो साल तक कोई व्यक्ति प्लॉट पर निर्माण नहीं करे, मकान नहीं बनवाये तो जिस शर्त पर वह प्लॉट उसको दिया गया है उसके अनुसार वह प्रोपर्टी को रीएन्टर करे और एक-चौथाई रकम है वह उस व्यक्ति को वापिस दे दे जिसको कि वह प्लॉट बेचा गया है या एलॉट किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में लोकल बॉडीज़ में जो प्लॉट्स एलॉट किये गये है, पिछले दो-तीन वर्षों मे उसकी कथा को जाने दें और सिर्फ जयपुर शहर के ही प्लॉट्स को लें तो आज से दो वर्ष पूर्व लोकल सैल्फ गवर्नमेंट ने एक एन्क्वायरी कराई है और उस एन्क्वायरी में ये फैक्ट्स आये कि करीब ४५० प्लॉट्स ऐसे हैं जयपुर के अन्दर जिनको दो साल पूर्व एलॉट किया गया था, लेकिन जिन पर कोई मकान नहीं बने हैं। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि इन प्लॉट्स की कीमत पहले से चार गुना ज्यादा बढ़ गई है। जो प्लॉट पहले २ रुपए गज मे एलॉट किया गया है उसकी कीमत १० रुपए गज हो गई है और यह भी रिकमन्ड किया गया है इन प्लॉट्स को रिएन्टर कर लिया जाय और इन प्लॉट्स को दुबारा एलॉट किया जाय तो राज्य सरकार या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को करीब ४०-५० लाख का फायदा होगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने या सरकार के द्वारा समर्थित अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने वे कदम नहीं उठाए जो कि नियमों के तहत वह उठा सकते थे और जो उठाने चाहिए थे, जिसका अर्थ यह होता कि ४० लाख की कीमत की आमदनी इन ४५० प्लॉट्स को रिएन्टर करने से हो सकती थी, पर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर ने ऐसा नहीं किया। मंत्री महोदय ने यह आदेश दे दिया कि जिन जिन व्यक्तियों के खाली प्लॉट्स है उनको यह निवेदन कर दें कि वे मकान तुरन्त इन पर बना लें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम कुछ कन्डीशन्स पर प्लॉट सस्ती कीमत पर एलॉट करते हैं और दो साल तक उन प्लॉट्स पर मकान नहीं बनता है, तो अब हम नए एक्ट के द्वारा, नए बिल के द्वारा प्रावधान लाते हैं कि आधा पर्सेन्ट उसको मार्केट वेल्यू का टैक्स लगायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चार वर्ष मे प्लॉट्स की कीमत १०० पर्सेन्ट बढ़ गई है और टैक्स लेना चाहते हैं आधा पर्सेन्ट तो चार वर्ष का २ पर्सेन्ट टैक्स ले लिया या ले लेंगे तो

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

भी प्लॉट जिन्होंने खरीदा है उनको कोई नुकसान नहीं है। वे राजी खुशी दो पर्सेन्ट टैक्स चार साल का दे देंगे। ९८ पर्सेन्ट का फायदा वह अपना नाजायज तरीके से करेंगे। तो आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी।! प्लॉट्स पर मकान नहीं बनेंगे। बल्कि साथ ही आज तक जो दो वर्ष तक प्लॉट होल्ड किया है वह गैर कानूनी था। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अधिकार था कि उसको रिएन्टर कर ले। आपने इस बिल के द्वारा उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया है क्योंकि इस बिल के अन्दर यह प्रावधान रख दिया है कि जहां पर म्युनिसिपल एक्ट की धारा, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट की धाराओं का इस बिल की धारा से कन्ट्राडिक्शन होगा, कोई विरोधाभास होगा वहां पर इस बिल की धारा प्रिवेल करेगी और म्युनिसिपल एक्ट और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट की धाराएं प्रिवेल नहीं करेंगी। तो आपका इस बिल को लाने का नतीजा यह होगा कि जो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर को उन प्लॉटों को रिएन्टर करके दुबारा एलाट करके ५० लाख का जो फायदा हो सकता है वह फायदा नहीं होगा और भविष्य में इस तरह के प्लॉट्स रिएन्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका यह कानून कहता है कि आधा परसेन्ट टैक्स लेंगे और टैक्स लेने के बाद में यह कहेगा कि आपने टैक्स ले लिया और आपने यह टोलरेट किया है और इसी बात का यह टैक्स है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो इस बिल के द्वारा जो विन्डो ड्रेसिंग किया है समाजवाद का वह बिल्कुल गलत है। आपने जो यह विन्डो ड्रेसिंग किया है वह इस तथ्य को नहीं छिपा सकता है कि इस बिल के द्वारा तीन करोड़ रुपया पिछले तीन सालों में प्लॉट के जरिये लोगों से वसूल किया जा सकता था, जिस तीन करोड़ को स्टेट गवर्नमेंट या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट प्लॉट्स को रिएटर करके प्राप्त कर सकती थी उस सारी आमदनी से आपने अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को महरूम किया है सिर्फ आपके १० लाख के फायदे के लिए। इससे चार साल में ४० लाख का फायदा कर लेंगे, लेकिन इस स्पीड से ३० साल में वह फायदा करेंगे जो कि फायदा अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, राजस्थान में एक साल के अन्दर सारे प्लॉट्स को, जो दो साल तक नहीं बने हैं, रिएन्टर करके कर सकता है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल का मूल सिद्धान्त अच्छा होते हुए भी वर्तमान परिस्थिति में यह कोई प्रगतिशील कदम नहीं कहा जा सकता है, बल्कि जिनको प्लॉट्स बिक चुके हैं उनके फायदे का कानून है जो आप राजस्थान में लाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक प्लॉट्स की व्याख्या दी है, यह खुशी की बात है कि मंत्रियों के बंगलों में जो खाली प्लॉट्स हैं आपके प्रावधान के अनुसार उन पर भी आधा परसेन्ट का टैक्स लगेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े बड़े मंत्रियों और छोटे मंत्रियों के बंगलों के अन्दर जो जमीनें खाली पड़ी हैं और जिन पर पेड़ वगैरह लगा दिये गये हैं उनका भी एसेसमेंट होगा और उनको भी आधा परसेन्ट देना पड़ेगा। इससे मैं खुश हूं। लेकिन मैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह आवश्यक बात नहीं है कि एक हजार गज का प्लॉट है तो उस पर कम से कम पर कितनी जमीन पर मकान बना हुआ हो तो यह माना जाय कि अब इसमें और ज्यादा मकान बनाने की गुन्जायश नहीं है। एक हजार गज का प्लॉट है और उस पर केवल १०० गज पर ही मकान है और एक हजार गज का प्लॉट है। उस पर केवल ४०० गज पर ही मकान बना है तो १०० गज वाले को भी आप एग्ज़ेम्शपन देते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि बहुत से लोग बड़ी बड़ी जमीनें खरीदेंगे और उसको वेकेन्ट रखेंगे और बीच में १००-५० गज में झोपड़ी बना देंगे या कमरा खड़ा कर लेंगे, और इस तरह से आपकी जो मूल मन्शा है उस मूल मन्शा से आपको डेफर कर देंगे और अपना नाजायज फायदा करेंगे। इसलिए बिल में यह रखना चाहिए कि प्लॉट के कितने परसेन्ट हिस्से को बिल्ट अप करें तो इस तरह से माना जायगा कि मकान बना हुआ है और बाकी को जमीन वेकेन्ट प्लॉट की तारीफ में नहीं मानी जायगी। इसका कोई प्रॉवीज़न नहीं दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसका प्रॉवीजन दिया जाना अत्यन्तावश्यक है।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय.........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस बिल में जहां तक ड्राफ्टिंग का सवाल है मैं सुझाव देना चाहूंगा, एक सुझाव अलवर से आने वाले महानुभाव ने दिया है कि आप साधारण नोटिस इस बात का दे दें कि आपने क्या एसैसमेंट किया है। इन्डिविजुअल नोटिस प्रत्येक ऑनर को इस बात का होना चाहिए कि उस पर आपने कितना पर्सेन्ट टैक्स एसैस किया है और कितना रुपया आपने टैक्स का एसैस किया है और इस टैक्स को एसैस कराने से पहले उस ओनर का एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि मेरे मकान में इतने गज जमीन वेकेन्ट है और इसकी मार्केट रेट में कम से कम यह मानता हूं। जब इस बात का डिक्लेरेशन आयेगा तो जो भी ऐसेसिंग ऑथोरिटी है उसके इस बात की गुन्जायश बहुत कम हो जायगी कि उस ऐसेसिंग ऑथोरिटी के द्वारा भ्रष्टाचार ज्यादा किया जाय। इसलिए उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनर का डिक्लेरेशन इस बात का होना चाहिए कि उसके पास कितनी जमीन है और वह खुद मार्केट वेल्यू कितनी आंकता है। उसके बाद मार्केट वेल्यू एसैस करने का प्रश्न है। उसके नीचे कोई मार्केट वेल्यू एसैस करने का प्रश्न बाकी नहीं रहता है।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अपील की व्यवस्था इसमें की है उस व्यवस्था मे आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑथोरिटी रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम जिलाधीशों के स्थान पर जिला न्यायालयों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते है, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, सेपरेशन ऑफ एक्ज़ीक्यूटिव और जुडीशियरी के प्रिन्सीपल को मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार क्यों दिया जाय?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ३-४ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा, इसलिए सदन का समय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को अधिकार दिया जाना चाहिए और उसके साथ यह इसमें रखा है कि आपकी ऐसेसिंग ऑथोरिटी के द्वारा फैसला किया जायगा उसको सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस सिद्धान्त को रखना इस बिल के अन्दर कोई सिद्धान्त या नीति पर आधारित नहीं करता है। जब आप एक तरफ दफा २५ में यह कहते हैं कि ऐसेसिंग ऑथोरिटी के द्वारा जितनी कार्यवाही की जायगी वह जुडीशियल प्रोसीडिंग मानी जायगी और जितनी भी अपीलेट ऑथोरिटी अपील में बैठेगी वह जुडीशियल ऑथोरिटी की हैसियत से बैठेगी और जुडीशियल प्रोसीडिंग होगी अपील की हद तक, तो कोई इस बात का आधार नहीं है कि उस जुडीशियल प्रोसीडिंग का सिविल कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सके या सिविल कोर्ट उसके अन्दर एन्टर नहीं हो सके । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप चाहे अपील के अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को दे दें या स्टेट गवर्नमेंट तक फाइनल रिव्यू की ऑथोरिटी रखें, लेकिन स्टेट गवनमेंट जो रिव्यू की ऑथोरिटी है उसके बाद भी सिविल कोर्ट में इस क्वेश्चन को एजीटेट करने की पूरी छूट देनी चाहिए, क्योंकि जुडीशियल प्रोसीडिंग इसको मानते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सिविल कोर्ट को उसमें इन्टरफियरेन्स करने का पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए ।

इसके साथ ही आपने जो यह दफा २७ में प्रावधान किया है कि आपकी असेसिंग ऑथोरिटी के खिलाफ कोई मुकद्दमा नहीं किया जा सकता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जुडिशियल ऑफिसर्स के लिये प्रोविजन है, जुडिशियल ऑफिसर्स प्रोटेक्शन एक्ट ओटोमेटिकली इसमे लागू होगा तो २७ में प्रावधान रखने की आवश्यकता नहीं है। सारे प्रोविजन्स की विषदरूप से व्याख्या हाउस में नहीं की जा सकती, इसलिये इनको एग्ज़ामिन करने के लिये प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

इसी प्रकार रेवेन्यू में से ५ परसेन्ट म्युनिसिपल बोर्ड को देना चाहते हैं। जो रिएलाइजेशन करेंगे उसके खर्चे के लिये आपने ५ परसेन्ट दिया है, यह कम है । यदि हम स्वायत्त शासी संस्थाओं को बोहतरी देना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि ५० परसेन्ट दी जाय । यदि आप उनको डाइरेक्टली नहीं देना चाहते हैं तो जितनी आमदनी स्टेट गवर्नमेंट को हो वह नगर विकास में खर्च की जायगी, यह आश्वासन दें । इन शब्दों के साथ इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि सदन का समय समाप्त हो रहा है, क्या सदन की मंशा है कि सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

अनुमति नहीं दी गई।

(विराम)

सदन की बैठक कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है। सरकारी पक्ष से जबाब कल होगा।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म० प० १.३३ बजे शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रैल, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ

१. तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

बीकानेर में शक्कर वितरण।

तहसील डग में राजकीय पशु अभिजनन फार्म।

नल योजना कार्य--गोगुन्दा।

गन्दे नाले को पक्का बनाने के लिये सहायता अनुदान--बीकानेर।

जाट का तालाब--हिन्डौन।

कृषि विभाग के गजटेड अधिकारियों का वेतन।

अनधिकृत निर्माण के मामले।

बटाई प्रथा।

धोखे से परीक्षा में बैठने की शिकायत।

अकाल सहायता कार्य-आमेट।

बरसाती पानी के भराव से नुकसान, बारां।

कपड़ा मार्केट की दूकानों पर अनधिकृत कब्जा--गांधी बाजार अजमेर।

स्कम्भ

राजस्व भूमि में रिहायश आदि के लिये पट्टा।

तालाबों के निर्माण के कारण डूब में आई भूमि का मुआवजा।

बीज व खाद का हिसाब पंचायत अरनेठा।

सूतल्या धोरी माइनर पर पुलिया।

कलेक्शन चार्ज की वसूली-जिला चूरू।

भूमि पर कब्जे सम्बन्धी नियम।

ऊंटों की चोरियां।

आरजी काश्तकारान को खातेदारी के अधिकार—ग्राम बड़ोपल।

सब्जी का ठेका-तहसील अनूपगढ़।

पटवारी, हल्का श्यामगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच।

भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि।

आरजी तौर पर अलॉटशुदा भूमि के लिये नियम।

ग्राम मंडावरी में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर।

छोई नदी के पानी का ठेका।

नये बांधों का निर्माण-कार्य--जिला अलवर।

पंचायत ताल की धनराशि की वापसी।

भूतपूर्व सरपंच भिरानी द्वारा गबन।

गटर्स द्वारा सीवेज व ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत--कोटा।

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक। ७३

लगान की वापसी।

मौसर--नावां तहसील।

लगान पर सरचार्ज।

मृतक लावारिस के मकान की जमीन।

सिंचाई विभाग के बांध--तहसील, निवाई।

बीज बहु-गुणन प्रक्षेत्र।

डिस्पेन्सरीज़ खोलने के आधार।

३. प्रतिवेदनों का उपस्थपान ७५
श्री मोतीलाल चौधरी, सभापति, प्राक्कलन समिति, १९६३-६४ में समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन किया:—

(१) प्राक्कलन समिति, १९६३--६४ की सिंचाई योजनाओं (सिंचाई विभाग तथा राजस्थान नहर परियोजना विभाग) से संबंधित सोलहवां प्रतिवेदन

(२) प्राक्कलन समिति १९६१--६२ के २४ वें प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ९ वां प्रतिवेदन (जन-सम्पर्क विभाग)।

(३) प्राक्कलन समिति १९६०-६१ के २० वें प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में १० वां प्रतिवेदन (योजना एवं विकास विभाग) तथा

(४) प्राक्कलन समिति १९६२-६३ के दूसरे प्रतिवेदन पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में ११ वां प्रतिवेदन (राजस्थान स्टेट रोडवेज विभाग)।

४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये चर्चा ७६

स्कम्भ

राजस्थान फूड ग्रेन्स डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ से उत्पन्न स्थिति पर विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा उठाई गई ।

बहस का उत्तर खाद्य मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा ने दिया ।

५. स्थगन प्रस्ताव १३३

जोधपुर की सहकारी समितियों को अनाज की सप्लाई बन्द करने संबंधी श्री मानिकचन्द सुराणा के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

६. आय व्ययक लेखे के निर्धारित समय से पूर्व वितरित करने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न श्री मानिकचन्द सुराणा द्वारा उठाया गया । बहस के पश्चात् मुख्य मंत्री ने इस विषय में जांच करवाने का आश्वासन दिया । १३७

७. विधायी कार्य-विचारार्थ लिये गये विधेयक १४४

(१) राजस्थान नगर सुधार

स्कम्भ

(संशोधन) विधेयक, १९६४

(२) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४

दिनांक १ अप्रेल, १९६४ को उपरोक्त विधेयकों को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव एवं जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने अथवा प्रवर समितियों के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्तावों पर की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से आज श्री परसराम मदेरणा, उप-मंत्री द्वारा दिया गया ।

तत्पश्चात् विधेयकों को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने के संशोधन वापिस लिये गये एवं प्रवर समितियों के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर उक्त विधेयक प्रवर समितियों के सुपुर्द किये गये ।

(३) राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १९६४ १७०

श्री परसराम मदेरणा, उप-मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय । विधेयक को

जनमत जानते हेतु प्रसारित करने एवं विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये गये एवं उन पर विचार-विमर्श हुआ।

शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रेल, १९६४ की कार्य-सूची गैर सरकारी सदस्य कार्य-अशासकीय संकल्पों की प्रस्तुति

१. मजदूरों एवं कर्मचारी वर्ग को मंहगाई सूचक अंक बढ़ाने के साथ मंहगाई भत्ता बढ़ाने एवं कर्मचारियों को निश्चित राशि तक मंहगाई भत्ता देने विषयक सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल तथा उमरावसिंह ढाबरिया के अशासकीय संकल्प।

२. स्वतन्त्रता संग्राम में आहुति देने वाले राजस्थानियों की जीवन-गाथाओं का संकलन करने विषयक श्रीमती नगेन्द्रबाला का अशासकीय संकल्प।

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

आरजी काश्तकारान को खातेदारी के अधिकार—ग्राम बड़ोपल)

८४०. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बड़ोपल गांव, तहसील सूरतगढ़ में भाखरा से सिंचित भूमि कितनी है और राजस्थान कैनाल के एरिया में कितनी भूमि सिंचित होने वाली है।

(२) इस गांव को भाखरा नहर जोन में लिया गया है या राजस्थान नहर जोन में ?

(३) जिस किसी नहर में लिया गया है वह किस आधार पर लिया गया है ?

(४) क्या टिनेन्सी कानून की धारा १५ के तहत राजस्थान नहर एरिया में पुराने आरजी काश्तकारों को खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस गांव के राजस्थान नहर एरिया के आरजी काश्तकारान को खातेदारी के अधिकार क्यों नहीं दिये गये ?

उत्तर

(१) बड़ोपल गांव, तहसील सूरतगढ़ में भाखरा नहरों से सिंचित भूमि ४०१५ बीघा है। इसी गांव की भूमि जो राजस्थान कैनाल की नहरों से सिंचित होगी वह ६०४४ बीघा है।

(२) यह कुल गांव भाखरा जोन के अन्तर्गत लिया गया है। लेकिन इस गांव की कुछ रकबा जो भाखरा की नहरों से पूरा पूरा सिंचित नहीं होता था उसे राजस्थान नहर योजना में लिया है।

(३) प्रारम्भ में क्योंकि भाखरा परियोजना से ही इस गांव के रकबे को सिंचित होने की संभावना थी इसलिये भाखरा जोन में लिया गया है।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

सज्जी का ठेका—तहसील अनूपगढ़

८४१. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील अनूपगढ़, जिला गंगानगर में सज्जी का ठेका १९५५ से आज तक किन किन ठेकेदारो ने लिया तथा किन नियमों के तहत ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में ठेकेदारों द्वारा सज्जी बनाकर बेच लेने के बावजूद ठेकों की रकम नहीं लौटाई गई ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार को इससे कितनी हानि हुई ?

(३) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में तथा पिछले वर्ष के सज्जी के ठेके की शर्तों में परिवर्तन किये गये जिनके अनुसार आराजी काश्तकारों तथा पक्की अलॉटमेंट के कृषकों के खेतों से भी सज्जी काटने का अधिकार ठेकेदारों को दे दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि सज्जी जिस क्षेत्र से निकलती है वह क्षेत्र प्रायः अकालग्रस्त है ? यदि हां, तो ठेकेदारों को दिये गये इन परिवर्तित अधिकारों के कारण क्या अकालग्रस्त काश्तकारों का एकमात्र जीवन-यापन का आधार छिन जाता है ?

(५) क्या इस सम्बन्ध में पिछले वर्षों में कमिश्नर बीकानेर का भी कोई फैसला हुआ है ? इस फैसले के विरुद्ध नये नीलामी नियम बनाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) तहसील अनूपगढ़ जिला गंगानगर मे १९५५-५६ से ५६-५७ में सज्जी का ठेका राजस्व विभाग द्वारा दिया गया था अतः इन दो सालों की सूची राजस्व विभाग से मांगी गई है। उपलब्ध होने पर भेज दी जावेगी।

सन् १९५७-५८ से सज्जी का ठेका उद्योग विभाग द्वारा दिया जा रहा है सन् १९५७-५८ से आज तक जिन जिन ठेकेदारों को सज्जी का दिया गया वह निम्न प्रकार है :—

नाम ठेकेदार	रकम ठेका
ठेकेदारों की सूची संलग्न है	५२४०८) रु०
,, ,, ,, ,,	६३८११) रु०
हंसराज पुत्र डोगरमल एवं बिहारीलाल पुत्र कन्हैयालाल	१,१५,०००) रु०
ठेकेदारों के नामों की सूचि संलग्न है	२,१३,१५०) रु०
अमरचन्द, पोलाराम	१,४५,०००) रु०
हंसराज पुत्र मुकनराम	५७,०००) रु०
वीरबल राम	४७,०००) रु०

(२) हां, क्योंकि ठेका सब्जी बनाने को दिया गया था इसलिये रकम लौटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(३) नहीं।

(४) हां, लेकिन ठेकेदारों को कोई ऐसे परिवर्तित अधिकार नहीं दिये गये जिनसे अकाल-ग्रस्त काश्तकारों का जीवनयापन छिनता हो।

(५) हां। फैसले के विरूद्ध कोई नये नीलामी नियम नहीं बनाये गये हैं। केवल ठेकों की अवधि की तिथि १ सितम्बर से ३१ अगस्त की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पटवारी, हल्का श्यामगढ़ के विरुद्ध शिकायतों की जांच

८४२. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्तमान हल्का पटवारी श्यामगढ़ इस हल्के में कब से तैनात है ?

(२) क्या सम्बन्धित पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं राजनैतिक पार्टीबाजी व चुनाव आदि में भाग लेने सम्बन्धी कार्यवाहियों को लेकर शिकायत हुई है ?

(३) क्या यह सही है कि जनता की शिकायतों की जांच करने व उचित कार्यवाही करने का आश्वासन जिलाधीश नागौर ने अपने क्रमांक सी।एस० टी० १४ दिनांक १५-१-६२ द्वारा दिया ? क्या उक्त आश्वासन को पूरा करने के लिए जिलाधीश ने आज तक कोई कार्यवाही कर किसी प्रकार का निर्णय लिया है ?

(४) उक्त पटवारी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही या स्थानान्तरण नहीं करने के पीछे क्या कोई राजनैतिक प्रभाव अधिकारीगण पर डाला गया है ? यदि नहीं, तो जांच व निर्णय में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं एवं कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) माह फरवरी, १९६४ से।

(२) जी नहीं।

(३) जी, हां पहले के पटवारी के विरूद्ध जो शिकायतें हुई थीं, उसकी जांच की गई थी। जांच करने पर शिकायतें गलत पाई गई। पटवारी के विरूद्ध कुछ भी साबित नहीं हुआ।

(४) जी, नहीं। पहले के पटवारी का स्थानान्तर किया जा चुका है और शिकायतों पर जांच भी हो चुकी है।

भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि

८४३. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के ग्राम प्रशासन में पिछले ५ वर्षों में भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ा है ?

(२) पिछले ५ वर्षों में १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९६३ तक राजस्थान भर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कुल कितने मामले भ्रष्टाचार के पकड़े गये और उनमें से कितने मामले न्यायालयों के सुपुर्द किये गये और न्यायालयों को सुपुर्द किये गये मामलों में से कितने के फैसले हो चुके हैं तथा न्यायालयों द्वारा फैसला किये जा चुके ऐसे मामलों में सरकार को कितने मामलों में अभियुक्तों को दण्ड अथवा सजा दिलाने में कामयाबी मिली ?

(३) जितने मामले न्यायालयों के सुपुर्द उपरोक्त क्रम में किये गये उनमें से कितने मामले गजटेड ऑफिसर्स के है तथा किन २ ओहदों के हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) पिछले ६ वर्षों में (१-१-५८ से ३१-१२-६३ तक ६ वर्ष होते है) में ८१० मुकदमें कानूनी जांच के लिये विभाग द्वारा पंजीबद्ध किये गये और ६९९ में अनुसंधान पूर्ण हुआ। अनुसन्धान पूर्ण मामलों में से ३७० अदालतों में भेजे गये। जिनमें से २०७ का फैसला हुआ। अदालतों द्वारा इस अवधि में १०५ मामलों में अभियुक्तों को विभिन्न सजाएं दी गईं।

(३) न्यायालयों को सुपुर्द किये गये मुकदमों में से ३८ गजटेड अधिकारी एवं सरपंच और पंच के विरूद्ध थे जिनका पद वार व्यौरा इस प्रकार है :—

एस० डी० एम०, एक। इन्जीनियर एक, सहायक इन्जीनियर ५, सहायक आयुक्त अधिकारी आबकारी विभाग दो, तहसीलदार तीन, चेयरमैन नगरपालिकायें दो, हैडमास्टर

पांच, डॉक्टर एक, पुलिस निरीक्षक दो, सरपंच और पंच सोलह। कुल योग संख्या ३८।

आरजी तौर पर अलॉटशुदा भूमि के लिये नियम

८४४. श्री केदारनाथ (गंगानगर : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में जो जमीन आरजी तौर पर साल-ब साल अलॉट की जा रही है और इसके लिए जो नियम बनाए हैं उनमें रजिस्टर गिरदावरी में अगर वन्जर लिखा गया है या गिरदावरी किसी दूसरे के नाम से कर दी गई है तो साबका अलॉटी को जमीन नहीं दी जाती, यानी उसका अगले साल के लिए नवीनीकरण नहीं किया जाता ?

उत्तर

जी हां, जिन काश्तकारों को राजस्थान कोलोनाइजेशन (टेम्परेरी कल्टीवेशन लीकेज) कन्डीशन्स, १९५५ के अनुसार आरजी तौर पर जमीन अलॉट की जाती है और वह उस जमीन को काश्त करने के काबिल नहीं बनाते या वह किसी दूसरे को सब-लेट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में उनका नवीनीकरण नहीं किया जाता है।

ग्राम मंडावरी में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर

८४५. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१ क्या यह सही है कि तहसील लालसोट, जिला जयपुर में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोलने के विषय में ग्राम मंडावरी के लिए निर्णय लेकर वहां की पंचायत द्वारा दस हजार रुपया जमा हो चुका है ? यदि हां, तो रकम कब जमा हुई व उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(२) क्या यह भी सही है कि ग्राम मंडावरी की ओर से रकम जमा हो जाने के निर्णय होने के बाद प्रधान पंचायत समिति लालसोट द्वारा श्योसिंहपुरा में केन्द्र खुलवाने की कार्यवाही होकर दुबारा रकम जमा कराई जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि मंडावरी ग्राम तहसील का बड़ा कस्बा है व गंगापुर व लालसोट रोड पर स्थित है व वहां जूनियर हाई स्कूल है व मकानों की व्यवस्था है व तीन तहसीलों के केन्द्र में पड़ता है जबकि श्योसिंहपुरा ९०--१०० घरों की छोटी बस्ती है व केन्द्र में भी नहीं है ?

(४) क्या इस विषय में मंडावरी वालों के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए हैं व एस. डी.

ग्रो. व कलेक्टर द्वारा भी जांच होकर मंडावरी में हेल्थ सेन्टर कायम करने की रिपोर्ट ग्राई है ?

(५) क्या उक्त हेल्थ सेन्टर के स्थापित करने के विषय में विभागीय अधिकारियों की राय ग्रथवा पंचायत समिति की सिफारिशों में ग्रन्तर है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार संयुक्त डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा इसकी जांच करा ली गई है ? यदि हां, तो उनकी क्या रिपोर्ट हुई है ? उस पर क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, लिया गया है तो कब तक निर्णय हो जावेगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुग्रा) ।

छोई नदी के पानी का ठेका

८४६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार बांध माधोसागर की छोई नदी में कोई कृषि फार्म खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस नदी का रकबा ग्राम धमणा की सरहद तक कितने एकड़ का है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पानी को ठेका कर इसे हर साल ठेके पर देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नही ।

नये बांधों का निर्माण कार्य--जिला ग्रलवर

८४७. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला ग्रलवर के लक्ष्मणगढ़, झाला टाला, दीवली, हसनपुरा, मुंडजोडी, हरसाना, कोठरा व खोहरी में नये बांध बनाने के लिए कोई सर्वे ग्रादि हुई है ? ग्रगर हां, तो कब ग्रौर क्यों ? क्या सर्वे रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

(२) इन बांधों का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं

(२) अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत ताल की धनराशि की वापसी

८४८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की कम्प्रेशर मशीन देवगढ़ तहसील के पंचायत ताल में सन् ६० में और सन् ६३ में आई थी और वह कई अधूरे काम छोड़ कर चली गई और उस प्रयोजन के लिए दिये गये उन दो सालों के ५८०) रु० रिफंड नहीं किये गये हैं ?

(२) यदि हां, तो वह रिफंड अभी तक क्यों नहीं किया गया और अब कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

(१) हां, यह सही है कि राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की कम्प्रेशर मशीन देवगढ़ तहसील के पंचायत समिति ताल में सन् १९६०--६३ में काम करने के लिये ली गई थी और वहां कुछ कुओं का काम, कुआ कच्चा होने व खराब रास्ता होने के कारणों आदि से काम नहीं हो पाया ।

११ काशतकारों ने ६--१०--६३ को रिफन्ड के लिये इस विभाग में आवेदन-पत्र दिया और २८--१०--६३ को इसके बारे में जिला सुपरवाइजर से विस्तृत जानकारी लेकर सरपंच ग्राम पंचायत ताल को पत्र भेजा गया जिसमें उनसे इस कार्यालय की जमा की रसीद मांगी गई । २३--१२--६३ को इसके लिये विकास अधिकारी देवगढ़ और ९--१--६४ को सरपंच ग्राम पंचायत ताल को स्मरण-पत्र लिखे गये परन्तु अभी तक वहां से कोई पत्रोत्तर नहीं आया है ।

जमा शुदा रसीद प्राप्त होते ही काश्तकारों की रकम वापिस कर दी जावेगी ।

भूतपूर्व सरपंच भिरानी द्वारा गबन

८४९. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री परमेश्वरीलाल मंत्री, पाठशाला भवन निर्माण कमेटी भिरानी (तहसील भादरा, ज़िला गंगानगर) ने दिनांक १६--४--६२ को तत्कालीन सरपंच भिरानी के खिलाफ स्कूल का करीब दस हजार रुपया हजम करने की बाबत दर्ख्वास्त आई. जी. पी. एन्टी-करप्शन के समक्ष दी थी जिसका निर्णय अभी नहीं किया गया ?

(२) अगर हां, तो इस ढिलाई की जिम्मेदारी किस पर है ?

उत्तर

(१) श्री परमेश्वरीलाल ने दिनांक १५--४--६२ की ऐसी रिपोर्ट एडिशनल आई० जी० पी०, ए० सी० डी० को अवश्य दी थी। किन्तु उसमें १०,०००) रु० सरपंच द्वारा गबन करने का उल्लेख नहीं था। सरपंच के विरुद्ध उस रिपोर्ट में ही आरोप थे कि ७५० वर्ग गज जमीन के प्लॉट वेचने में उसने प्रति प्लॉट रु० ७५) हज़म कर लिए। एडीशनल आई० जी० पी०, ए० सी० डी० ने यह रिपोर्ट एस० पी० गंगानगर को भेज दी। जिस पर मुकदमा धारा ४०६ मा० द० सं० के अधीन थाना पिरानी में दिनांक २०--५--६२ को पंजीबद्ध होकर तफतीश सी० आई० डी० द्वारा प्रारम्भ की गई। तफतीश सम्पूर्ण हो चुकी है व सरपंच के विरुद्ध अदालत में चालान प्रस्तुत करने की विभागीय स्वीकृति की प्रतिक्षा की जा रही है।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

गटर्स द्वारा सीवेज व ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत--कोटा

८५०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

(१) क्या कोटा शहर में गटर्स द्वारा सीवेज व ड्रेनेज सिस्टम चालू करने पर सरकार विचार कर रही है ?

(२) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा सर्वे कराया जा चुका है ?

(३) अगर हां, तो कार्य आरम्भ होने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) शुरु कर दिया गया है। कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में फन्ड्स नहीं हैं। स्कीम बना कर भारत सरकार को भेजी जायगी और स्वीकृति आने पर व फन्ड्स प्राप्त होने पर कार्य करवाया जावेगा।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २५८ का उत्तर देखिए)

क्रम संख्या	नाम जिला	आमदनी	प्रभावित किसानों की सं०
१.	टोंक	२३४६८१	६६५७
२.	बूंदी	१०५५२५	८१४८
३.	सिरोही	३२०००	२२४१
४।	अलवर	१०८८७३	६६६२
५.	चुरू	७२३६८	३६६०
६.	बीकानेर	३२६७६	१६१७
७.	भरतपुर	२०००२८	१०६२५
८.	भीलवाड़ा	७१४७८	४८७७
६.	सीकर	१६८६६६	१०४०२
१०.	जालोर	१३२५००	१४२०१
११.	उदयपुर	५२०२१	२४३५
१२.	बाड़मेर	३७११०	३७७२
१३.	झुन्झुनू	१६६२६४	१६६६७
१४.	जयपुर	३८२२८५	२६३१०
१५.	अजमेर	११५०००	६३६१
१६.	डूंगरपुर	१३७१२	५६८

१७.	नागौर	७७८६२३	४३२४४
१८.	बांसवाड़ा	२६८५४	१५७१
१९.	पाली	२८९२१८	३७२९२
२०.	सवाईमाधोपुर	३४३००६	१६०००
२१.	जैसलमेर	२०६२३	४७१
२२.	गंगानगर	२५०१५१	२४७४१
२३.	कोटा	७५३५३०	२४२६३
२४.	चित्तौड़	१५५०००	१०५०९
२५.	झालावाड़	२२००००	१४७०२
२६.	जोधपुर	सूचना प्राप्त नहीं हुई।	

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ का उत्तर देखिये)

1.13 JAIPUR DISTRICT.

Population 19,01,756	Area (in Sq miles) 5393 Density 353
Number of towns 10	Number of villages 2792 H. Q. Jaipur.

HOSPITALS

URBAN AREA. HOSPITALS. (State-Public)	Beds.	RURAL AREA. (State-Public	Hospitals at Beds.)	
1. S. M. S. Hospital, Jaipur (L. X. B)	664	1.	Paota.	12
2. Mental Hospital, Jaipur (X)	240	2.	Mauzmanad.	4
3. Zanana Hospital, Jaipur (L.X)	167			
4. K. G. V. T. B. Sanatorium, Jaipur (X)	215			
5. La z. & I so Hospital, Jaipur	66			
6. Leper Asylum, Jaipur.	40			
7. Govt. Hospital, Sambhar Lake (X)	30			

DESPENSARIES

URBAN AREA.

8. Sardar Zenana Hospital, Kotputli.	20
9. Victoria Hospital, Kotputli.	20
Government Hospital at :	
10. Dausa.	6
11. Bandikui.	4
12. Bairath.	4
13. Lalsot.	4
14. Naraina.	4
15. Samod.	4
16. Chomu.	6
17. Chaksu.	4
18. Amber.	2
19. Sanganer.	2
20. Phulera.	6
21. Dispensary-cum-Maternity and Child Welfare Centres,	

(State-Public)

1. Mayo Dispensary, Jaipur.
2. Purani Basti Dispensary, Jaipur.
3. S. Patel Road, Dispensary, Jaipur.
4. Sireh Deorhi Dispensary, Jaipur.
5. Gandhinagar Dispensary, Jaipur.
6. Moti Katla Dispensary, Jaipur.
7. Govt. Dispensary, Shahpura.
8. Govt. Dispensary, Bassi.
9. Top Khana Dispensary, Jaipur.
10. Bani Park Dispensary, Jaipur
11. T. B. Clinic, Jaipur. (X)

Adarshnagar. 12

(State-Special) (State-Special) B. S. I.
Dispensaries at:-

1. Military Hosp. 1. Jaipur 2. Jaipur.
Jaipur 30. 3. Jaipur 4. Jaipur.

2. Salt Dept. Hospital
Sambharlake (L. Z.) 30

23.

3. Central Jail Hospital, Jaipur. 14.
4. Railway Dispensary, Bandikui. 3.
5. Railway Dispensary, Phulera.

Per sq. Mile.

M. C. W. Centres.

1. Ramganj. Jaipur District.
2. Choura Rasta. ,,
3. Kamani Centre. ,,

12. Police Hospital, Jaipur.
13. 2nd Battalion R. A. C. Disp. Jaipur.
14. Railway Police Disps, Jaipur.
15. Rajasthan Govt. Dispensary
Secretariat.

RURAL AREA.

State-Public Dispensary at:-

1. Bhainslana.
2. Goner.
3. Saipura.
4. Badiyal Kala.
5. Sikrai.
6. Jobner.
7. Badanagar Aid Post.
8. Sri Govind Hospital Raghunathpura.
9. Goneda.
10. Jamwa Ramgarh Aid Post.

P. H C.

1. Bassi.
2. Kishangarh Renewal.
3. Watika.

4. Sambhar Lake. ,,
5. Dausa. ,,
6. Samod. ,,
7. Naraina. ,,
8. Kaladera. ,,
9. Pragpura. ,,

4. Sirsi.
5. Baswa.
6. Bhagi.
7. Khod Khawra (Govt. Sanction received)
8. Manpur.
9. Kaladera.
10. Amarsar.
11. Naila.
12. Maid.
13. Bhandarej.
14. Narhera.

❀ शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
३	शीर्षक	ताराकित	तारांकित
,,	२२	श्री मुरलाधर	श्री मुरलीधर
६	अन्तिम	श्री भामसिह	श्री भीमसिंह
१४	१६	श्री केसरसिंह	श्री केसरीसिंह
१६	१३–१४	(२१२ एम. एल. एम.) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, (एम. एल. ए.)	श्री दुर्गालाल बाढ़दार
१६	अन्तिम से ६	मिधां	मिर्धा
२४	८	कुम्भलगढ़	(कुम्भलगढ़)
,,	२३--२४	श्री दौलतराम	(श्री दौलतराम
२५	६	सरण	सारण
,,	१७	श्री विजयसह	श्री विजयसिंह
३२	४	(टोंक	(टोंक)
३३	१८	श्री दोलतराम	श्री दौलतराम

१	२	३	४
३४	११	बिश्नई	बिश्नोई
३६	१ व १५	विश्नोई	बिश्नोई
३८	१८	श्री रघुनथ	श्री रघुनाथ
४५	६	श्री मुरलीधर	श्री मुरलीधर
,,	अन्तिम	श्री भीमसिं	श्री भीमसिंह
४६--५०	शीर्षक	कटौती........................संख्या १५	तारांकित प्रश्नोत्तर--अप्रैल १६६४--तारांकित प्रश्नोत्तर
५६	६	श्री विजयसिंह	श्री विजयसिंह
६०	अन्तिम से ४	श्री सतोसचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
६५	शीर्षक	प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६५	६	अ यह	अर्थ यह
,,	१४	श्री निरंजननथ	श्री निरंजननाथ
६८	१०	(अतारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७१ व ७२	शीर्षक	तारांकित	अतारांकित
७१	शीर्ष	(श्रीं राजस्व	(श्री राजस्व
७६	७	डीलर लाइसेसिंग	डीलर्स लाइसेंसिंग
६०	अन्तिम से १०	श्री विट्ठल	श्री विट्ठल
६२	,, से ४	(सराड़ा	(सराड़ा)

१	२	३	४
१२१	१६	सुरांणा	सुराणा
१३१	शीर्षक	जोधपुर..............प्रस्ताव	फूड प्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर —२ अप्रेल १९६४-वाद-विवाद
१३३	अन्तिम से ७	वन्द करने	बन्द करने
१३४	शीर्षक	सम्बन्धी वाद--विवाद	स्थगन--प्रस्ताव
१३९, १४१ व १४३	,,	आय--व्यय	आय--व्ययक
१४५	११	श्री योगेन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१४७ से १७०	शीर्षक	**नोट** : इन स्कम्भों में जहां कहीं "आय--व्यय लेखे वितरित होने --२ अप्रेल, १९६४--विषयक वाद--विवाद" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उसके स्थान पर कृपया इस प्रकार पढ़े :	नगर-सुधार एवं नगरपालिका -२ अप्रेल, १९६४- (संशोधन) विधेयक
१६०	१३	श्री उमरावसिह	श्री उमरावसिंह
१६७	६	सलेक्ट	सिलेक्ट
१७१	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
१८०, १८८, २०८, २१२	शीर्षक	विषयेक	विधेयक
१९०	,,	१९४	१९६४
१९३	६	(आसींद)	(आसीन्द)

१	२	३	४
२३४	अन्तिम से ३ से १	शुक्रवार.............प्रस्तुति	शुक्रवार, दिनांक ३ अप्रेल १९६४ की कार्य-सूची गैर सरकारी सदस्य कार्य अशासकीय संकल्पों की प्रस्तुति
२३५	३	बड़ो पल	बड़ोपल
२३९	२	(गंगानगर	(गंगानगर)
२४१	४	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूढ़ावत	श्रीमती लक्ष्मीकुमार चूंडावत
२४२	१८	गोब्रय	गोयल

❀ विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।